डॉ. हितेश कुमार शर्मा

जनता जाग्रत हो

जनता जाग्रत हो

डॉ. हितेश कुमार शर्मा

जनता जाग्रत हो

डॉ. हितेश कुमार शर्मा

❖ **जनता जाग्रत हो**
(लेख–संग्रह)

© लेखक : डॉ. हितेश कुमार शर्मा

❖ प्रकाशक : माण्डवी प्रकाशन
88, रोगनग्रान, देहली गेट,
ग़ाज़ियाबाद (उ.प्र.)
दूरभाष : 09810077830

❖ प्रथम संस्करण : अक्तूबर-2006

❖ मूल्य : 100/-

❖ मुद्रक : आदर्श प्रिन्ट हाउस, द्वितीय-सी/227,
नेहरू नगर, ग़ाज़ियाबाद (उ.प्र.)

ISBN-81-8212-087-X

समर्पण

मातुश्री स्व. **राम सुमरनी शर्मा**

की पावन स्मृति को

जो मुझे सबसे बड़ा आदमी

होने का आशीष देती थी

—डॉ. हितेश कुमार शर्मा

●अनुक्रम

आत्माभिव्यक्ति

माँ कहा करती थी कि मैं तुझे सबसे बड़े आदमी के रूप में देखना चाहती हूँ। बड़े आदमी से उसका क्या मन्तव्य था यह तो मैं नहीं जान पाया लेकिन मेरी उस सीधी सादी और भोली-भाली माँ का आशीर्वाद प्रभावी रहा और मैं आज जहाँ भी हूँ वह अपनी माँ के आशीर्वाद और अपने गुरुजनों की प्रेरणा से हूँ।

अधिवक्ता होने के नाते मैं संतुष्ट हूँ। मेरे द्वारा कराये गये निर्णय नज़ीर बनकर छपते हैं। मेरे तर्कों का अदालत सम्मान करती है। साहित्य के क्षेत्र में अभी एक पत्रिका ने मेरा एक व्यंग्य, एक लेख, एक ग़ज़ल और एक कविता मार्च 2006 के अंक में एक साथ प्रकाशित की हैं। यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरी चारों विधाएँ पसन्द की गयीं।

हिन्दी के मूर्धन्य विद्वान डॉ. रामस्वरूप आर्य का वरदहस्त सदैव मुझ पर रहा है। लेखन के क्षेत्र में जितना मार्गदर्शन उनके द्वारा मेरा किया गया वह अन्य के द्वारा सम्भव नहीं था। मैं एकलव्य की भाँति गुरुरूप में उनकी वंदना करता हूँ।

1952 से हिन्दी में कार्य कर रहा हूँ। रोटरी अन्तर्राष्ट्रीय में गवर्नर के पद पर रहते हुए मेरे सब मासिक सूचना पत्र हिन्दी में प्रकाशित हुए, मेरी निर्देशिका हिन्दी में प्रकाशित हुई। कविताएँ, ग़ज़ल और व्यंग्य अक्सर बहुत समय से प्रकाशित होते रहे हैं। भाई मनोज अबोध के सहयोग से मैं पंजाब केसरी के मुखपृष्ठ पर छपा हूँ।

उपरोक्त सभी स्तरों पर स्थानों पर आप योग्यता से बढ़ते हैं किन्तु एक स्थान ऐसा है जहाँ आपकी योग्यता काम नहीं आती। चाटुकारिता, अवसरवादिता का गुण आपमें होना चाहिए और एक अदद (यदि अधिक न मिल सके) राजनीतिक बाप भी होना चाहिए। अन्यथा जो राजनीति में बूढ़े-बूढ़े, 80-80 साल के सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं, किसी नये को अवसर देने के पक्षधर नहीं हैं। चन्दन वृक्ष पर लिपटे यह शीर्ष राजनीतिज्ञ देश का कितना भला कर रहे हैं यह 1947 ई. से आप देख रहे हैं। दस-दस बार एक व्यक्ति एक ही स्थान से सांसद या विधायक

चुना जाता है और इस प्रकार रियासत और विरासत का सुख भोग रहा है। मैं इसके सर्वथा अयोग्य हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई राजनीतिक आधार नहीं है। अवसर मुझे मिला नहीं और परशुराम का वंशज होने के कारण चाटुकारिता कर नहीं सकता। इसलिए माँ से क्षमा चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में सम्भवतः कुछ नहीं कर सकूँगा।

यह पुस्तक मेरी उन पीड़ाओं का प्रस्तुतिकरण है जो मैंने भोगी है। समय-समय पर देश में जो कुछ हुआ है जिसकी जानकारी समाचार-पत्रों अथवा टी.वी. से मिलती रही है, उस सब को मैंने झेला है। मैंने अहसास किया है और वही मेरा अहसास शब्दों के रूप में मुखरित हुआ है। अच्छी बात को अच्छा कहना और बुरी बात के लिए लड़ मरना मेरे स्वभाव में है। देश मेरे अनुरूप नहीं बन सकता और मैं देश की दुर्दशा सहन नहीं कर सकता। अतः लिखने का क्रम अन्तिम साँस तक जारी रहे यही माँ से प्रार्थना है। समाज में होने वाली असहनीय बातों पर मेरी माँ भी चिंतित हुआ करती थी और तद्नुसार मेरी पीड़ा भी उसी भाँति है। वही पीड़ा देश के संदर्भ में इस पुस्तक में व्यक्त की गयी है। यदि इसको पढ़कर जनता जाग्रत हो सकी और देश का कुछ उद्धार हो सका तो मेरा लिखना सफल हो जायेगा।

मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली इस क्षेत्र में कोई नहीं हो सकता। एक ओर गुरू रूप में डॉ. रामस्वरूप आर्य की कृपा और दूसरी ओर अग्रज के रूप में श्री राजन चौधरी का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त है। मैं आभारी हूँ श्री राजन चौधरी का जिन्होंने मेरी इस पुस्तक का प्रथमाक्षर लिखा है। सम्भवतः कुछ लोग नहीं जानते होंगे। श्री राजन चौधरी मुलतः बिजनौर के निवासी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा समाज सेवी चौ. शूरवीर सिंह के सुपुत्र श्री राजन चौधरी द्वारा समय-समय पर जो मार्गदर्शन मुझे दिया जाता है वह मुझे मंज़िल प्राप्त कराने में अवश्य ही सहायक होगा।

–डॉ. हितेश कुमार शर्मा

प्रथमाक्षर

डॉ. हितेश कुमार शर्मा बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। यह उनकी रचनाओं को पढ़ने से सहज ही लगने लगता है। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व बहु आयामी है। व्यवसाय से वह एक सफल अधिवक्ता हैं। उन्होंने व्यापारकर कानून पर दर्जन से अधिक उपयोगी पुस्तकें लिखी हैं तथा आधी दर्जन पत्रिकाओं के वह अवैतनिक संपादक रह चुके हैं।

डॉ. हितेश कुमार शर्मा समाज सेवा से सदा जुड़े रहते हैं। वे 'रोटरी अंतर्राष्ट्रीय' के गवर्नर पद पर और 'मानवाधिकार संगठन बिजनौर' के प्रभारी के रूप में दीर्घकाल से कार्यरत हैं। समसामयिक मर्मस्पर्शी ज्वलंत विषयों पर उनके लेखों, व्यंग्यों, ग़ज़लों, कविताओं के पाँच संकलन प्रकाशित-प्रशंसित हो चुके हैं। सुनामी के कहर पर उनका काव्य संग्रह 'सागर ने मर्यादा तज दी' बहुत लोकप्रिय हुआ। उनकी सामाजिक-साहित्यिक सेवाओं के लिए दर्जन से अधिक स्थापित संस्थाएँ उन्हें सम्मानित कर चुकी हैं। उन्हें ए.बी.आई., यू.एस.ए. ने 2001 ई. का 'मैन आफ दी इयर' घोषित किया था। वह पितृ ऋण तथा देव ऋण से उऋण होने के लिए सर्दव प्रयासरत रहते हैं।

डॉ. हितेश कुमार शर्मा को इतिहास एवं पौराणिक कथाएँ पढ़ने में बहुत रुचि है। अपने लेखन में उनसे बहुत से उद्धरण वह कर देते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद की बदलती परिस्थितियों का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया है। देश के शैक्षिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों-विकृतियों से उनका हृदय बहुत व्यथित होता है। वे कहते हैं कि देश की जनता भी असंतुष्ट है। पह सुराज चाहती है। नेताओं-सत्ताधारियों से उसकी अपेक्षायें खण्डित हुई हैं।

डॉ. हितेश कुमार शर्मा ने देश की प्रगति में बाधक मूलभत कारणों का विश्लेषण किया और उनके निराकरण सुझाते हुए 'हम आज़ाद हैं' शीर्षक से पुस्तक लिखी। उनकी उत्कट इच्छा है कि भारतीय अस्मिता की पुनर्स्थापना हो। जन जागरण करने को उन्होंने अपना मिशन बना

लिया है। इसी श्रृंखला में अनवरत परिश्रम करके उन्होंने अपनी भोगी हुई पीड़ाओं को धाराप्रवाह, मुहावरेदार, रोचक भाषा में लिपिबद्ध किया। समय-समय पर देश में घटित हुई मर्मस्पर्शी ज्वलंत घटनाओं के सटीक विवरण अनेक समाचार माध्यमों से एकत्रित करके उसमें जोड़े। इनसे देश में फैले अंधविश्वास, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अनाचार आदि का पर्दाफाश होता है। राष्ट्रहित एवं मानवहित में तैयार की गई इस खोजपूर्ण दस्तावेज को उन्होंने नाम दिया है -'जनता जाग्रत हो'।

डॉ. हितेश कुमार शर्मा द्वारा लिखित यह पुस्तक अब पाठकों के हाथों में है। आशा है भारतीय अस्मिता की पुनर्स्थापना के इस महान यज्ञ में सुधी पाठक अपनी भूमिका निभायेंगे। वे अपने परिवेश में जागृति फैलायेंगे। जिस कार्य में जनता जनार्दन का सक्रिय सहयोग होता है, वह कार्य अवश्य सफल होता है। आशा है लेखक की अथक साधना अवश्य फलीभूत होगी।

-राजन चौधरी पत्रकार
सी-2, सूर्य सदन, शांति शिखर
राजभवन मार्ग, सोमजीगुडा
हैदराबाद (आँ.प्र.)-500082

❐ शिक्षा के मंदिर

क्या विडम्बना है कि शिक्षा के जिन मंदिरों पर सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाने का दायित्व रहा है तथा जहाँ से स्वामी विवेकानन्द, ईश्वरचंद विद्या सागर, मैथिलीशरण गुप्त, विष्णुकान्त तथा कमलेश्वर जैसे व्यक्ति तराशे जाने के उपरान्त हीरे की मानिन्द समाज में उद्भाषित हुए हैं। जिन शिक्षा मंदिरों की ज्योति से अंधेरे मन के दरवाज़े खुल जाते थे तथा जहाँ पर भगवान राम, प्रभु श्री कृष्ण, पांडव राजकुमार आदि ने शिक्षा ग्रहण की और समाज में अपना एक विशेष स्थान बनाया उन्हीं शिक्षा मंदिरों में अब अंधकार बाँटा जा रहा है। द्वेष फलफूल रहा है तथा आपसी मित्रता की बजाये हिंसा जन्म ले रही है।

विश्वविद्यालयों में स्थापित किये गये कुलपति रिश्तेदारी, अनुग्रह, निजी सम्बन्ध, जातियता और मित्रता के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं। इसलिए तो योग्यता के नितान्त अभाव में वह विश्व विद्यालय को उज्जवल भविष्य का संवाहक न बनाकर घोटाले का पर्याय बना देते हैं। अभी चार कुलपतियों पर कार्यवाही की गयी जिनके विरुद्ध करोड़ों रुपये के घोटाले का अभियोग लगाया गया है। विश्वविद्यालय के आधीन बहुत से विद्यालय होते हैं और जब विश्वविद्यालय का कुलपति ही घोटालों में लिप्त हो तो उस विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर कैसे कहा जा सकता है।

महाविद्यालयों में अथवा महानगर के विद्यालयों में रैगिंग प्रथा ने जन्म ले लिया है। सीनियर वर्ग के छात्र प्रथम वर्ष के नये आने वाले छात्र के साथ रैगिंग के नाम पर अमानवीय और क्रूर व्यवहार करते हैं जिसे पढ़कर, सुनकर और देखकर क्रोध आता है, क्षोभ उत्पन्न होता है और दुःख भी होता है। क्या यह तरीका है सीनियर वर्ग के छात्रों के लिए जूनियर वर्ग के छात्रों से परिचय प्राप्त करने का। क्या यह तरीका है आपस में मित्रता और मेल बढ़ाने का। अभी हेमराज नाम के एक बालक के साथ रैगिग के नाम पर जो क्रूरता की गयी वह दिल दहलाने

वाली थी। आये दिन पढ़ने को मिलता है कि रैंगिग के नाम पर नये बच्चों को नंगा किया जाता है। उनके शरीर पर चोट पहुँचायी जाती है और कहीं-कहीं आत्मा पर चोट पहुँचाने वाले कार्य भी किये जाते हैं। फलस्वरूप कई छात्रों ने रैंगिंग से तंग आर आत्महत्या कर ली है। हमारे पास रैंगिंग रोकने का कोई उपाय सम्भवत: नहीं है अन्यथा अखबारों में इतना लिखे जाने के बाद इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि रैंगिंग रुक नहीं सकता। आवश्यकता है एक दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ निश्चयी, ईमानदार, कत्तर्व्यपरायण और कर्मनिष्ठ कुलपति की। कुलपति योग्यता के, चाल-चलन के और उनकी अपनी तथा पारिवारिक पृष्ठ भूमि के आधार पर नियुक्त किये जाने चाहिए। जो समस्याओं से डर कर नहीं भागे बल्कि समस्याओं का सामना करें। छात्रों में उनके प्रति सम्मान और समर्पण की भावना हो।

विद्यालय में इन राजनीतिज्ञों द्वारा चुनाव का माहौल बना दिया गया है। पूरा देश चुनाव की आग में जल रहा है और उसी आग में जल रहे हैं विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा कालिज-छात्रों में मित्रता और विद्वता के स्थान पर द्वेष और घृणा उत्पन्न हो रही है। साथ ही बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार। छात्र संघ के पदाधिकारी बल के आधार पर परीक्षा करा देते हैं और उत्तीर्ण हो जाते हैं। अत: वह सारे साल पढ़ने के स्थान पर दादागिरी को महत्व देते हैं। कालिजों में गोली चलने की घटनाएँ आम हो गयी हैं। छात्रों के दो गुटों में झड़प दिनचर्या बन गयी है और इसी प्रकार विद्यालयों से विद्यार्थी तैयार नहीं हो रहे हैं बल्कि लुटेरे और अपहरणकर्ता जन्म ले रहे हैं। कई लूट और अपहरण के मामलों में कॉलिज के विद्यार्थी लिप्त पाये गये हैं।

विद्यार्थियों को नियंत्रित करने में शिक्षकों का बढ़ा हाथ होता है। अध्यापक और गुरु यदि चाहे तो विद्यार्थी जैसे निर्झर को सही राह पर डालकर गंगा से जोड़ सकते हैं और यदि स्वयं शिक्षक ही अपनी शिष्याओं से दुष्कर्म करते हुए पाये जायें तो शिक्षार्थी क्या ग्रहण करेंगे। आज विद्यालय के वातावरण में जब कालिदास का शाकुन्तलम् पढ़ाया जाता है तो अध्यापक उसी प्रकार का आचरण अपनी शिष्या से करना आरम्भ कर देते हैं तथा उनसे इस गुण को ग्रहण करके छात्र-छात्राएँ भी उसी आचरण को दोहराते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि छात्राओं के पर्स में से और छात्रों की जेब में से कंडोम के पैकेट निकल आते हैं। जब

तक शिक्षकों का आचरण ठीक नहीं होगा तब तक छात्र-छात्राओं पर अंगुली कैसे उठाई जा सकती है। नैतिकता को पुनः जीवित करना आवश्यक है।

स्थानीय स्कूलों में वर्तमान में क्रूरता का नया रूप देखने को मिला है। अमर उजाला दिनांक 08.10.2005 पृष्ठ 10 में प्रमुख समाचार है कि एक छात्रा को हँसने पर एक क्रूर शिक्षक द्वारा चार घंटे धूप में खड़े रहने की सज़ा दी गयी। रमज़ान के दिन थे अतः छात्रा धूप की सख्ती न सह सकी और बेहोश हो गयी। इसी तारीख के अमर उजाला में बागपत में एक छात्रा को प्रधानाचार्य महोदय द्वारा प्लास्टिक जग टूटने पर डंडे बरसाने का समाचार छपा है। एक प्लास्टिक का जग टूटने पर छात्रा के दोनों हाथों पर इतने डंडे मारे गये कि जिसे देखकर क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी कांप उठा। दिनांक 9.10.05 के अमर उजाला में निंदडू के एक विद्यालय में बोर्ड परीक्षा में बैठने की समस्या को लेकर प्रधानाचार्य का पुतला फूँका गया। इसी प्रकार खड़गपुर से प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र में हितकरणी उच्चतर माध्यमिक स्कूल की प्रबन्ध समिति के चुनाव के दौरान की गयी बयानबाज़ियों को निम्न स्तर का तथा शर्मनाक बताया है। जब इस प्रकार का वातावरण स्कूलों में रहेगा तो किस प्रकार से वहाँ मेधावी छात्र तराशे जा सकेंगे। गुंडों के साये में पलने वाला व्यक्ति स्वयं भी बहुत बड़ा गुंडा हो जाता है और यही कारण है कि समाज में गुंडों की संख्या बढ़ रही है और भद्र पुरुष कम नज़र आ रहे हैं। बहुत समय से कोई महात्मा गाँधी या कोई विवेकानन्द पैदा नहीं हुआ है जबकि वीरप्पन जैसे तस्कर बहुतायत में पैदा हो रहे हैं।

राज्य सरकारों ने एक नया पद सृजित किया है शिक्षा मित्र का। बेचारे शिक्षा मित्र को यह भी पता नहीं है कि उसके अधिकार और कर्त्तव्य क्या है। शिक्षा मित्र का चयन सम्भवतः प्रधान करते हैं। कहीं भी कभी भी शिक्षा मित्र पर हमला हो जाता है। दहीरपुर गाँव में अमरउजाला 9 अक्टूबर 2005 के अनुसार शिक्षा मित्र की पिटाई की खबर छपी है। क्या आवश्यकता है शिक्षा मित्र की, क्या करना है "शिक्षा मित्र" का भ्रमित हो गये हैं हमारे राजनेता और दूसरों को भ्रमित करने के लिए नये-नये हथकंडे अपनाते रहते हैं।

कॉलेज में भी राजनीतिक पार्टियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है

गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। फलस्वरूप अच्छे घर के बच्चे दु:खी हैं और गुंडों की मौज आ रही है। इर कॉलिज में छात्रों में मित्रता न होकर दुश्मनी पल रही है। पढ़ाई न होकर एक दूसरे से बदला लेने के तरीके सोचे जा रहे हैं।

प्राइमरी स्कूलों में मिड-डे-मील के नाम पर बच्चों को कीड़े पड़ा दलिया उपलब्ध कराया जा रहा है, सड़े हुए बिस्कुट खाने को दिये जा रहे हैं। जिसे खाकर बच्चे पुष्ट नहीं हो रहे बल्कि बीमार हो रहे हैं। बच्चों का जीवन संकट में पड़ गया है। बार-बार लिखने के बाद भी राज्य सरकार मिड-डे-मील को बन्द कराना नहीं चाहती क्योंकि मिड-डे-मील के नाम पर ग्राम प्रधान और सम्बन्धित स्कूल से जुड़े हुए व्यक्ति उपकृत हो रहे हैं, अनुगृहीत हो रहे हैं। बिना किसी प्रयास के उनके यहाँ हलवा बन रहा है और बच्चे मिड-डे-मील के नाम पर दिये जाने वाले भोजन से कुपोषण का शिकार हो रहे हैं।

सम्भवत: यह कलियुग का अन्तिम चरण है और समस्त जगती के नष्ट होने का समय आ गया है। तभी तो पिता पुत्री के साथ दुराचार कर रहा है, गुरु शिष्या के सम्बन्धों पर कालिख पुत रही है। विद्यार्थी पढ़ने के स्थान पर चुनाव, आपसी झगड़े और व्यसन पूर्ति के लिए डकैती तथा लूट जैसे मामलों में लिप्त है। पुलिस रक्षा करने में असमर्थ है और डकैत पुलिस की भी राइफल लूट ले जाने में समर्थ हैं। राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार की अन्तिम सीमा को छू रहे हैं। नृत्यांगनाओं और अभिनेत्रियों जैसे व्यक्तित्व भारतवर्ष की सर्वोच्च राजनीतिक संसद के सदस्य बनाये जा रहे हैं जो नृत्य में मस्त हैं भले ही भूकम्प आ रहा है, सुनामी लहरें उठ रही हैं या काश्मीर में बर्फबारी हो रही है।

चेतावनी है उन सभी भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने अकूत दौलत इकट्ठी कर ली है। जो खाने के नाम पर केवल दवाई खाते हैं। मधुमेह के रोगी हो चुके हैं और जानते हैं कि सत्ता या दौलत उनके साथ नहीं जायेगी फिर भी योग्यता को ठुकरा रहे हैं तथा वीरप्पन जैसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। प्रकृति ने अब स्वयं समस्त नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है। शीघ्र ही फिर सुनामी उठेगी, फिर भूकम्प आयेंगे और फिर बर्फबारी होगी। हो सकता है शीघ्र ही प्रलय हो जाये और हम सब पुनर्जन्म के लिए इस जन्म से विदा लेने को विवश हो जायें।

◆

❑ भूकंप

विजयदशमी से पूर्व भूकंप का आना एक ऐसी चेतावनी है जैसी हनुमान जी ने रावण को दी थी जब वह लंका में उसे समझाने गये थे। चेतावनी को अनसुना करना समझने वाली बात को न समझना रावण के अन्त का कारण बना। मनुष्य की उच्छृंखलता इतनी बढ़ गयी है कि वह स्वयं को भगवान कहने लगा है। भारतवर्ष में अभी एक नेता ने स्वयं को जिन्दा देवी बताया और खुलेआम कहा कि देवी-देवताओं पर प्रसाद चढ़ाना और धन का दान करना बन्द कर दो और जो कुछ देना है मुझे दो। इसी प्रकार पशुओं का चारा खा जाने वाले नेता अपने विरुद्ध लगे आरोपों को निस्तारित नहीं होने देना चाहते, क्योंकि मुकदमा जब तक लम्बित रहेगा उन्हें सत्ता सुख प्राप्त होता रहेगा। एक नेताजी की तो आरती उतारी जानी आरम्भ हो गई है। उनके मित्र प्रयास कर रहे हैं कि घर-घर उनके चित्र लगाये जायें और आरती उतारी जाये। सिनेमा जगत के एक अभिनेता को भी भगवान बनाने का प्रयास जारी हैं।

बाहुबली खुलेआम घूम रहे हैं एक प्रान्त की पुलिस उनको पकड़ने में नाकामयाब है। काले हिरणों की हत्या करने वाला तथा फुटपाथ पर सोये लोगों पर कार चढ़ा देने वाला स्वतंत्र है। मुकदमा लम्बित है और उसकी मर्जी से तय होगा। जब गवाहियाँ मिट जायगी गवाह मर जायेंगे। हत्याओं, अपहरण और डकैती में लिप्त व्यक्ति राजनीति में विधायक और सांसद बन रहे हैं। कोई कानून नहीं है। फूलनदेवी ने सांसद बनकर सिद्ध कर दिया कि डकैती डालने और अपहरण के बाद भी वह सांसद बन सकती है और सांसद बनकर रेल को रोक सकती है। ऐसे बहुत से नेता हैं जिनके विरुद्ध हत्या और अपहरण के मुकदमे चल रहे हैं और वह जेल से चुनाव लड़कर विधायक या सांसद बनते हैं। अपने स्वार्थ में बनाया गया संविधान, कानून, देश को खा रहा है।

आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर है। दीपावली से दो दिन पूर्व

दिल्ली में एक साथ चारों स्थान पर बम विस्फोट के द्वारा आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री महोदय को धन्यावाद दिया है कि उन्होंने तीन स्थानों पर एल.ओ.सी. खोलकर उनको जो आने का निमंत्रण दिया है वह उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। यदि एल.ओ.सी. खुली रही। काश्मीर से सेना हटाई जाती रही, अपनी छवि सुधारने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति चलती रही तो निश्चित मानिये अब्दाली फिर आ जायेगा। गजनवी फिर सोमनाथ का मंदिर तोड़ेगा और गौरी उन्नीस बार हारकर फिर हमला करेगा। हम मूर्खता में शत्रु को छोड़ते रहेंगे और शत्रु जब एक बार पकड़ेगा तो आँखें निकाल लेगा।

वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि चिमनियों के धुएँ से ओजोन पर्त फट गयी है तथा सूर्य की किरणों के प्रभाव से बर्फ पिघल रही है। जल स्तर बढ़ेगा और कुछ शहर डूब सकते हें किन्तु मनुष्य पर कोई असर नहीं है। मिलों की चिमनियाँ धुएँ उगल रही हैं। गैस कम्पनियों से आग निगल रही हैं। मनुष्य अनियंत्रित होता जा रहा है। वन कट गये हैं। ज़मीन पर तालाब और झीलें पाट दी गयी हैं। मौसम नियंत्रण करने वाले वृक्ष शून्य हो गये हैं। इस सब का परिणाम प्रकृति की नाराजगी के रूप में जाहिर होता है। प्रकृति की नाराजगी सुनामी लहरों से, कैटरीना, रीटा और विल्मा जैसे तूफानों से और भयंकर भूकंप से जाहिर होती है। यदि हम स्वयं को नियंत्रित कर लें प्रकृति अपने आप नियंत्रित हो जायेगी। अन्यथा मनुष्य की भांति प्रकृति भी नियंत्रण खो सकती है।

राजनीति में सबसे अधिक भ्रष्ट व्यक्तियों का प्रवेश हो गया है। पारिवारिक विरासत राजनीति को बना दिया गया है। प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है। योग्यता को कोई नहीं पूछ रहा चारों तरफ अवसरवादिता, भाई भतीजावाद का बोलबाला है। ऐसे में यदि प्रकृति रुष्ट होकर भूंकप और तूफान, वर्षा तथा आँधी जैसी घटनाओं को अनियंत्रित कर देती हैं तो इसमें प्रकृति का क्या दोष। यदि प्रकृति को नियंत्रित करना है तो हमें स्वयं को नियंत्रित करना होगा। तभी भूकंप रुकेंगे तभी तूफान नियंत्रित होंगे।

◆

☐ मैं सच हूँ

मैं सच हूँ और नितान्त अकेला हूँ। मेरा कोई संगी साथी नहीं है सिवाय परमात्मा के। कुछ विद्वद्जन सत्य को ही परमात्मा मानते हैं और परमात्मा को सत्य मानते हैं लेकिन मैं केवल सत्य हूँ। मैं अकेला होने के कारण रोज़ मारक बाणों को झेलता हूँ। यह मेरी हठधर्मी है कि मैं जीवित हूँ।

झूठ के बहुत से संगी साथी हैं द्वेष, घृणा, अहंकार, लोभ, रिश्वत, बलात्कार, अपहरण, लूट आदि इसलिए झूठ बहुत कम पकड़ा जाता है। हाँ यह अवश्य है कि जब पकड़ा जाता है तो बड़ी दुर्गति होती हैं। इसके विपरीत सत्य को कभी-कभी सूर्य पर आये बादलों के समान दबाने का प्रयास किया जाता है किन्तु सत्य जब सामने आता है तो पहले से अधिक तेजस्विता के साथ आता है।

सुकरात सच्चा था। सुकरात स्वयं सत्य था इसलिए उसे ज़हर पीना पड़ा और मरना पड़ा। अनारकली का प्यार सच्चा था फिर भी उसे दीवार में चिनवा दिया गया। सिखों के गुरु और उनके बच्चे सत्य पथ पर डटे रहे और उनका कत्ल करा दिया गया। इंदिरा गाँधी सच्ची देशभक्त थीं और सत्य की पुजारिन थीं। सत्य उनके तन और मन से उद्भाषित होता था इसलिए उनको शहीद होना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री ने सच्चे मन से सेनाओं को पाकिस्तान को युद्ध में हराने का आदेश दिया था और सेनाओं ने उस सच्चे आदेश का सच्चे मन से पालन किया परिणामस्वरूप रूस में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। मीरा को भगवान कृष्ण से सच्चा प्रेम था वह सच्चे मन से अपने कृष्ण को समर्पित थीं इसलिए मीरा को भी ज़हर पीना पड़ा और तो और भगवान कृष्ण जो स्वयं सत्य स्वरूप हैं को भी अहंकारी कंस के द्वारा पूतना, नरकासुर, कालिया दमन जैसे राक्षसों का सामना करना पड़ा। स्वयं भगवान का अवतार होने के कारण उन्होंने अहंकार को झूठ को

परास्त कर दिया। इसी प्रकार भगवान राम को जो स्वयं सत्य और मर्यादा के अवतार थे झूठ रूपी सूर्पनखा ने सत्य के मार्ग से विचलित करना चाहा किन्तु ईश्वरीय अवतार होने के कारण सत्य की विजय हुई और झूठ के नाक कान कट गये।

मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक इस कोने से लेकर उस कोने तक अमेरिका, इंग्लैण्ड, भारत, जापान सभी देशों में सत्य पर सदैव हमले हुए कलियुग में झूठ का बल बढ़ जाता है। झूठ को परास्त करने के लिए सत्य को अवतार लेना पड़ता है और फिर वह अवतार झूठ का नाश करता है। रावण जो बहुत बड़ा विद्वान था केवल झूठ और संगी साथियों के कारण प्रभु राम के हाथों मारा गया। यदि रावण झूठे अहंकार में न फंसता और भगवान राम के समक्ष स्वयं को समर्पित कर देता तो आने वाले कई युगों तक उससे बड़ा विद्वान नहीं होता।

हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानने लगा था। आजकल भी नेताओं में स्वयं को भगवान घोषित करने का नशा चढ़ा हुआ है किन्तु जिस-जिस ने भी अपने आप को भगवान मानने का प्रयास किया उसका अन्त रावण जैसा ही हुआ। सत्य और झूठ में सदैव लड़ाई रहती है, विरोधाभास रहता है। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद में मतभेद रहा। प्रहलाद सत्य का अवतार था और हिरण्यकश्यप अहंकार और झूठ का, सत्य को मिटाने के लिए बड़े प्रयास किये गये। होलिका नाम के झूठ का सहारा लिया गया किन्तु झूठ रूपी होलिका जल गयी और सत्य रूपी प्रहलाद बच गया। महाराणा प्रताप, शिवाजी, झाँसी की रानी, बहादुर शाह 'ज़फ़र' सत्य के अंश थे इसलिए सम्मान से याद किये जाते हैं तथा अंग्रेज, मुग़ल जिन्होंने झूठ का सहारा लेकर भारत वर्ष की जनता पर अत्याचार किये आज घृणा की नज़र से देखे जाते हैं। सच की आवाज़ दबाने की हमेशा कोशिश की गयी लेकिन सच की आवाज़ कभी नहीं दबी। सच कभी नहीं दबा। बहादुर शाह 'ज़फ़र' को रंगून भेज दिया गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। लेकिन बहादुर शाह 'ज़फ़र', महारांणा प्रताप, झाँसी की रानी, शिवाजी आज भी जीवित है। अमर हैं वे लोग जो सत्य के लिए शहीद हो गये औरंगजेब जैसा बादशाह भुला दिया गया और गुरू गोविन्द सिंह सिखों के रूप में

आज भी जनमानस में हैं।

यह सच है कि सच को ज़हर पीना पड़ता है। महात्मा गाँधी को भी सीने पर गोलियाँ खानी पड़ीं लेकिन वह मर कर भी अमर हो गये। सारा संसार महात्मा गाँधी को मानता है देश में हर पल महात्मा गाँधी प्रत्येक नागरिक के सामने होते हैं और उनके हत्यारे का चित्र भी ढूँढ़ने से नहीं मिलता। अन्त में विजय सत्य की ही होती है जैसा कि पाण्डवों की कौरवों पर हुई। अहिंसा की अंग्रेज़ों पर हुई।

झूठे अहंकारी, लोभी, रिश्वती, लुटेरे व्यक्ति इतिहास में कभी स्थान नहीं पाते। गोस्वामी तुलसी दास को जिन लोगों ने सताया अपमानित किया वह आज काल पात्र में कहीं नहीं हैं और तुलसी दास हर हिन्दू के हृदय में और घर में विराजमान हैं क्योंकि तुलसीदास ने लिखा है- **कहहिं सत्य प्रिय वचन विचारी** और इसलिए राम से पहले तुलसीदास का नाम आता है। सत्य की शक्ति महान है सत्य सूरज की भाँति है और झूठ कोहरे तथा बादलों के समान है। चन्द्रमा सत्य का रूप है और ग्रहण झूठ का अवतार है। सत्य अनश्वर है और झूठ क्षणिक। सच मरकर भी ज़िन्दा रहता है और झूठ पल पल मरता है। सत्य ध्रुव की भांति है और झूठ ध्रुव को डिगाने का प्रयास है। प्रयास नष्ट हो गये किन्तु ध्रुव आज भी अटल है।

मैं सच हूँ क्योंकि मैं झूठ नहीं हूँ और मुझे विश्वास है शीघ्र ही मेरा सच सूर्य की भाँति उजागर होगा। तभी लोग मुझे पहचानेंगे। अभी तो झूठ का साम्राज्य बादलों की तरह सच के सूर्य को ढकने का प्रयास कर रहा है। करने दो तमाम उम्र कोई भी बादल कभी भी सूर्य को नहीं ढक सकता। प्रतीक्षा है सच के सूर्य के आकाश पर प्रकाशित होने की।

◆

❐ देश की सोचिये

संसद और विधान सभा में साफ सुथरे, मर्यादित, सुसंस्कृत व्यक्ति पहुँचाने चाहिए लेकिन हो रहा है उल्टा। घोटालों में लिप्त व्यक्ति, आतंकवादियों के शरणदाता व व्यभिचार में नामित व्यक्ति वर्तमान में संसद में बैठे हुए हैं। सांसद और मंत्री हो जाने के पश्चात् अपने विरुद्ध सभी लम्बित मामले दबाने की ताकत तो उनमें आ ही जाती है और यही कारण है कि ऐसे मामले पचासों बरसों से लम्बित पड़े हुए हैं क्योंकि उसमें कोई न कोई सांसद अथवा विधायक लिप्त हैं। संसद की मर्यादा समाप्त हो चुकी है। अकेले डॉ. मनमोहन सिंह या श्रीमती सोनिया गाँधी क्या कर सकती हैं जब चारा घोटाले में लिप्त व्यक्ति देश को चला रहा हो। यही हाल विधानसभा का है बिहार में तो सर्वोत्कृष्ट नमूना प्रजातंत्र का देखने को मिला जब घोटाले में पकड़े गये मुख्यमंत्री जी ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। न्यूनतम योग्यता का न होना ऐसे व्यक्तियों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। धिक्कार है सांसदों और विधायकों को जो अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन न्यूनतम योग्यता की बात नहीं करते। सेवा की गणना तो करते हैं सेवा कार्य को गुणा भाग करके बताते हैं तथा सेवाकाल के लिए वेतन और भत्ते का खून मुँह लग गया है कि उसे त्यागने का मन ही नहीं होता। होना चाहिए था कि 75 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति सांसद या विधायक न बन सके। जो तीन सत्र संसद में और विधानसभा में रह चुका है उसे स्वयं ही हट जाना चाहिए लेकिन इसके विपरीत हो रहा है। अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि श्री कब्ज़ानंद जी ने पिछले नौ सत्र से लगातार संसद में सीट हथिया रखी है और अब 80 वर्ष होने के बाद भी वह अगला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वोटरों को उलझाने के लिए वह कहते हैं कि मैंने तो मरते दम तक देशसेवा करने का प्रण ले रखा है। अतः मरने से पहले न संसद छोड़ूँगा

न कुर्सी छोड़ूँगा और उनको देखने से नहीं लगता कि वह अभी आने वाले बीस-पच्चीस साल तक मृत्युलोक त्यागने की स्थिति में होंगे। जब महोदय को यहीं पर सत्ता के माध्यम से स्वर्ग का सुख मिल रहा है तो वह अनदेखे स्वर्ग जाने की इच्छा क्यों करें। इस प्रकार धीरे-धीरे भारतीय संसद और विधानसभा टूटी-फूटी प्रतिभाओं से भरती जा रही है। जो कुछ भी करने में असमर्थ हैं वे देश के भविष्य का निर्णय अपने सचिवों के माध्यम से पुत्रों के माध्यम से मित्रों के माध्यम से ले रहे हैं।

एक बार सांसद या विधायक बन जाने के पश्चात् वे अपने ऊपर लगे आरोपों अथवा घोटालों से सम्बंधित मुकदमों का निस्तारण नहीं होने देना चाहते। उनके सत्ता बल के कारण मुकदमे लम्बित रहते हैं जांच चलती रहती है। गवाह मरते रहते हैं और गवाही टूटती रहती है। यही हाल बाहुबलियों का है। बीस-बीस साल तक मुकदमों का निस्तारण नहीं होता और कभी-कभी तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में भी असहाय सी लगती है और यदि गिरफ्तार हो भी गये तो जेलों में उनका ऐसा ही दरबार लगता है जैसे घर पर लगता था। वे वहीं से बैठे-बैठे फरमान जारी करते रहते हैं। परिणामस्वरूप जो शासन उनका घर पर चलता था वही जेल में भी चलता है।

न्यायालयों में पता नहीं क्या हो गया है कोई भी मुकदमा पन्द्रह-बीस वर्ष से पहले तय नहीं होता। यही स्थिति आयोग की है एक बार जो आयोग गठित हो जाता है वह बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस वर्ष तक चलता रहता है। सन् 84 में हुए दंगों का हिसाब 2005 में होता है। 1980 में दुर्घटनाग्रस्त हुए कनिष्क विमान के सैकड़ों यात्रियों का श्राद्ध पच्चीस वर्ष बाद किया जाता है और यही कारण है कि विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने वाले लोग बच गये। किसी भी आयोग की आयु दो वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। देश हित में परम आवश्यक है कि न्यायालयों में अदालतें मुकदमों का निपटारा एक वर्ष के अन्दर-अन्दर कर दें और आयोगों की आयु अधिकतम दो वर्ष निश्चित होनी चाहिए। आयोगों के गठन में सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्त नहीं किये जाने चाहिए। इनमें जनता में से अथवा कार्यरत

न्यायाधीश जिनकी आयु सेवानिवृत्ति तक ही सीमित हो, ही लेने चाहिए। जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया उसे अक्ल से भी निवृत्त मानकर ज़िम्मेदारी सौंपना राजा की मक्खी उड़ाने के लिए बन्दर की नियुक्ति के समान है। वह देश हित की कभी नहीं सोच सकता। क्षमा करें देश के निर्माता, इस नियम पद्धति में आमूल-चूल परिर्वतन होना चाहिए। एक बार सेवानिवृत्त तमाम उम्र के लिए सेवानिवृत्त।

देश में हड़तालों और तालाबंदियों पर और इनके समर्थक दलों पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिए। जो मज़दूर हड़ताल करते हैं और जो मालिक तालाबंदी करते हैं दोनों पर ही समान कानून लागू होना चाहिए यदि कोई उद्योगपति हानि के कारण अपना उद्योग बन्द करना चाहते हैं तो सरकार को चाहिए कि वह उस उद्योग को या तो स्वयं चलाये अथवा अन्य किसी उद्योगपति को बेच दे। इसी प्रकार हड़ताल करने वाले समस्त मज़दूर गिरफ्तार कर लिये जाने चाहिए। उस दल के नेताओं को जो हड़ताल कराते हैं गिरफ्तार कर लिये जाना चाहिए। अथवा तमाम उम्र के लिए जेल में डाल दिया जाना चाहिए। मज़दूरों की छटनी के नाम पर हड़ताल करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो मालिक नौकरी पर रखता है वह आवश्यकता न होने पर निकाल भी सकता है। नौकरी पर रखने के समय आप गिड़गिड़ाते हैं और निकालते समय आप घुरघुराते हैं। जो मालिक आपका वेतन नहीं दे सकता वह यदि आप को निकाल रहा है तो यह कोई पाप नहीं है। आप नौकरी पर रखे जाने की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। समस्त वामपंथी दलों को इस तथ्य से आगाह कर दिया जाना चाहिए।

पुराने बन्द पड़े उद्योगों के मालिकों को चाहिए कि वह उनको चलाने का प्रयास करें यदि स्वयं नहीं चला सकते तो ठेके पर दे दें। यदि मज़दूरों की हड़ताल के कारण अथवा हठधर्मी के कारण उद्योग बन्द हुआ है तो सरकार को सख़्ती से निपटना चाहिए। इसी प्रकार बिजली, रोडवेज़, चीनी मिल तथा अन्य सभी उद्योग जो सरकार स्वयं चला रही है, उनको निजी क्षेत्र में दे देना चाहिए। सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है उद्योगों, उद्योगपतियों तथा कार्यरत कर्मचारियों व मज़दूरों की रक्षा करना है। जितनी भी इकाइयाँ सरकार द्वारा चलायी जा

रही हैं वे सभी हानि में जा रही है इसलिए आवश्यक है कि सभी सरकारी उद्योग निजी क्षेत्र में दे दिये जायें।

आतंकवादी, बाहुबली वह व्यक्ति बनते हैं जो अविवाहित रहते हैं। बार बालायें तथा कालगर्ल वे महिलायें बनती हैं जो अविवाहित रहती हैं। अविवाहित युवक-युवतियों पर विशेष निगाह रखी जानी चाहिए क्योंकि यह मानना एक दम दुश्वार है कि अविवाहित व्यक्ति यौन सुख से वंचित रहता है। बल्कि इसके विपरीत अविवाहित व्यक्ति की यौन प्रक्रियायें विकृत हो जाती है जो समाज के लिए अत्यन्त दूषित वातावरण बनाती है। महिलाओं के नौकरी करने पर और उनके अविवाहित रहने पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। महिलाओं को आरक्षण की नहीं संरक्षण की आवश्यकता है और यह संरक्षण उनको घर के अन्दर ही मिल सकता है, घर के बाहर नहीं। महिलाओं को आरक्षण बन्द कर दीजिए उनका नौकरी पर जाना बन्द कर दीजिए और घर की चारदीवारी से बाहर निकलना प्रतिबंधित कर दीजिए बलात्कार अपने आप समाप्त हो जायेंगे। बलात्कारों पर विचार होते ही इसलिए है क्योंकि महिलाएँ घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर स्वयं ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जहाँ आसानी से वह बलात्कारी और व्यभिचारी की शिकार हो जाती है। महिला माँ, पत्नी, बहन, अथवा बेटी के रूप में ही अच्छी लगती है, अविवाहित स्त्री के रूप में नहीं।

समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता तुरन्त दूर होनी चाहिए। बैंक में काम करने वाले क्लर्क को सीमा सुरक्षाबलों के मुकाबले अधिक वेतन देने का कोई औचित्य नहीं है। सिपाही और डाकिये का वेतन इतना होना चाहिए कि यदि वह ईमानदारी से रहना चाहे तो उसे घूसखोरी का सहारा न लेना पड़े। स्टेट बैंक के चपरासी का वेतन यदि सिपाही के वेतन से अधिक है तो यह देश का दुर्भाग्य है और इससे बड़ी आर्थिक असमानता हो ही नहीं सकती। जिस पर देश की जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है उसका वेतन उतना ही अधिक होना चाहिए। ए.सी. कमरे में काम करने वाले न्यायाधीश का वेतन पहाड़ की चोटी पर बर्फ में खड़े हुए फौजी जवान से अधिक नहीं होना चाहिए। इस संबंध में वांछित मूल्यांकन की आवश्यकता है। पुलिस इंस्पैक्टर का वेतन जो हर वक्त

अपनी जान पर खेलते हैं, बैंक के क्लर्क से कम होता है, जो आपत्तिजनक है। देशहित में सोचने वालों को सदैव ही आर्थिक तनाव से मुक्त रखना चाहिए अन्यथा वह अपने दायित्व का पालन सुगमता से नहीं कर सकते।

देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य वर्तमान में फिल्में और टी.वी. सीरियल हैं लेकिन भ्रष्ट राजनेताओं की समझ में यह बात नहीं आ रही है। चूंकि हर नौ के बाद दसवां नेता बलात्कार और व्यभिचार में डूबा हुआ है और वही समय टी.वी.सीरियल का होता है जो समय वह घर से बाहर रहकर यौन सुख की तलाश में भटकता है इसलिए न तो वह टी.वी. देख पाता है और न फिल्म यदि वह सिनेमा में भी अपनी किसी महिला मित्र के साथ जाता है तो फिल्म देखने की नौबत ही नहीं आती क्योंकि वह सिनेमा के बॉक्स में बैठकर शूटिंग में व्यस्त हो जाता है। इसलिए किसी नेता को दिखाई नहीं दे रहा, किसी अफसर को भी दिखाई नहीं दे रहा कि फिल्मों में कितनी नग्नता आ गई है और इसका दुष्प्रभाव उनके अपने ही बच्चों पर क्या पड़ रहा है। नेताओं और अधिकारियों के बच्चे लूटपाट, अपहरण और डकैती जैसे जुर्मों में गिरफ्तार किये जा रहे हैं क्योंकि भौतिक सुख में आकंठ डूबे हमें देश के बारे में सोचने की चिन्ता ही नहीं है। बच्चे जो देश का भविष्य हैं उन पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है। लड़का रात किस समय आया और उसने खाना कहाँ खाया लड़की क्या कपड़े पहन कर गयी थी और घर सही सलामत लौटी कि नहीं यह जानने की फुर्सत ही नहीं है। परिणाम-स्वरूप देश गर्त में जा रहा है।

हम जितनी अपेक्षा देश से रखते हैं उतना ही हमें देश के बारे में भी सोचना चाहिए। बिजली की कमी सर्वव्यापी है और साथ-साथ बिजली की चोरी भी सर्वविदित है। घने बसे हुए मुहल्ले में रहने वाले कटुवा डालकर बिजली की चोरी करते हैं। बिजली विभाग भी इस चोरी में लिप्त है। यदि हमें थोड़ा सा भी देश से प्रेम है तो बिजली की चोरी पर रोक लगनी चाहिए और साथ ही बिजली विभाग के कर्मचारियों का यह दायित्व है कि वह बिजली की चोरी रोकने का प्रयास करें तथा अकारण ही सड़कों पर जो बिजली जलती रहती है उसके बन्द करने

की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

रेल जो हमारे यातायात का प्रमुख साधन है अक्सर उसमें बिना टिकट यात्रा करते हुए यात्री पकड़े जाते हैं। इसमें रेलवे कर्मचारी और यात्री दोनों ही दोषी हैं। यदि दोनों में से एक को भी देश की चिन्ता हो तो कोई भी यात्री बिना टिकट यात्रा नहीं कर सकता। बिना टिकट यात्रा करना अपराध ही नहीं पाप भी है क्योंकि जो आपका बोझा ढो रहा है उसे उसका उचित मुआवज़ा मिलना चाहिए। जहाँ यात्रियों का कर्तव्य है कि वह बिना टिकट यात्रा न करें वहीं यह भी आवश्यक है कि वह फर्जी टिकट जारी करने वाले टी.टी.ई. और बिना टिकट यात्रा कराने वाले टी.टी.ई. की खबर ले।

अक्सर सुनने को मिलता है कि नगरपालिका को पूरा कर देने के बाद भी पानी की दिक्कत रहती है। समय पर पानी नहीं आता किन्तु हमारा भी यह कर्त्तव्य है कि पानी को निरर्थक न बहायें सड़कों और चौराहों पर टोटियों को खुला न छोड़ें। असमाजिक तत्वों को नल की टोटियाँ न चुराने दें और अपने घर के नलकों को भी बन्द रखें। यदि हम इतना सब कुछ कर लेते हैं तब ही हमें नगरपालिका से शिकायत करने का अधिकार मिलता है अन्यथा जब तक हम जागरूक नहीं हैं तब तक हमें बिजली और पानी की कमी रहेगी।

हम स्वार्थ में देश हित, समाज हित, जन हित सब कुछ भूल जाते हैं। ज़रा सी कोई दुर्घटना सड़क पर होती है, बिजली की कमी का बवाल होता है या पानी की कमी अनुभव होती है। हम तुरन्त सड़क पर ज़ाम लगा देते हैं। यह नहीं सोचते कि जाम लगाने से कितना नुकसान है और किसका नुकसान है। जो यात्री बसों में इस जाम के दौरान फंस जाते हैं वह तो दुराशीष देते ही हैं और जो रोगी जाम के कारण समय पर चिकित्सा न मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं उनका पाप जाम लगाने वालों पर आता है। जाम किसी समस्या का हल नहीं है। जाम लगाना केवल मात्र नारेबाजी और हुल्लड़बाजी है। जिस यात्री को समय पर पहुँचना था और मुकदमे की तारीख पर उपस्थित होना था वह जाम में फंसने के कारण समय पर उपस्थित नहीं हो पाता और जाम लगाने वालों से घृणा हो जाती है। जाम नहीं लगाने चाहिए जाम

लगाने से कोई उपलब्धि नहीं है।

यही स्थिति हड़तालों की है कचहरी में व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए अधिवक्तागण हड़ताल कर देते हैं जिससे करोड़ों रुपये की हानि होती है। न्यायालय में काम नहीं होता जबकि अधिकारियों को वेतन देना ही पड़ता है। सैकड़ों वादी प्रतिवादी खाली हाथ लौट जाते हैं। इसका भी कष्ट अवर्णनीय है। कितनी मजबूरी में किस किस प्रकार से पैसा इकट्ठा करके व्यक्ति मुकदमे में आता है और सुनवाई न होने पर लौट जाता है। अधिवक्ताओं का नैतिक दायित्व है कि वह हड़ताल न करें किन्तु यदि अधिवक्तागण नहीं मानते हैं तो बार कौंसिल/उच्चन्यायालय/ सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।

यदि अपने आप को बचाना है, यदि अपनी संतान को बचाना है, यदि हमें बिजली पूरी चाहिए, यदि हम सड़क पर सुरक्षित चलना चाहते हैं, यदि मंहगाई को कम करना है, आतंकवादियों को नष्ट करना है। खेल में, युद्ध में, विज्ञान में, अध्यात्म में, साक्षरता में, गरीबी दूर करने में, पोलियो उन्मूलन में तथा विश्व बन्धुत्व में अग्रणी होना है तो देश के लिए सोचना पड़ेगा। यदि देश कमज़ोर हो जायेगा तो आप कमज़ोर हो जायेंगे और जो कमज़ोर होता है उस पर सब हावी हो जाते हैं।

◆

❐ दंगा

1947 ई. से पहले भी दंगे-फिसाद होते होंगे क्योंकि दंगा शब्द नया नहीं है किन्तु यह मेरी याद से पहले की बात है। सन् 36 में जन्म लेने के पश्चात् केवल 11 वर्ष की आयु में सन् 47 ई. में दंगों का अनुभव हुआ। रोज़ सुनने को मिलता था आज पाकिस्तान से आने वाली हिन्दुओं से भरी रेलगाड़ी में कोई जीवित नहीं था। अगले दिन पढ़ने को मिलता कि पाकिस्तान जाने वाली गाड़ी में सवार मुसलमानों से बदला चुका लिया गया। कभी कलकत्ता में, कभी पंजाब में, दंगे के समाचार अखबारों में मिलते रहते। दंगे रोकने के कई उपाय किये गये। महात्मा गाँधी के बयान छपे लेकिन कारगर कुछ नहीं हुआ, दंगा चलता रहा, दंगा होता रहा और चलते-चलते दंगे को 58 वर्ष बीत गये। आज भी दंगे की वही भयानक स्थिति है जो सन् 1947 ई. में थी।

दंगे का जन्म कब होता है और दंगे का जन्म क्यों होता है यदि इस पर गहनतापूर्वक विचार किया जाये तो दंगे को जन्म वही देते हैं जिन्हें अपनी नफरत को दूसरे के खून से ठंडा करना होता है अथवा दो समुदायों के बीच दंगा कर अपनी जेबें भरने का उद्देश्य मुख्य होता है। बम्बई में गैंगवार होती है और दंगा भड़क उठता है। कलकत्ते में वामपंथी दल और अन्य दलों में वर्चस्व के लिए दंगा भड़कता है।

किसी मिल में हड़ताल होती है अथवा तालाबंदी करनी पड़ती है तो मजदूर दंगे पर उतारू हो जाते हैं। आपस में बच्चे खेलते-खेलते झगड़ने लगते हैं और यदि वह अलग-अलग सम्प्रदाय के हैं तो दंगा तुरन्त भड़क उठता है। नल पर पानी भरने आई महिलाओं के बीच कहा-सुनी होती है झपटा-झपटी होती है। मर्द बाहर निकल आते है दंगा शुरू हो जाता है हथियार खुलकर चलते हैं। देश में अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए दुश्मन दंगे का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करता है। कभी किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाकर दंगा भड़का दिया जाता है।

दंगा एक जुनून होता हैएक नफरत की आग होती है जिसके पीछे छिपी होती है महत्वाकांक्षा। जिस प्रकार आग के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता उसी प्रकार दंगाइयों के खिलाफ कार्यवाही करने में परेशानी आती है और दंगे से बड़ा अन्याय तब होता है जब सन् 84 में हुए दंगों का निर्णय 21 वर्ष बाद अदालत से नहीं आयोग द्वारा होता है। 21 वर्षों में कथानक बदल जाते है। सत्य को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। गवाह मर जाते हैं अथवा बिक जाते है। आयोग में सेवानिवृत्त न्यायाधीश बैठाये जाते हैं। जो सेवानिवृत्त इसलिए किये गये थे क्योंकि जिस पद पर वह कार्य कर रहे थे उस पद पर कार्य करने के योग्य उन्हें नहीं पाया गया। उनकी आयु व थकान के कारण उनके अंग-प्रत्यंग इतने शिथिल हो जाते हैं कि वह सेवानिवृत्त कर दिये जाते हैं। उन्हीं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को, न्यायमूर्तिगण को महत्वपूर्ण आयोग का सदस्य बना दिया जाता है। बलिहारी है नियम कानूनों की और यही कारण है कि शिथिल व्यक्ति शिथिलता से कार्य करता है और निष्कर्ष तक पहुँचने में 21 वर्ष लग जाते हैं। हमारी न्यायिक प्रणाली इतनी सस्ती, सुलभ और शीघ्र है कि एक-एक प्रान्त में कई-कई लाख मुकदमे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज़िला स्तर के न्यायालय में यदि कोई मुकदमा 20 साल से पहले तय हो जाता है तो अवश्य ही वादी अथवा प्रतिवादी का भाग्य साथ दे रहा होता है अन्यथा प्रक्रिया ही ऐसी है कि कोई भी मुकदमा आसानी से तय नहीं हो सकता।

यदि हम दंगे के कारणों पर विचार करें तो दंगा बदला लेने की भावना से जुड़ा होता है। दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए। कत्ले-आम हुए और निर्दोष लोग मारे गये लेकिन ऐसा क्यों हुआ यह दंगा क्यों भड़का? सिख जो हिन्दू समाज का ही एक अंग हैं उनके विरुद्ध जनमानस में नफरत की आग क्यों प्रज्वलित हो गयी। सिख विरोधी दंगे का ज़िम्मेदार था भिंडरावाला जिसने स्वर्ण मंदिर में छुपकर पंजाब को आग में झोंकने का प्रयास किया था। जिसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी को आप्रेशन ब्लू स्टार का उद्घोष करना पड़ा। जिससे व्यथित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी के सिख अंगरक्षक ने उनकी हत्या कर दी। परिणाम-स्वरूप श्रीमती गाँधी के समर्थक/प्रशंसक/सहयोगियों

का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने हीट ऑफ प्रोवोकेशन के आधीन होकर सिखों पर हमले करने शुरू कर दिये। हम इंदिरा गाँधी की हत्या से दुखी व्यक्तियों द्वारा की गयी बदले की कार्यवाही को अगर पीछे ले जाकर देखें तो जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं है जिन्होंने सिखों पर हमला किया बल्कि इसकी जड़ भिंडरावाले से आरंभ होती है।

यही बात गुजरात में हुई। जब गोधरा में रेल के डिब्बों में सवार व्यक्तियों को आग में जला दिया गया तो उनके समर्थक, उनके सम्प्रदाय के लोगों तथा परिजनों व पुरजनों का गुस्सा भड़कना स्वाभाविक था। आप एक व्यक्ति को मार दें और जब उसके अपने, आपको मारें तो आप उसे दंगा कह दें और दंगाइयों के नाम पर मृत व्यक्ति के समर्थकों का उत्पीड़न शुरू कर दें। जिस अधिकार से गोधरा में रेल डिब्बों में एक सम्प्रदाय ने आग लगाई वहीं अधिकार दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को स्वतः प्राप्त हो गया कि वह उन लोगों से बदला लें जिन पर उन्हें शक है कि इन्होंने आग लगाई होगी। आग जब फैलती है तो वह पानी से ही बुझ सकती है। यदि मन में पानी जैसी शीतलता हो तो बदले की आग स्वतः बुझ जायेगी। दंगों के संदर्भ में यह जांच करानी आवश्यक है कि दंगे का कारण क्या था और भविष्य में उस कारण को रोकना आवश्यक है। दंगाइयों को चिन्हित करने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। क्योंकि दंगे के शोरगुल में दंगे की आग में चेहरे पहचानना और चेहरे याद रखना सम्भव ही नहीं है। इस प्रयास में यह अवश्य हो सकता है कि दंगे से पीड़ित व्यक्ति बदले की भावना से किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा दे लेकिन असली दंगाई को पहचानना सम्भव नहीं है।

पंजाब में आतंकवाद का दौर दौरा रहा। कश्मीरी पण्डित अपना घरबार छोड़कर दिल्ली में बैठे हैं। पुनः पंजाब में आतंकवाद की चिंगारी नज़र आ रही है इसे रोकना चाहिए क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नपुंसक या पौरुषहीन नहीं है तो वह अपने परिजनों की लाश को देखकर चुप नहीं बैठ सकता और नीति का उपदेश भी यही है कि शठे शाठयम् समाचरेत!!

अभी हाल ही में गोहाना (हरियाणा) में दंगा हुआ। होन्डा कम्पनी

ने कुछ मज़दूरों की छंटनी कर दी। जिसके विरोध में मज़दूरों ने हड़ताल कर दी धरना दिया। पुलिस के समझाने बुझाने पर भी जब मजदूर नहीं माने तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा होगा। विरोध में आकर मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियाँ फूंक दी और दंगा भड़क उठा। पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो इसमें पुलिस का क्या दोष। यदि आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं तो कानून भी अपना काम करेगा अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास करेगा भले ही उसमें बल प्रयोग क्यों न करना पड़े।

इसी प्रकार एक दहेज हत्या के सम्बन्ध में मोदी नगर में सड़क पर जाम लगाया गया। महिला एस.डी.एम. और पुलिस के समझाने पर भी जनता अपनी ज़िद पर अड़ी रही। धक्का-मुक्की के दौरान अधिकारियों के कपड़े फाड़ दिये गये जिस पर फोर्स का गुस्सा भड़क उठा और उसे लाठी चार्ज करना पड़ा। इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग व्यर्थ है। यदि फोर्स के सामने आप अधिकारी का अपमान करेंगे तो फोर्स को चुप बैठने की सलाह नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद गोहाना के समर्थन में फिर जाम लगाये गये और ऐसा लगता है अब पुलिस का यही काम रह गया है कि जाम खुलवाने का प्रयास करती रहे और जाम के दौरान बल प्रयोग करने पर पथराव सहे तथा अपनी जली हुई गाड़ियों को घटना स्थल से घसीट कर ले जाये तथा बाद में न्यायिक जांच के लिए तैयार रहे क्योंकि भारत में लोकतंत्र है जहां नेता सबसे शक्तिशाली होता है।

आवश्यकता है मूलभूत परिवर्तन की। आरक्षण और तुष्टिकरण समाप्त करने की। जिस क्षेत्र के लोग दंगा करते हैं वहाँ सामूहिक जुर्माना किया जाना चाहिए। जहाँ पुलिस गलती पर है वहाँ पुलिस का वेतन काट कर पीड़ित व्यक्तियों की सहायता की जानी चाहिए। सेवा निवृत्त न्यायाधीश अथवा अधिकारियों के आयोग नहीं बनाये जाने चाहिए बल्कि जनता में से निस्वार्थ व्यक्तियों से जांच करके ऐसे मामलों का एक सप्ताह के भीतर निपटारा कर दिया जाना चाहिए तभी दंगे रुक सकते हैं।

जब तक आपस में भाईचारा अथवा अपनत्व की भावना नहीं

आयेगी तब तक दंगे नहीं रुक सकते दंगाइयों में बदले की भावना होती है एक जुनून होता है। चूंकि मेरे सम्प्रदाय के लोग मारे गये हैं अतः मैं उन दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को ज़रूर मारूँगा जिन्होंने मेरे सम्प्रदाय के लोगों को मारा है अथवा जिन पर मुझे शक है। इस भावना पर काबू करना ही दंगे रोकने का एकमात्र आधार बन सकता है अन्यथा हम कितने भी आयोग बैठालें अथवा टाईटलर से त्याग पत्र ले लें या हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्षमा मांगते घूमें जनता का हृदयपरिवर्तन नहीं कर सकते।

तुम मारोगे तो मैं मारूँगा का सिद्धान्त महाभारत तथा रामायण काल में भी उपलब्ध रहा है। यदि तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं भी कुछ नहीं कहूँगा एक सर्वमान्य सिद्धान्त है। यदि हम इस सिद्धान्त को मानने लगेंगे तो देश से दंगे समाप्त हो जायेंगे। अन्यथा न दंगे रुक सकते हैं न दंगे रुके हैं और दंगाइयों के शक में निर्दोष घसीटे जाते हैं और घसीटे जाते रहेंगे।

◆

❒ सावधान–'आपकी बेटी कहाँ जा रही है'

जिस तरह से आतंकवाद के प्रशिक्षण कैम्प चल रहे हैं और नौजवानों को पाकिस्तान द्वारा गुमराह किया जा रहा है तथा आतंकवादी प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं ठीक उसी प्रकार कुछ नौजवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, आर्थिक सहायता दी जा रही है कि वह भोली-भाली सम्भ्रांत परिवारों की हिन्दू लड़कियों को अपने जाल में फंसाये। किसी दिन का भी अखबार उठाकर देख ले आपको कोई न कोई सलीम, सावित्री, आभा या कमला के साथ सम्बद्ध नज़र आयेगा। अतः ध्यान देना आवश्यक है कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है क्या कर रही है, ताकि संस्कृति को, समाज को, आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सके, क्योंकि यदि एक लड़की खराब होती है तो उसका प्रभाव समाज पर संस्कृति पर तथा आने वाली नस्लों पर पड़ता है। इसके विपरीत यदि एक लड़का खराब होता है तो केवल एक परिवार ही भूचाल ग्रस्त होता है।

घर से निकलते समय आपकी लड़की ने जो जींस और उसी से मिलती-जुलती कमीज पहन रखी है वह कितना बदन को ढक रही है और कितना उजागर कर रही है इस पर ध्यान देना आवश्यक है। इस बारे में चर्चा होने पर एक-दो बार यह सुनने को मिला है कि लड़कियाँ जो कपड़े पहनकर आती हैं उसके माध्यम से वह खुद ही लड़कों को आमंत्रित करती हैं कि वह आकर उनसे बात करें, उनसे दोस्ती करें। सम्भव हो सके तो जीन्स टॉप के पहनावे पर रोक लगा दी जानी चाहिए। पढ़ने वाली बच्चियों को सलवार, कुर्ता और दुपट्टा ही पहनना चाहिए।

जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है। आवश्यकतानुसार कभी-कभी यह जांच किया जाना भी ज़रूरी है कि वह, वहीं गयी है जहां के लिए उसने कहा था अथवा कहा कुछ और था गयी कहीं और है। इस सम्बन्ध में यदि आप जांच करेंगे तो हो

सकता है आप अपनी बेटी को बचाने में कामयाब हो जायें। इस सम्बन्ध में कभी-कभी आप एक सप्ताह का उसका स्कूटी का माइलेज भी चैक कर सकते हैं। जिस दिन वह किसी विशेष स्थान के लिए कहकर गयी है उसकी दूरी से भी आप उसके आने-जाने की जानकारी रख सकते हैं। यह भी देखना आवश्यक है कि उसकी स्कूटी के लिए आपने कितना धन पेट्रोल के लिए दिया है और वास्तव में खर्च कितना हुआ है। कॉलेज में भी कभी-कभी जाकर यह जानकारी करना की आपकी सुपुत्री नियमित रूप से कॉलेज में अपनी कक्षा में उपस्थित रहती है अथवा नहीं यदि नहीं रहती तो कहाँ रहती है।

प्रत्येक लड़की के हाथ में आज-कल मोबाईल का होना आवश्यक हो गया है, एक फैशन हो गया है। एक स्टेटस सिंबल हो गया है। आपकी बेटी के पास भी अवश्य ही मोबाईल होगा। जांचने की कोशिश कीजिए कि मोबाईल का मासिक बिल कितना आ रहा है अथवा कितनी कॉल की जा रही है। किसी विशिष्ट नम्बर पर यदि दिन में कई बार कॉल की गयी है तो उस नम्बर तक पहुँचना बहुत आवश्यक है। कभी-कभी यह भी चैक कीजिए की देर रात्रि में मोबाईल पर फोन आया है तो किसका है आपके घर पर जो टेलीफोन लगा है उसको इन्टरकनेक्ट कर लीजिए तथा कभी-कभी यदि आपकी सुपुत्री टेलीफोन पर बात कर रही हो तो इन्टरकनेक्शन के ज़रिये यह जानने की कोशिश कीजिए की बात कहाँ और किससे हो रही थी। कभी-कभी मोबाईल बिटिया से ले लिया कीजिए और मोबाईल का पोस्टमार्टम करा कर यह जानने का प्रयास करें कि एक ही दिन में कितनी कॉल की गयी। किस-किस पर की गयी और महीने भर में मोबाईल का कितना बिल दिया गया।

आपकी बेटी शाम का खाना घर पर खाती है या नहीं इस पर भी निगाह रखनी आवश्यक है यदि घर पर नहीं खाती है तो कभी-कभी यह जानने का प्रयास कीजिए कि उसने कहाँ और किसके साथ खाना खाया है बहुत से भेद अपने-आप खुलते चले जायेंगे। जो कपड़े आपकी सुपुत्री पहन रही है, जो घड़ी उसकी कलाई में बंधी हुई है या जो चप्पल उसके पास है वह वही है जो आपने दिलाई थी अथवा वह

नहीं है। यदि आपके दिलाये हुए कपड़े, घड़ी और चप्पल आपकी बिटिया के बदन को सुशोभित नहीं कर रहे हैं तो यह जानने का प्रयास कीजिए कि वह कपड़े, घड़ी और चप्पल किसने दिलाये हैं। यदि सुपुत्री यह कहती है कि यह उसकी सहेली के हैं तो सहेली का नाम पूछिये और फिर उस सहेली से पूछिये कि वास्तव में विनिमय के आध ार पर उसने अपने कपड़े आपकी सुपुत्री को दिये हैं अथवा नहीं।

बुरा मत मानिये कभी-कभी अपनी पुत्री के पर्स की भी जाँच कीजिए उसमें क्या रखा हुआ है यह जानना आपके लिए आवश्यक है। अभी रेलवे पुलिस ने एक लड़के-लड़की को जब पकड़ा तो लड़के की जेब से नशे की गोली और लड़की के पर्स से कंडोम निकला। सच मानिये आपकी सुपुत्री के पर्स में कंडोम नहीं निकलेगा किन्तु सर्तकता के लिए जांच आवश्यक है।

यह आपकी बेटी के जीवन का प्रश्न है हो सकता है कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा हो अथवा अनजाने में ही नई टैकनीक के आधार पर उसका कोई आपत्ति जनक फोटो खींच लिया गया हो या ब्लू फिल्म बना ली गयी हो। आपकी सुपुत्री इन सब बातों का खुलासा आपसे कभी नहीं करेगी किन्तु यह आपका दायित्व है कि आप सतर्क रहे और सर्तकता के लिए जांच आवश्यक है। आपके पास अपनी बिटिया के दोस्तों/सहेलियों की लिस्ट होनी चाहिए और उस पर उनके फोन नम्बर भी होने चाहिए। ताकि आप यह जांच सकें कि वह इस समय कहाँ है क्योंकि अक्सर लड़कियाँ सहेलियों के यहाँ जाने की बात करती है और वहाँ नहीं पहुँचती है। कोई भी लड़की अपने ब्लैक मेल होने की बात नहीं बताती है। इसका पता आपकी सतर्कता से चल सकता है। उसकी घबराहट, भूख न लगना, मोबाईल सुनते-सुनते चेहरा पीला पड़ जाना, अचानक ही फोन सुनकर चल देना, नींद न आना, तथा नशे की गोलियाँ खाना, आदि ऐसे चिन्ह है जिनसे आप यह जानकारी कर सकते हैं कि आपकी बिटिया के पीछे कोई ब्लैकमेलर तो नहीं पड़ा है। हर समय चहचहाने वाली पुत्री उदासी में डूब गयी है, आँखों के नीचे गहरे काले निशान पड़ गये हैं। हँसना भूल गयी है तो उसे विश्वास में लेकर जानकारी करने का प्रयास करे कि वह किसी

ब्लैकमेलर की ब्लू फिल्म का शिकार तो नहीं हो गयी है।

अपनी बेटी की आदत और रुचियाँ आप जानते हैं। अक्स्मात परिवर्तन देखकर भी यदि आप नहीं चौंकते हैं तो यह आपकी बदकिस्मती सिद्ध हो सकती है। आपकी पुत्री रात को देर से घर आती है और आपको यह पता नहीं चलता कि वह कहाँ से आ रही है यह बड़े दु:ख और लापरवाही की बात है। यदि आप पुत्री के पिता हैं तो आपका यह दायित्व है कि आप अपनी पुत्री के चरित्र की रक्षा करें उसको शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाये। कभी-कभी पुत्री के पास बैठकर विशेषकर जब वह रात को खाना खाकर आई हो बातें करें और बात करते-करते इतने करीब हो जाये कि उसके मुँह से यदि कोई दुर्गन्ध आ रही है तो आप उसे पकड़ सके। देर रात्रि आने पर आप रोक लगा सकते है। यह छूट भी आपने ही दी है।

यदि आपकी पुत्री बाहर पढ़ रही है तो अत्यन्त आवश्यक है कि यह जानना कि उसका मासिक खर्चा कितना है जितना आप देते हैं उतने में ही पूरा हो जाता है अथवा नहीं। यदि आपके दिये से अधिक खर्चा हो रहा है तो वह अधिक कहाँ से आ रहा है। इस बारे में यदि आप सर्तक नहीं रहेंगे तो आपकी लुटिया डूबनी सुनिश्चित है।

और भी बहुत से तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपनी बेटी को सुनियोजित षड्यंत्र से बचा सकते हैं। उसके चरित्र की और अपने परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकते हैं। जब आप बाज़ार जायें तब भी चौकन्ने रहे। हो सकता है आपकी बिटिया वहाँ किसी से बात करती नज़र आ जाये। अक्सर ऐसा होता है चाट, कॉफी अथवा अन्य किसी मनोरंजन के स्थान पर लड़का लड़की मिलने का कार्यक्रम बना लेते हैं और वहाँ पर उनकी भेंट आसानी से हो जाती है।

सावधान रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कोई सलीम अपनी बहन सलमा के माध्यम से आपकी सीमा को लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलने के लिए बहका रहा हो, फुसला रहा हो अथवा प्रलोभन दे रहा हो।

सही उम्र में पुत्री का विवाह कर देना एक उत्तरदायित्व को पूर्ण करना तो है ही पारिवारिक प्रतिष्ठा का भी कारण है उस लड़की को

समाज अच्छी नज़रों से नहीं देखता जो सही समय और सही उम्र पर विवाह करने के लिए मना कर देती है। आवश्यक है कि आप भी इस बात की जानकारी करें कि आपकी सुपुत्री यदि विवाह करने को मना कर रही है तो क्यों। अविवाहित लड़कियों का समाज में रहना निषिद्ध होना चाहिए। बेटियाँ घर की मर्यादा है यह मर्यादा अपनी सीमा में रहनी चाहिए। समय पर प्रत्येक कन्या का सम्मानपूर्वक डोला उठना आवश्यक है।

पढ़ाई भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी पारिवारिक दृष्टिकोण से आवश्यक है जिससे माताएँ सीता की तरह अपने लव-कुश सरीखे पुत्रों को शिक्षित कर सके। लड़कियों को बहुत अधिक पढ़ाना और नौकरी के दृष्टिकोण से पढ़ाना एकदम अनुचित है। 99 प्रतिशत नौकरी करने वाली स्त्रियों को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं कई प्रकार के शोषण का शिकार होना पड़ता है इन सबसे बचने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक मान्यताओं के साथ बेटियों को विवाह करने के लिए ही पढ़ाया जाये।

◆

❐ के.एस. सुदर्शन सही हैं

श्री के.एस. सुदर्शन माननीय सर संघचालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का यह कथन बिल्कुल सही और ग्रहण करने योग्य है कि हिन्दु जनसंख्या बड़ी तेज़ी से घट रही है और इसका एक मात्र कारण यह है कि हिन्दुओं में परिवार-नियोजन के अर्न्तगत एक या दो बच्चों का जन्म हो रहा है। इसके विपरीत मुस्लिम समुदाय में कम से कम एक दम्पत्ति के घर छः या सात बच्चे जन्म लेते हैं। परिवार नियोजन मुस्लिम समुदाय द्वारा नहीं अपनाया जा रहा है क्योंकि वह इसे इस्लाम विरोधी मानते हैं।

हिन्दुओं में एक-पत्नी प्रथा बहुत समय से है और भारतवर्ष का कानून भी एक व्यक्ति एक पत्नी पर आधारित है जबकि मुस्लिम समुदाय में एक व्यक्ति को शरीयत के हिसाब से चार विवाह करने की अनुमति है। अर्थात् एक मुस्लिम युवक एक साथ चार पत्नी रख सकता है और भारतवर्ष का कानून उस पर लागू नहीं होता जबकि एक हिन्दू युवक कानूनन केवल एक ही पत्नी रख सकता है।

भारतवर्ष में जब तक समान आचार संहिता और प्रत्येक निवासी के लिए एक ही कानून लागू नहीं होगा तब तक जनसंख्या असंतुलन बना रहेगा। हिन्दू अल्पसंख्यक हो जायेंगे और मुस्लिम बहुसंख्यक हो जायेंगे। परिणाम अच्छा नहीं होगा क्योंकि मुस्लिम समुदाय 1947 ई. से मुखर होकर हिन्दू विरोधी हुआ है और आतंकवाद के रूप में भारतवर्ष की सुख शांति भंग करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। परिवार नियोजन का मुस्लिम समुदाय आरम्भ से ही विरोध करता रहा है। तथा पोलियो पल्स का भी विरोध करता है और अपने बच्चों को दवा नहीं पिलाने देता। दवा पिलाने वालों के साथ मारपीट की घटनाएँ भी सामने आयी है।

कल्पना कीजिए यदि आपने जनसंख्या संतुलन नहीं किया और श्री के.एस.सुदर्शन जी की बात नहीं मानी तो परिणाम क्या होगा। ईश्वर न

करे काश्मीर जैसा हो क्योंकि काश्मीर से तो पण्डितों को भगा दिया गया अथवा मार दिया गया। जिन्हें भागना पड़ा उन्हें भारतवर्ष में शरण मिल गयी किन्तु यदि भारतवर्ष से हिन्दुओं को भागना पड़ा तो कहाँ जायेंगे।

मेरा कहना है कि जब तक सरकार समान आचार संहिता और पूरे देश में प्रत्येक समुदाय के व्यक्ति के लिए एक कानून की पद्धति नहीं लागू करती है प्रत्येक हिन्दू परिवार को श्री के.एस.सुदर्शन जी की बात पर विचार और अमल करना चाहिए।

◆

❑ मुसलमान और हिन्दुस्तान

मुसलमान कौन हैं, मुसलमान कहाँ से आये हैं क्या मुसलमान जनसमुदाय के बगैर हिन्दुस्तान में काम चल सकता है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनके बारे में अगर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो एक ऐसी समस्या हल हो सकती जो बहुत समय से परेशान कर रही है। ऐसी समस्या हल हो सकती है जिसका कोई हल नहीं मिला है।

बाबर के साथ गिने-चुने मुसलमान आये थे। गुणात्मक तरीके से यदि देखा जाये तो भी मुसलमानों की संख्या इतनी नहीं हो सकती जितनी हो गयी है। मुगल शासकों विशेषकर औरंगज़ेब के ज़माने में बहुत से हिन्दुओं ने मुसलमान होना स्वीकार कर लिया। कुछ को मुसलमान होने के लिए विवश किया गया और कुछ स्वेच्छा से मुसलमान हुये। जिन्होंने इस प्रकार से धर्मान्तरण किया उनके शजर-ए-खानदान को अगर देखा जाये तो स्पष्ट रूप से पूर्वजों के नाम हिन्दू पाये जायेंगे। आज भी बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो जानते हैं कि हमारे पूर्वज हिन्दू थे।

कुछ हिन्दू स्वेच्छा से मुसलमान हुए इनमें उनकी संख्या ज़्यादा है जो भोग वादी प्रवृत्ति के थे। हिन्दुओं में एक व्यक्ति एक पत्नी का कानून भी था और धर्म और समाज के अनुसार भी एक व्यक्ति एक पत्नी का सिद्धान्त और नियम था। मुसलमानों में चार पत्नियाँ रखने का अधिकार कानूनन था और धर्म भी चार पत्नियों के पक्ष में था। इसलिए कुछ लोग एक से अधिक पत्नी रखने के शौक से भी मुसलमान हुए।

उपरोक्त के अलावा सनातन धर्म के प्रतिबन्धों ने भी हिन्दुओं को धर्म-परिवर्तन के लिये विवश किया। जितने प्रतिबंध सनातन धर्म में हैं इतने किसी भी धर्म में नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति धार्मिक नियमों से बंधा हुआ है। इन नियमों को कुछ लोग ईश्वर का आदेश समझकर मानते हैं तो कुछ लोग इनको बंधन महसूस करते हैं।

इनसे बचने के लिए भी बहुत से हिन्दुओं ने मुसलमान धर्म ग्रहण किया।

वास्तविकता यह है कि 75 फीसदी मुसलमान हिन्दु से मुसलमान हुए हैं। बहुत से मुसलमानों को इस बात की जानकारी है कि उनके वंशज हिन्दू थे ऐसे सभी मुसलमानों को अपने उदगम धर्म में लौटना चाहिए। यदि बाबा हिन्दू थे और पोता किसी विवशता के कारण अथवा स्वेच्छा से मुसलमान हो गया है तो इस समय उसके पास एक सुनहरा अवसर है। उसे तुरंत अपने मूल धर्म में लौट आना चाहिए। जहाँ मुसलमानों को अपने धर्म में लौटना उचित एवं सही है वहीं हिन्दुओं को भी चाहिये कि वह ऐसे हिन्दुओं को अपनायें। उनसे भेदभाव न रखें। उनसे उसी प्रकार सम्बन्ध बनायें जैसे हिन्दुओं में आपस में होते हैं।

भारतवर्ष में क्या यदि सम्पूर्ण विश्व में देखा जाये तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो विशेष रूप से मुसलमान ही करते हैं अथवा कर सकते हैं। जैसे ड्राइवर, राज, मज़दूर, मैकेनिक तथा अन्य लुहार व बढ़ई के कार्य। इन कार्यों में अधिकतर मुसलमान ही लगे मिलेंगे। ऐसे व्यवसायों में हिन्दू बहुत कम हैं। इससे स्पष्ट कि मुसलमानों के बगैर इन व्यवसायों के लिए आदमी नहीं मिलेंगे और मुसलमानों के बगैर काम भी नहीं चलेगा। लेकिन आवश्यक यह है कि मुसलमानों को अपनी मूल की धारा में लौटना होगा। जिन मुसलमानों के पूर्वज हिन्दू थे उन्हें फिर से हिन्दू बनना होगा इससे केवल मुसलमान और हिन्दू का ही कल्याण नहीं होगा बल्कि मुसलमानों को भी आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत लाभ होगा। आतंकवाद के खात्मे के लिए हिन्दू मुसलमान दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा और यह उस प्रयास की दिशा में पहला और ठोस कदम होगा।

◆

❑ नष्ट होती राष्ट्रीय सम्पत्ति

महाराज धृतराष्ट्र के काल में भी राष्ट्रीय सम्पत्ति इतनी नष्ट नहीं हुई होगी और उसका ह्रास इतना नहीं हुआ होगा जितना वर्तमान में हो रहा है। चारों तरफ केवल अपनी कुर्सी, अपनी जेब और अपने पद के चक्कर में प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है। राष्ट्र की किसी को चिंता नहीं है। व्यक्तिगत धन बढ़ता रहे भले ही राष्ट्र और उसकी सम्पत्ति नष्ट होती रहे, उसका ह्रास होता रहे, उसका दुरूपयोग होता रहे। राष्ट्रीय सम्पत्ति, धन समय और पद का किस प्रकार दुरूपयोग होता है इसके सैकड़ों उदाहरण हैं किन्तु प्रमुख रूप से यदि देखा जाये तो अरबों रुपयों की सम्पत्ति रेल, सड़क, टेलीफोन, तथा थाने में अभीग्रहीत गाड़ियों के माध्यम से बचाई जा सकती है।

रेलों की दुर्घटना होती है, दुर्घटनाग्रस्त डिब्बे/कोच न ठीक होते हैं और न नीलाम होते हैं। किसी भी स्टेशन पर आप देखें तो अनुपयोगी सामान आपको पड़ा हुआ मिलेगा जो यदि बेच दिया जाता तो उससे धनागम हो सकता था किन्तु धूप हवा पानी और चोरी झेलता हुआ रेलवे का सामान नष्ट होता रहता है और उसका समय पर नीलाम किया जाना या बेचा जाना सुनिश्चित नहीं होता। जो लकड़ी के स्लीपर, रेलें, तार व नट बोल्ट आदि उपयोग के लायक नहीं रहते वह वैसे ही छोड़ दिये जाते हैं। उनका कोई पुरसा हाल नहीं होता। कतिपय स्टेशनों पर तो टूटे-फूटे कोच भी आपको मिल जायेंगी जो धूप हवा पानी से नष्ट हो रहे हैं। किसी को भी चिंता नहीं है। मेरे घर के सामने से रेल निकलनी चाहिए। मेरे गांव में रेल रुकनी चाहिए। मुझे रेल से अधिक लाभ प्राप्त होना चाहिए। मेरा पद बना रहना चाहिए। सब इसी की चिंता में लगे हुए हैं। बिना टिकट यात्रा करने वालों को हम नहीं पकड़ सकते किन्तु अनुपयोगी सामान तो हमारी आँख के सामने रहता है और उसको हम पकड़ ही सकते हैं।

इसी प्रकार टेलीफोन के तार और खम्बे काफी हद तक बेकार हो गये हैं। आप रेल में सफर करेंगे तो आपको मिलेगा कि खम्बे झुके पड़े हैं तार टूटे पड़े हैं। शहर में भी अन्डर ग्राउन्ड तार बिछाये जाने के कारण तथा टॉवर के प्रयोग के कारण खम्बे और उन पर लगे हुए तार अनुपयोगी हो गये हैं किन्तु फिर भी न वह बेचे जा रहे हैं न ही उनका कोई और सदुपयोग हो रहा है। टेलीफोन के तार घरों में कपड़े सुखाने के काम आ रहे हैं, जनता, खम्बे और तार निजी प्रयोग में ला रही हैं। खम्बे टीन, छप्पर तथा अस्थायी निर्माण में प्रयोग हो रहे हैं। जो चोरी हो सकता है वह सामान चोरी हो रहा है किन्तु समय रहते इस सामान को नीलाम नहीं किया जा रहा। यदि यह सामान यह अनुपयोगी खम्बे तार आदि नीलाम कर दिये जायें तो करोड़ों रुपये की आय हो सकती है और जनता चोरी करने से बच सकती है। विभाग को देखभाल पर जो खर्चा करना पड़ता है वह बच सकता है।

थानों में अभिग्रहीत की गयी गाड़ियाँ यदि गणना कराई जाये तो लाखों की संख्या में होंगी। एक-एक थाने में 5 से लेकर 50 गाड़ियाँ तक अभिग्रहीत खड़ी हैं। कहीं-कहीं तो संख्या इससे भी अधिक है। यह गाड़ियाँ खड़े-खड़े गल रही हैं। जर रही हैं और पुर्जों की चोरी झेल रही हैं किन्तु 10-10 वर्ष से अभिग्रहीत गाड़ियाँ जिनकी छतें गल गयी हैं उनको नीलाम नहीं किया जा रहा। यदि थाने में खड़ी गाड़ियों को एक निश्चित अवधि के बाद सुनिश्चित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् नीलाम कर दिया जाये तो राष्ट्रीय आय तो होगी ही। देखभाल का खर्चा भी बचेगा।

सड़कें बनती हैं, किन्तु नालियाँ नहीं बनतीं। सड़कों के बनाने पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं किन्तु लाखों रुपये खर्च करके नालियाँ नहीं बनवाई जातीं। नतीजा होता है कुछ ही दिनों में सड़क खराब हो जाती है क्योंकि पानी का और तारकोल का बैर है। इससे एक लाभ तो होता है कि ठेकेदार को एक बार तो सड़क बनाने का ठेका मिलता है और बाद में सड़क ठीक करने का ठेका मिलता है और ठेका कैसे मिलता है उसमें कितनी अनुग्रह राशि का लेनदेन होता है वह यदि गिनती में न भी ली जाये तो भी सड़क के पुनर्निमाण में होने वाला व्यय तो राष्ट्रीय हानि है क्योंकि यदि पहले नाली बनती और बाद में सड़क

बनती तो सड़क खराब नहीं होती जो धन तथा मानव शक्ति इस सड़क में एक बार लगती वह दुबारा कहीं और उपयोग हो सकता थी।

बिजली की चोरी के रूप में जो राष्ट्रीय सम्पत्ति का ह्रास होता है। वह किसी से भी छुपा नहीं है। सघन बस्तियों में और कतिपय दादागिरी वाले इलाकों में तारों पर कटुवें डालकर बिजली का प्रयोग घरों में होता है और वहाँ चाहकर भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। मीटर से चोरी तो रोकी जा सकती है किन्तु कटुवों के माध्यम से बिजली चोरी के रूप में जो राष्ट्रीय सम्पत्ति और धन का नाश होता है उस पर अंकुश लगाना कठिन प्रतीत होता है। बिजली का दुरुपयोग स्वयं बिजली के कर्मचारी खुलकर करते हैं।

प्रत्येक सरकारी कार्यालय में पुराने कूलर, फर्नीचर, अलमारी व रद्दी आदि ढेर के ढेर पड़े हुए मिलेंगे। राजधानी में ही कई कार्यालय ऐसे हैं जहाँ फर्नीचर टूटा-फूटा पड़ा है, कूलर उपयोग में नहीं आ रहा है। अलमारी गल गयी है। फाइलें पुरानी हो गयी हैं। यदि फर्नीचर, पुराने कूलर अलमारी आदि की समय रहते मरम्मत करा ली जाये तो यह उपयोग में आ सकती हैं और यदि मरम्मत के लायक नहीं हैं तो उन्हें नीलाम कर देने से आय हो सकती है। रद्दी बेच दी जाये तो उससे भी सरकारी कोष में धनागम हो सकता है।

राष्ट्रीय सम्पत्ति आँखों के सामने नष्ट हो रही है, उसका ह्रास हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। उसकी देखभाल पर खर्चा अलग हो रहा है। किन्तु हम धृतराष्ट्र बने हुए हैं और देखकर सुनकर भी चुप हैं। कितने महान और कितने धन्य हैं हम, यह अविवादित है।

यदि समय पर कार्यवाही की जाये तो रेलों का अनुपयोगी सामान, टेलीफोन का अनुपयोगी सामान कार्यालयों के फर्नीचर व अन्य अनुपयोगी सामान तथा थाने में खड़ी हुई अभिग्रहीत गाड़ियाँ नीलाम करके अरबों रुपयों का कोष राष्ट्र को प्राप्त हो सकता है। सड़कों से पहले यदि नालियाँ बना दी जायें तो सड़कों पर होने वाला व्यय कारामद हो सकता है। जाने कब हम व्यक्तिवाद से उठकर राष्ट्रवाद की ओर बढ़ेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह सम्बन्धित जनों को सद्बुद्धि दे ताकि राष्ट्र समृद्ध हो सके।

◆

❐ चुनाव

चुनाव फिर सिर पर आ गये हैं। बड़े-बड़े प्रत्याशी, नये और पुराने मैदान में एकत्रित हो रहे हैं। सवाल पार्टी चुनने का है और पार्टी चुनने के पश्चात पार्टी प्रत्याशी को चुनती है। कुछ पार्टियाँ प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए सहयोग देती हैं तो कुछ पार्टियाँ प्रत्याशी से लेती हैं। जिनके पास वोट बैंक है उनको पार्टी फंड में करोड़ों से भी अधिक रुपये प्राप्त हो जाते हैं और जिनका वोट बैंक नहीं है उनको करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। जनसेवक कहलाने वाले नेता आखिर क्यों करोड़ों रुपये खर्च करके राजनीति में आते हैं। कोई भी घाटे का सौदा वर्तमान में नहीं करना चाहता तो यह स्वीकार करने में क्या हर्ज है कि हम करोड़ों खर्च करते हैं अरबों कमाने के लिए। देश सेवा, जन कल्याण, समाज हित यदि अरबों की आमदनी के बाद भी गाहे-बगाहे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। कभी किसी ने नहीं सोचा और जनता को सोचने की फुर्सत कौन देता है। यह राजनीतिज्ञ इतनी उलझनें पैदा कर देते हैं कि जनता उनमें उलझकर रह जाती है तथा वह यह सोचने का समय नहीं निकाल पाती कि आखिर पचास-पचास वर्ष से कोई व्यक्ति घर-बार छोड़कर राजनीति में क्यों मर खप रहा है। हर साल क्यों एम.एल.ए., एम.पी. का चुनाव लड़ता है। जान का खतरा होने पर भी सुरक्षा कर्मियों के सहारे क्यों राजनीति में बना रहता है।

भारत में कहने के लिए लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है किन्तु वास्तव में देखा जाए तो जो राजनेता आज़ादी के दिन से ही एम.एल.ए. या एम. पी. की कुर्सी पर विराजमान हैं वे प्रजातंत्र की परिभाषा में किस प्रकार आते हैं। क्या प्रजातंत्र की परिभाषा यह है कि एक क्षेत्र से एक ही व्यक्ति को प्रत्येक चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाए और उसे येन-केन प्रकारेण जिता कर मंत्री पद सौंप दिया जाए। शायद नहीं किन्तु इस नहीं तक हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं और उन्हीं प्रत्याशियों की हाँ में

हाँ मिला रहे हैं जो अजगर की तरह 1947 ई. से राजनीति पर कब्जा किये हुए हैं।

प्रजातांत्रिक देश में यह आवश्यक है कि कोई आचार संहिता अथवा कोई चुनाव नियमावली बनाई जाए जिसमें विशेष रूप से यह प्रावधान हो कि कोई भी व्यक्ति दस वर्ष (दो टर्म) से अधिक एम.पी., एम.एल. ए. अथवा मंत्री पद पर विराजमान नहीं रहेगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा जो उपरोक्तानुसार 10 वर्ष तक एम.एल.ए., एम.पी. अथवा मंत्री रहा है। इसी प्रकार आयोगों के अध्यक्ष भी निश्चित अवधि के लिए होने चाहिए यह नहीं कि कनिष्क या नानावती आयोग की तरह जाँच 20 वर्षों तक होती रहे और आयोग के नाम पर धन लुटता रहे। नये व्यक्तियों को अवसर दिया जाना चाहिए और पुराने व्यक्तियों को अपने निजी धंधे के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि दो टर्म तो बहुत होते हैं बहुत से एम.पी., एम.एल.एल. अथवा मंत्री एक टर्म में ही इतने समृद्धशाली हो जाते हैं कि वह राष्ट्रीय स्तर की करोड़ों की बजट की पार्टी खड़ी कर सकते हैं। यह पुराने बूढ़े खुर्राट, राजनीतिज्ञ नये व्यक्ति को ना आने देना चाहेंगे और ना ही उसको प्रत्याशी बनाना चाहेंगे क्योंकि यह तिरंगे में लिपटकर मरना चाहते हैं। इससे पहले की इनकी यह ख्वाहिश हो पूरी जनता को चाहिए कि वह इनका कार्यकाल पूरा कर दे और इन्हें दो टर्म से अधिक राष्ट्र का खून चूसने से रोके। यह झूठ-मूठ के देश सेवक सत्ता सुख में इतने आकंठ डूब चुके हैं कि इनको उभरने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। इनको पूरी तरह से डूबा कर अदृश्य कर देना ही देश हित में होगा।

हमें अनुभवी व्यक्तियों के नाम पर इन पुराने स्वार्थी व्यक्तियों को अपना नेता नहीं चुनना चाहिए। नया व्यक्ति भी राजीव गाँधी और अरुण जेटली की तरह सफल राजनीतिज्ञ हो सकता है। अनुभव के नाम पर यह पुराने-पुराने साँप कुर्सी पर कुंडली जमाए बैठे हैं। इनको भागना होगा। इनकी जगह नये व्यक्तियों को अवसर देना होगा। तभी भारतवर्ष प्रथम शक्ति के रूप में उभर सकेगा। विदेशों में आजीवन सत्ता में बने रहने का कोई नियम नहीं है वहाँ जो प्रधानमंत्री अथवा मंत्री बनता है वह आमरण बार-बार इन पदों को सुशोभित नहीं करता वल्कि हर टर्म

के बाद नये व्यक्ति नये चेहरे सामने आते हैं और मन में देश के लिए कुछ करने का उत्साह होता है। वह उखाड़-पछाड़ में विश्वास नहीं रखते बल्कि देश हित में ठोस कार्य करके दिखाना चाहते हैं। जिस प्रकार इन्दिरा गाँधी ने एक समय में कामराज योजना को जन्म दिया था, उसी की पुनः आवश्यकता है। ताकि पुराने दाढ़ी वाले साँपों से हम बच सके।

जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा लम्बित है भले ही उसका निर्णय न हुआ हो उसका राजनीति में किसी भी पद के लिए प्रत्याशी बनाना अथवा चयनित करना देश के साथ गद्दारी है। भले ही मुकदमा झूठा दायर किया गया हो किन्तु जिसके खिलाफ मुकदमा दायर हो गया है वह मुकदमा निस्तारित होने के बाद ही प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए अन्यथा वह न्याय को भी प्रभावित करेगा और सच्चे मामले में भी साफ छूट जाएगा। जिससे जनता में आक्रोश होगा। जिस व्यक्ति के विरुद्ध घोटाले लम्बित हों उसको अथवा उसके परिवार के किसी व्यक्ति को एम.पी., एम.एल.ए. अथवा मंत्री पद के अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए वर्ना घोटाले का कोई निर्णय नहीं होता और पति के स्थान पर पत्नी, भाई अथवा बेटी पदासीन हो जाते है और न्याय को प्रभावित करते हैं।

एक निश्चित योग्यता शिक्षा के संदर्भ में एम.एल.ए., एम.पी. अथवा मंत्री की सुनिश्चत होनी चाहिए। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता अथवा कहाँ और किस अभिलेख पर हस्ताक्षर करने हैं उसको नहीं पढ़ सकता ऐसे व्यक्ति को उपरोक्त तीनों पदों पर चयनित करना उचित नहीं है।

विधायकों अथवा सांसदों को सरकारी गाड़ी, सरकारी टेलीफोन नहीं मिलने चाहिए केवल आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। मनोरंजन के नाम पर कोई कोष भी नहीं होना चाहिए। इनकी सुरक्षा का भी कोई प्रबन्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि राजनीति में आने का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंगरक्षक प्रदान किये जायें। जो एम.एल.ए, एम.पी. अथवा मंत्री बनने से पहले अंगरक्षक नहीं रखता था उसको इन पदों पर आने के लिए अंगरक्षक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि इन लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो यह ऐसे काम नहीं करेंगे जो

जनहित में ना हों क्योंकि यह जन विरोधी कार्य करते हैं इसलिए जनता के क्रोध से बचने के लिए इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर वही एम.पी., एम.एल.ए. अथवा मंत्री जनता के क्रोध के शिकार हुए हैं जो भ्रष्टाचारी थे और भ्रष्टाचारी व्यक्ति की सुरक्षा करना राष्ट्र हित में नहीं है। सांसदों और विधायकों को क्षेत्र के विकास के नाम पर जो करोड़ों रुपये दिये जाते हैं उसका पूर्णतः दुरुपयोग होता है अतः यह परिपाटी बंद होनी चाहिए तथा इनको सत्र समाप्त होने के पश्चात् जो पेंशन दी जाती है वह भी राष्ट्र कोष का दुरुपयोग है। जन-प्रतिनिधियों को जनता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का अर्थ है कि वह जन विरोधी कार्य कर रहे हैं। उस व्यक्ति को जिसे जनता से सुरक्षा की आवश्यकता है जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए।

एम.पी., एम.एल.ए. अथवा मंत्री पद पर आसीन व्यक्ति की संपत्ति की पद पर नियुक्त होने से पहले की और बाद की जाँच होनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि हर मंत्री अरबपति है और हर राजनीतिज्ञ करोड़पति। जनता को सचेत होना होगा कि यह ग़रीब़ी हटाओ के नाम पर देश को कितना गरीब कर रहे हैं और जनता को कितना धोखा दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति यदि इन पदों पर प्रत्याशी हों तो उनका घेराव करना चाहिए, उनके हराने का पूरा प्रयास करना चाहिए जब तक इस संबंध में कानून नहीं बनता जनता को स्वयं निर्णय लेना होगा।

आज देश एकतंत्र की ओर जा रहा है। पचास-पचास वर्ष से एक क्षेत्र से एक ही व्यक्ति प्रत्याशी हो रहा है जन प्रतिनिधि कहलाकर सत्ता सुख भोग रहा है जबकि प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए किन्तु बाहुबली दूसरे को आने नहीं देना चाहते। अपने विरुद्ध खड़े प्रत्याशी को मरवा देना इन राजनीतिज्ञों के लिए खेल है इसलिए आवश्यकता है ऐसे कानून की जो नये नौजवानों को आगे लाये, पुराने पापियों को सत्ता से हटाये। एक ही व्यक्ति बार-बार विरासत के तौर पर, सियासत के तौर पर या रियासत के तौर पर राजनीति का प्रयोग न कर सके।

◆

❑ जनता जाग्रत हो

दागी मंत्रियों का मुद्दा विपक्ष को राम मुद्दे की भांति व्यस्त रखने के लिए खड़ा हो गया है। संसद में देश हित की बात करना, देश हित की सोचना एक स्वप्न-सा लगता है। केवल व्यर्थ के मसलों में सारा समय निकल जाता है और संसद स्थगित हो जाती है जनता को जागना होगा क्योंकि राजनीतिज्ञ यदि जागता है तो केवल अपने लिए और यदि सोता है तो देश के लिए उसे किसी की चिंता नहीं है। केवल अपनी और अपनों की चिंता है। देश की कोई चिन्ता किसी राजनीतिज्ञ को नहीं है। यदि चिन्ता होती तो वह व्यक्ति जो करोड़ों का घोटाला कर चुका है हत्या जैसे अपराध में लिप्त है, अपहरण जिसका पेशा है और जो अपनी स्वयं की सेना भी रखता है, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को उसकी जान के खतरे का एहसास कराता है। ऐसे व्यक्ति के विधान सभा या संसद का प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए। यदि कुछ स्वार्थी लोगों ने ऐसे किसी भ्रष्ट निकृष्ट व्यक्ति को प्रत्याशी बना भी दिया है तो हमें उसे वोट नहीं देना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और उन्हें मजबूर करना चाहिए कि वे पहले अपने मुकदमे तय करायें। उसके बाद मुकदमे के निर्णय के अनुरूप उन्हें राजनीति में प्रवेश का अधिकार होना चाहिए। हमें न्यायपालिका को भी सचेत करना होगा कि वह हत्या, अपहरण, आतंकवाद जैसे मुकदमों को अधिक से अधिक छः महीने में निस्तारित करे। हम अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। हमें अपने दायित्वों का एहसास नहीं है। आज अदालतों में न्यायाधीशों के स्थान रिक्त पड़े हुए है किन्तु कोई भी आंदोलन इस सम्बन्ध में नहीं हुआ है। राजनीतिज्ञों के मुकदमे कातिलों के मुकदमे आतंकवादियों के मुकदमे तुरन्त निस्तारित होने चाहिए। यह अपराध करके मुकदमे में अपनी जमानत कराकर चुनाव भी लड़ जाते हैं और खुले घूमते रहते हैं जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। हमें अपने दायित्व

का पालन करने के लिए जाग्रत होना पड़ेगा ताकि अपराधी व्यक्ति राजनीति में न जा सके।

यह हमारी मूकदर्शक रहने की प्रवृत्ति आज राजनीति को विरासत और रियासत की ओर धकेल रही है। एक सत्र में सांसद बनकर यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो उसके पास इतना साधन हो जाता है कि वह अपनी एक निजी राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर ले और अल्पकाल में ही लगभग एक अरब की सम्पत्ति का स्वामी बन जाता है। सी.बी. आई. उसकी सम्पत्ति का ब्यौरा एकत्रित करने के बाद भी उस पर हाथ डालते हुए हिचकती है। घोटाला पकड़े जाने के बाद जब मुकदमा दर्ज होता है तो जमानत कराकर मंत्री सांसद या विधायक पद पुनः प्राप्त हो जाता है।

आज के दैनिक जागरण (12.06.2004) में पृष्ठ दो पर ऊपर की ओर दाहिने हाशिये में लिखा है कि नजमा हेपतुल्ला 24 वर्ष से कांग्रेस की राज्यसभा की सदस्य रह चुकी है और भाजपा ने उनको राज्यसभा की सदस्यता का प्रत्याशी घोषित किया है। 24 वर्ष तक राज्यसभा की सदस्यता करना क्या जागीरदारी से कम है। क्या लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र और गणतंत्र यही है कि एक ही व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक राज्यसभा का सदस्य बना रहे। क्या यह राजशाही नहीं है। गणतंत्र का अर्थ है कि राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। 24 वर्ष बहुत होते हैं अब यह स्थान किसी नये व्यक्ति को दिया जाना चाहिए था। संविधान में संशोधन के लिए आवाज़ उठायी जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति दो सत्र से अधिक मंत्री सांसद या विधायक नहीं होगा। प्रजातंत्र और गणतंत्र में विधायक या सांसद होना देश के प्रति एक उत्तरदायित्व है। देश की सेवा का माध्यम है। इसको व्यवसाय बनाकर मरते दम तक कुर्सी पर कब्जा किए रहना येन केन प्रकारेण संसद या विधानसभा में पहुँचना देश के प्रति अन्याय है। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा कि संविधान में वांछित संशोधन हो।

जनता को जागना ही होगा और राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में मूकदर्शक बनकर रहना न देश हित में होगा, न जन हित में होगा। यदि जनता जागेगी नहीं तो सत्तारुढ़ पार्टी हारे हुए व्यक्तियों को येन-केन

प्रकारेण या तो राज्यपाल बना देगी या राज्यसभा सदस्य मनोनीत कर देगी। इस प्रकार जिन लोगों को आपने राजनीति से बाहर कर दिया था वह आपके सर पर बैठ जायेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीतिज्ञों को जो चुनाव में हार गये हैं किन्तु खुशामद, व्यक्तिगत सम्बन्धों के आधार पर या तो राज्यपाल बन गये हैं या राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मनोनीत हो गये हैं। हमें ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में आने से रोकना होगा भले ही इसके लिए जन आन्दोलन करना पड़ें। मूकदर्शक बने रहना और तटस्थ होकर प्रत्येक बात को यह कहकर टाल देना कि जो होना है होने दो हमें क्या है अपराध से कम नहीं है। स्वयं श्री रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है- **"रामकथा में नहीं पाप का भागी केवल व्याध-जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध।"**

आज आतंकवाद सरकार के कब्जे से बाहर है। बड़ी बहादुर कहलाने वाली पार्टी, हिन्दुत्व पर लाठी उण्डे के साथ समर्पित व्यक्तियों से समर्थित पार्टी आतंकवाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। सड़क से मंदिर तक और मंदिर से संसद तक आतंकवाद फैल गया और हम आतंकवादियों से बातचीत का बहाना ढूँढते रहे। आर-पार की लड़ाई की बात करते रहे। ड्रामाई अन्दाज़ में स्टेज पर तलवार घुमाते रहे। बी.एस.एफ. के नौजवानों और परिजनों से भरी बस कश्मीर में बारूदी सुरंग द्वारा उड़ा दी गयी और हमारी आँख में आँसू भी नहीं आये। हमें सरकार को मजबूर करना होगा कि सरकार आतंकवाद के सम्बन्ध में सख्त कानून बनाये। आतंकवादियों को गिरफ्तार करके मेहमानों की तरह जेल में रखना अनुचित है। 15 दिन के अन्दर आतंकवादी का मुकदमा तय हो जाना चाहिए। आतंकवादियों को देखते ही गोली मार देना कानून बनाया जाना चाहिए। मेहमाननवाजी के और बहुत से रास्ते और तरीके हैं। आतंकवादियों के साथ मेहमाननवाजी बरतना अपनी मौत को दावत देना है।

बाहुबलियों की सेनाएँ समाप्त कर दी जानी चाहिए। हैरत होती है बाहुबलियों का फोटो अपने समर्थकों की रायफलों के साये में छपता है और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती। ऐसा दुराग्रह नहीं होना

चाहिए और न ही अंगरक्षकों के नाम पर अनगिन व्यक्ति रायफल लेकर साथ साथ चलने की अनुमति होनी चाहिए। जो लोग अपहरण को अपना व्यवसाय बनाये हुए हैं सरकार को उन्हें पकड़ कर जेलों में डाल देना चाहिए। इसी में समाज का कल्याण है।

ताज घोटाला, चारा घोटाला, ताबूत घोटाला, तहलका कांड आदि ऐसे बहुत से घोटाले और कांड हैं जिनका निस्तारण 20-20 साल तक नहीं होता। सबूत नष्ट हो जाते हैं। गवाह टूट जाते हैं और आरोपी छूट जाते हैं। यह एक दस्तूर बन गया है और हम इसे सहन कर रहे हैं। क्यों? क्या भारत वर्ष की जनता नपुंसक है। हमें जागना होगा। हमें हर ऐसे कार्य का विरोध करना होगा, जो देशहित में नहीं है। जो जनहित में नहीं है।

समय आ गया है। जैसे 1942 से लेकर 1947 ई. तक हमने जिस प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करने में एक जुटता दिखाई जन आन्दोलन किये उसी प्रकार से कार्य करने का। अंहिसा के माध्यम से हिंसा को सदैव के लिए विदा कर दिया। जनता में बहुत बड़ी शक्ति है मुझे विश्वास है जिस दिन जनता खड़ी होगी। उस दिन ऐसा यज्ञ अवश्य होगा जिसमें भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी अजगर आ-आकर स्वयं अपनी आहुति देंगे। उस समय हम अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध थे इस समय भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध है। हमारा जागरण हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है। हमारी संतानें हमारे प्रियजन सब असुरक्षित रहेंगे। यदि हमने जन आंदोलन करके, जन जागरण करके भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को नष्ट नहीं किया। आज आवश्यकता है, एक स्वर की जिसका उद्घोष सातवें आकाश तक पहुँचे और फिर कोई नरसिंह उत्पन्न हो जो सहस्रों हिरण्यकश्यपों को नष्ट कर सके। ताकि प्रह्लाद रूपी जनता की रक्षा हो। हमें इन विसंगतियों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी ग्राम प्रधान/मंत्री/अधिकारी आरक्षित नीति के तहत महिला नियुक्त होती है या निर्वाचित होती है और सरकारी अधिकारियों की बैठक उनके पति या उनके द्वारा मनोनीत उनके विश्वास पात्र या मित्र लेते हैं। कोई भी महिला ग्राम प्रधान ऐसी नहीं है जो अपने पति के सहयोग के बगैर प्रधानी चला सके। क्या आवश्यकता है महिला आरक्षण की। जिनको

हम संरक्षण नहीं दे सकते जिनकी सुरक्षा नहीं कर सकते उनको आरक्षण देकर असुरक्षित करने से कोई लाभ नहीं होगा। कोई जनकल्याण नहीं होगा।

जनता जाग्रत हो इन राजनीति के ठेकेदारों को पहचाने, अपने वोट का महत्व समझें और सही आदमी को समर्थन देकर संसद अथवा विधान सभा में भेजें तभी देश का कल्याण हो सकता है। गलत आदमी का विरोध करना पुण्य का कार्य है। कभी-कभी हो सकता है हम अकेले पड़ जायें लेकिन ऐसे अच्छे काम में सहयोगी अवश्य मिल जाते हैं। महात्मा गाँधी ने अकेले ही अहिंसक आन्दोलन का बीड़ा उठाया था और सारा देश उनके साथ हो गया। आप भी यदि खड़े होंगे और निस्वार्थ भाव से देश को व्यवसायियों से, ठेकेदारों से और मरते दम तक देश-सेवा का व्रत लेने वालों से मुक्त कराना चाहेंगे तो एक काफिला आपके साथ खड़ा हो जायेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इन 50-50 सालों से कुर्सी पर कब्जा जमाये। सांसदों और विधायकों से तंग आ चुका है।

◆

☐ सुरक्षित कौन

भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है किन्तु आज नागरिक कितना सुरक्षित है इस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। प्रधानमंत्री के पौत्र की चलती रेल गाड़ी से फेककर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पौत्र का अपहरण हो गया। रेलों में यात्रा करने वाला कितना सुरक्षित है यह किसी से छिपा नहीं है। सिपाही तक को चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता है। छात्राओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर अध्यापकों की पिटाई की जाती है। विदेशी महिला के साथ बलात्कार होता है। बलात्कारी पकड़ा नहीं जाता व्यर्थ की कार्यवाही की जाती है।

घरों में कच्छाधारी घुस आते हैं मारकाट करते हैं लूटपाट करते हैं और भाग जाते हैं। पुलिस पकड़ नहीं पाती है। जहाँ पकड़ती है या एन्काउन्टर हो जाता है वहाँ मानवाधिकार आयोग पूछताछ करता है। रोज कत्ल होते हैं। रोड डकैती होती है। डकैत कहाँ से आते हैं, कातिल कहाँ छुपे है इसका जानना कोई मुश्किल काम नहीं है किन्तु सरकार को जनता की चिन्ता नहीं है। चिन्ता रहती है उन आतंकवादियों की जिन्हें 10 वर्ष तक जेल में रखकर मेहमाननवाजी चखाई जाती है। उनकी सुरक्षा की जाती है और एक हवाईजहाज़ का अपहरण होने पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। बेअन्त सिंह के हत्यारे 15 वर्ष तक जेल में रहने के बाद सुरंग खोदकर भाग जाते हैं। जेलों की सुरक्षा पद्धति पर प्रश्नचिन्ह लगता है। सुरंग खोदना इतना आसान नहीं है और इतना बे आवाज़ भी नहीं है कि बगैर साधन उपलब्ध कराये कोई व्यक्ति जेल में सुरंग खोदकर बाहर निकल सके। कैसे होता है ये सब और कौन है ज़िम्मेदार इस सब के लिए यह जानना आवश्यक है। स्वार्थी और कुर्सी के भूखे राजनेता इस ओर से चिन्ता मुक्त हैं। कौन मर रहा है, किसने मारा कोई चिन्ता नहीं है। भले ही सबकुछ खत्म हो जाये केवल उनकी कुर्सी बची रहे।

जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है। मंत्रियों की, सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। यानि यदि एक मंत्री सुरक्षित है तो करोड़ों व्यक्तियों के असुरक्षित होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। मंत्री जी जब निकलते हैं तो कमाण्डों के सुरक्षा घेरे के भीतर रहते है। यह कैसे जन प्रतिनिधि है जो जनता के बीच में जाने के लिए अपने अंग रक्षकों से, विशेष सुरक्षा ग्रुप के सैनिकों से घिरे रहते हैं। जनता के होकर जनता से डरते हैं। स्पष्ट है कि इनके जनविरोधी कार्य ही इनको डराये रखते हैं और यह जनता के बीच में बिना सुरक्षा घेरे के जाने में स्वयं को सुरक्षित नहीं मानते। यदि मंत्रियों की सुरक्षा समाप्त कर दी जाये तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। नागरिक सुरक्षित हो सकते हैं। जब भी कोई मुख्यमंत्री किसी नगर में आता है सारी पुलिस उसकी सुरक्षा में लग जाती है। क्या आवश्यकता है उसकी सुरक्षा की। जो व्यक्ति जनता के बीच में स्वयं को असुरक्षित मानता है उसे जन प्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं है। भारत माता निमन्त्रण देकर किसी को मंत्री बनने के लिए नहीं कहती। अतः मंत्री बनकर आप कोई अहसान नहीं करते। जब आप स्वयं मंत्री बनने के लिए लालायित हैं और जानते हैं कि उसमें खतरा है तब क्या आवश्यकता है नेतागिरी करने की। नेतागिरी आप सत्ता के लिए करते हैं स्वार्थ के लिए करते हैं और जब आप अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो सुरक्षा क्यों। जहाँ आप स्वयं को असुरक्षित समझते हैं वहाँ से चले क्यों नहीं जाते। जनता का सरदर्द क्यों बने हुए हैं। जब आप सुरक्षित नहीं है तो जनता को सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं।

जिन तथाकथित जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को, सांसदों या विधायकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है वही जनता का सिरदर्द बन जाते हैं। कोई एक बदमाश लुटेरा गिरफ्तार होता है तो नेताजी उसकी सिफारिश के लिए थाने में पहुँच जाते हैं। थाने में उनकी बात नहीं सुनी जाती तो तोड़ फोड़ होती है, थाने में पथराव होता है, वाहनों को आग लगा दी जाती है। यह कैसे नेता हैं जो अपने देश की संपत्ति नष्ट करते हें तथा अपने ही थाने में आग लगाते हैं और अपनी ही पुलिस पर पथराव करते हैं केवल बदमाश को बचाने के लिए। सारी सुरक्षा पद्धति नष्ट करने के जिम्मेदार यह नेतागण हैं। चूंकि इनको सुरक्षा मिली हुई

है इसलिए यह हर काम के लिए स्वतंत्र है।

हम कितने सुरक्षित हैं, जनता कितनी सुरक्षित है यह सब ईश्वर कृपा है वरना सरकार की ओर से केवल मंत्रियों, कुलपतियों, नेताओं तथा संवैधानिक और सरकारी अधिकारियों को ही सुरक्षा प्रदान की गई है जनता को नहीं। एक दिन का समाचार पत्र यदि देखें तो सुरक्षा की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। मेरे सामने आज दिनांक शुक्रवार 13.2.2004 का पंजाब केसरी है इसके मुख्य समाचार यदि पढ़ जायें तो सुरक्षा की पोल खुल जाती है-

1. डिप्टी एस.पी. शैलेन्द्र सिंह ने अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही में दख़्लअंदाज़ी से क्षुब्ध होकर त्याग-पत्र दिया। उनके द्वारा महामहिम राज्यपाल को लिखा गया है कि राजनीति का अपराधीकरण होने से पुलिस अपराधियों के नियंत्रण में आ गई है।

2. अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 मरे 34 घायल।
3. बदमाशों ने पौने तीन लाख रुपये लूटे ।
4. बारात में चलाई गोली से एक व्यक्ति की मौत ।
5. दस लाख रुपये मूल्य की अवैध शराब बरामद ।
6. फर्जी डॉक्टरों की धड़पकड़ तेज़ ।
7. अपहरण के बाद बालक की हत्या ।
8. अपराधी भागने पर इन्सपैक्टर निलंबित। मुलायम सिंह भी इस बदमाश से भयभीत थे।
9. मंत्री के आतंक से त्रस्त दरोगा।
10. प्रेमिका के पति को ठिकाने लगाया।
11. महिला की हत्या कर शव जंगल में फेंका।
12. नहर में पड़ा मिला अज्ञात शव ।
13. माँ की हत्या करने वाले दो बेटे गिरफ्तार।
14. विवाहित की गला रेत कर हत्या।
15. पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री पकड़ी।
16. वृद्ध की हत्या कर मकान जला डाला।
17. विवाहिता को मार पीट कर घायल किया।
18. स्मैक के अड्डे का भण्डाफोड़।
19. अवैध संबंधों से रोका तो पत्नी ने पति को घायल किया।

20. माँ से अवैध संबंध रखने वाले फुफेरे भाई को मार डाला।
21. पी.एम. के मकान पर सी.एम. का विमान मंडराया। सुरक्षा व्यवस्था चौपट।
22. भ्रष्ट भाजपा नेताओं को संघ के डिप्टी सुप्रीमों का संरक्षण।
23. बलात्कार की शिकार युवती के शरीर के नमूने का डी.एन.ए. टेस्ट बलात्कारियों से मिला।
24. मनीष हत्याकाण्ड के दूसरे आरोपी की तलाश।
25. बिहार का सबसे बड़ा स्टाम्प पेपर घोटाला।
27. दो हत्यारोपी बदमाशों की गिरफ्तारी से कई मामलों की गुत्थी सुलझी।
28. ग्रामीणों ने लूटपाट करने वाले एक बदमाश को दबोचा।
29. दारोगा की हरकत से नाराज लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया।
30. गोली लगने से एक की मौत ।
31. दुर्घटना में चालक की मौत ।
32. ग्रामीणों ने भागते बदमाश को पीट-पीट कर मार डाला।
33. दिल्ली से लूटी गई मारुति सहित दो गिरफ्तार।
34. गाज गिरने लगी है कल्याण के चहेते अधिकारियों पर।
35 एस.टी.एफ. की पूर्वांचल शाखा बंद करने का आश्चर्यजनक फैसला।
36. युवक की हत्या कर शव खेत में फेंका।

यह है एक दिन का एक अखबार का चिट्ठा जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती है। अजगर की तरह से जमे हुए सन् 48 से लगातार चुनाव लड़ रहे और जीत रहे बाहुबली पुराने राजाओं व महाराजाओं से भी अधिक अत्याचारी और दखलंदाज साबित हुए हैं। इन बाहुबलियों के खिलाफ न कोई चुनाव लड़ता है न जीतता है। यदि कोई हठधर्मी करता है तो जीता भी नहीं है। ऐसे सांसदों और विधायकों के क्षेत्र उनकी रियासत कहलाते हैं। बदमाश इनके इशारे पर काम करते हैं और यह बदमाशों को पुलिस से बचाने और संरक्षण प्रदान करने का दायित्व निभाते है। इनकी सुरक्षा सरकार भी करती है और इनके निजी सेवक भी करते हैं, असुरक्षित रह जाती है गरीब जनता

जिसके साथ बलात्कार होते है, अपहरण होते हैं, लूटपाट और मारपीट होती हैं। पुलिस भी गरीब जनता को ही नोचती है और बदमाश भी गरीब जनता के ही खून के प्यासे रहते हैं। सुरक्षित रहते हैं तो केवल राजनेता, मंत्री, सांसद, विधायक। यदि राजनेताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की सुरक्षा समाप्त कर दी जाए तो जनता सुरक्षित रह सकती है क्योंकि तब बदमाशों को बचाने में और पुलिस को हड़काने में इन नेताओं की सुनवाई नहीं होगी और अपनी सुरक्षा की वजह से यह ऐसे काम भी नहीं करेंगे जो जन विरोधी हों।

कहीं पुलिस राजनीति के अपराधीकरण से दु:खी है तो कहीं जनता पुलिस के अपराधीकरण से दु:खी है। राजनेता को झुंझलाहट होती है तो वह जनता पर अपना गुस्सा निकलता है। पुलिस को क्रोध आता है तो पूरे गाँव में ताण्डव होता है। महिलाएँ तक सुरक्षित नहीं रहती। यह कैसी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें कोई सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डी.आई.जी., दरोगा, सिपाही अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं जनता की सुरक्षा क्या करेंगे। आवश्यकता है आमूलचून परिवर्तन की। यह अजगरी राजनेता एक तरफ कर दिये जाएँ इनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाए। नये व्यक्तियों को अवसर दिया जाए और जनता में से ऐसे व्यक्ति चिन्हित किये जायें जो राष्ट्रभक्त हैं, जिनके लिए देश का महत्व है, जो राष्ट्रचिन्तन करते हैं। उनको देश सेवा का अवसर प्रदान किया जाये तभी देश बच सकता है अन्यथा बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। सम्पूर्ण देश की सुरक्षा खतरे में है। केवल कुछ लोग सत्ता पर काबिज हैं। और आजीवन काबिज रहना चाहते हैं। यह लोकतांत्रिक परम्परा के विरुद्ध है। इस पर विचार करना होगा। यदि माफिया, डान और कुख्यात अपराधियों से देश की और जनता की सुरक्षा करनी है तो आजीवन मंत्री, विधायक व सांसद का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना होगा। कोई भी व्यक्ति दो सत्र से अधिक मंत्री, विधायक या सांसद नहीं रहेगा। तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे।

◆

❐ रास्ता जाम–बसों में आग

कल सहारनपुर जाते हुए जैसे ही मुजफ्फरनगर से सहारनपुर के लिए मुड़े, पता चला कि आगे किसी गाँव में चार हत्या हो गई हैं, जिसके कारण गाँव वालों ने रास्ते जाम कर रखे हैं। एक बार मुरादाबाद जा रहा था तो पता चला कि प्राईवेट बस के एक मालिक को गोली मार दी गयी फलस्वरूप नूरपुर के पास सड़क पर जाम लगा दिया गया और वहीं पर भीड़ द्वारा रोडवेज़ की बस में आग लगा दी गयी। क्या लाभ होगा बस को जलाने से, बस में बैठे हुए यात्री कैसे बचे होंगे उनके साथ क्या बरताव किया होगा। यह कल्पना की बात है क्योंकि आज आँखों देखी गवाही भी कोई देना नहीं चाहता। हत्या हो, अपहरण हो, डकैती हो अथवा कोई दुर्घटना हो सड़क पर जाम लगाना इन सभी समस्याओं का हल मान लिया गया है और साथ ही यह भी मान लिया गया है कि अगर रास्ता जाम करने को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाना है तो रोडवेज़ की बसों में आग लगा दी जाये। बसों के जलने से जो ध ुआँ उठता है उसमें शायद दुर्घटना में मरे हुए व्यक्ति, डकैती में हत्या अथवा अपहृत व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती होगी। रास्ता जाम और रोडवेज़ की बस में आग एक आम बात हो गयी है।

ऐसा नहीं है कि जाम केवल इसीलिए लगता है कि कोई हत्या हुई है, कोई दुर्घटना हुई है, कोई डकैती पड़ी है या किसी का अपहरण हुआ है। जाम लगाने के लिए ज़िम्मेदार वह गाड़ी वाले भी होते हैं जो रेलवे के फाटक पर जल्दी निकलने के चक्कर में गलत लेन में अपनी गाड़ी डाल देते हैं। जाम के जिम्मेदार वह गाड़ी वाले भी होते हैं जो गाड़ी चुराकर लाये हैं अथवा जिनके पास गाड़ी के पूरे कागज़ात नहीं हैं। वह ग़लत लेन में आकर जल्दी निकलना चाहते हैं जाम उन आतंकवादियों की वजह से भी लगता है जो स्वयं को बचाते दुबकाते ग़लत लेन में आकर जल्दी निकलने का प्रयास करते हैं।

जाम पुराने वाहनों के कारण भी लगता है। मैंने एक बार लिखा था कि 1980 ई. से पहले के वाहन रद्द कर दिया जायें उनको स्क्रैप कर दिया जाये। जितने भी पुराने वाहन हैं वह अक्सर खराब हो जाते हैं और अक्सर दुर्घटना भी इन्हीं पुराने वाहनों के कारण होती है। इसलिए पुराने वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाये और उनके मालिकों को सरकार वित्तीय मदद देकर नया वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन दे।

जाम लगाने से कोई लाभ नहीं होता। सरकार जिस रफ्तार से काम करती है जाम लगाने ये वह रफ्तार न बढ़ती है न घटती है। वास्तव में जाम लगाने की बहुत बड़ी हानि है। असली घटना से ध्यान हटकर जाम को सफल करने की ओर चला जाता है। यदि किसी कि हत्या हुई है तो हत्यारों को ढूँढ़ने की बजाय उसके गाँव के लोग जाम लगाकर अपनी वाहवाही मनवाना चाहते हैं। यदि किसी का अपहरण हुआ है तो अपहरणकर्ताओं को ढूँढ़ने के स्थान पर सरकार हाय-हाय के नारे लगाकर रास्ता जाम करके दो-चार बसें जलाकर उसके मिलने वाले अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाये जाने का प्रयास करते हैं। यदि यह समय डकैतों को ढूँढने, दुर्घटना करने वाले व्यक्ति को ढूँढने, हत्यारों को ढूँढने अथवा अपहरणकर्ताओं को ढूँढने में लगाया जाता तो व्यक्ति विशेष का अधिक लाभ हो सकता था। किन्तु सम्भवतः इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता।

रास्ता जाम करने से बसों में बैठे व्यक्ति अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते। अम्बुलेंस में जा रहा मरीज़ अस्पताल तक समय से नहीं पहुँच पाता। नौकरी पर जाने वाला व्यक्ति समय से कार्यालय नहीं पहुँच सकता और नौकरी के लिए परीक्षा देने वाला छात्र रास्ते में ही अटक जाता है। जाम लगाने वालों में और जाम में फंसे लोगों में नोंक-झोंक होती है और एक नया झगड़ा जन्म ले लेता है। यदि जाम न लगाया जाता तो पुलिस की और जनता की शक्ति उस जाम के कारण को ढूँढने में लगती और किसी गम्भीर समस्या के समाधान में लगती।

रोडवज की बसों को जलाना ऐसे जाम में आम बात हो गयी है। जिस बस में कल बैठकर दिल्ली से गाँव तक का सफ़र किया था उसी बस को एक दुर्घटना के फलस्वरूप अथवा एक कत्ल के कारण लगाये

गये जाम में फूंक दिया जाता है। उसमें बैठे यात्री किस प्रकार अपना गन्तव्य प्राप्त करेंगे इसकी चिंता किसी को नहीं होती। जाम लगाकर बसों को फूंकने वाले ऐसे नाचते और कूदते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। कोई लाभ नहीं होता। हाँ जाम के फलस्वरूप कभी-कभी बाज़ार में लूटपाट भी शुरू हो जाती है और मारपीट का अंदेशा हर वक्त रहता है।

यदि जाम में व्यर्थ किया गया समय षड्यंत्रकारी को ढूँढने हत्यारों की तलाश करने, अपहृत व्यक्ति का पता लगाने, दुर्घटना करने वाले व्यक्ति का पीछा करने अथवा डकैतों को पकड़ने में लगाया जाता तो सम्भव था वह पकड़ लिये जाते। जाम में पुलिस भी जाम खुलवाने के लिए प्रयत्नशील व्यस्त हो जाती है और जाम लगाने वाले व्यक्ति पूर्ण जाम लगाकर प्रसन्न होते हैं। न हम पुलिस को अपना काम करने देते हैं और न स्वयं ही अपना काम करते हैं। मुफ़्त की वाहवाही लूटना एक मात्र उद्देश्य हो जाता है। दुखी व्यक्ति को केवल यह दिखाना है कि हम उसके दुख में इतने दुखी हैं कि सड़क पर आने वालों को भी दुखी कर रहे हैं स्वयं धूप में खड़े होकर बसों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को जाम में फंसा रहने पर मजबूर कर रहे हैं। बच्चे भूख से बिलखते हैं। यात्री प्यास को तरसते हैं। महिलाएँ बाथरूम नहीं जा पाती। मरीज तड़पता हैं। छात्र बेचैन होते हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति की नौकरी पर बन आती है लेकिन जाम लगाने वाले व्यक्ति इन सब दुखों से दुखी व्यक्ति को देखकर और खुश होते हैं।

समय का सदुपयोग जाम लगाने में नहीं है बल्कि उन कारणों का पता लगाने में है। जिन्होंने हत्या की, जिन्होंने दुर्घटना की, जो गलत लेन में आकर जल्दी निकलना चाहते थे। गाड़ी कौन से मॉडल की थी जो खराब हो गयी। दुर्घटना करके कौन भागा। डकैती में कौन लोग शामिल थे। हम इन सबका पता लगा सकते थे लेकिन हमने अपने समय का दुरुपयोग जाम लगाने में कर दिया। जो लोग जाम से दुखी हुए वह किस प्रकार दुआएँ दे सकते हैं। किस प्रकार उनकी सोच उनके पक्ष में हो सकती है जो जाम में सम्मिलित हैं।

माननीय उच्च न्यायालय ने हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। कुछ

ऐसा ही कानून जाम के सम्बन्ध में भी बनना चाहिए ताकि जाम न लगाये जाये। मंज़िल की ओर बढ़ने वाले कदम न रोके जायें। गन्तव्य तक पहुँचने में बाधाएँ खड़ी न की जायें। रोडवेज की बस में आग लगाने वालों के साथ बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए क्योंकि वह एक प्रकार से हत्या का प्रयास करते हैं। सरकारी सम्पत्ति का और बस में बैठे व्यक्तियों का। बसों में और सार्वजनिक सम्पत्ति में आग लगाने वाले व्यक्ति केवल और केवल फांसी के हकदार हैं। ऐसे मुकदमों का फैसला भी तीन माह के अन्दर-अन्दर होना चाहिए।

◆

□ इतिहास कुछ और होता

बाबर ने जब हिन्दुस्तान में प्रवेश किया था उस समय उसके पास 120 चुने हुए घुड़सवार थे जिनके बल पर उसने हिन्दुस्तान पर मुगल सल्तनत कायम की। जानकारी के अनुसार 9 हज़ार पण्डितों को इसलिए क़त्ल करा दिया चूंकि वह मज़हब बदलने को तैयार नहीं थे। हैरतअंगेज है यह जानकारी और उससे भी ज़्यादा हैरतअंगेज है 9 हजार पण्डितों को 120 सैनिकों द्वारा मार दिया जाना। जब-जब भी आतंकवादियों ने हमला किया है। हमने अख़बार में यही पढ़ा कि 24 कश्मीरी पण्डित मार दिये गये कत्ल कर दिये गये। एक ही मज़हब के 19 आदमी कत्ल कर दिये गये। अगर वह 9 हजार पण्डित जान बचाकर भागने की बजाय बाबर के सैनिकों पर हमलावर हो जाते तो आज इतिहास कुछ और ही होता। यही स्थिति काश्मीर में है कभी सरदार कत्ल कर दिये जाते हैं। और कभी पंडित जब तक हम आतंकवादियों पर बराबर का हमला नहीं करेंगे उनका मुकाबला नहीं करेंगे तब तक केवल सेना के बल पर हम आतंकवाद से नहीं जीत सकते। यह इतिहास बदल सकता है अगर कश्मीर के पण्डित, वहाँ के निवासी सरदार सभी आतंकवादियों का डटकर मुकाबला करें कायरों की तरह न मरकर वीरों की तरह लड़ते-लड़ते शहीद हों, जब तक आतंकवादियों को यह ज्ञात है कि उनका मुकाबला नहीं होता और जनता गाजर मूली की तरह कटने क़ो तैयार रहती है। वह बाज नहीं आयेंगे।

हमारे राजाओं ने बहुत सी ग़लतियाँ की है। जिन्होंने इतिहास पर असर डाला है उन्हीं में से एक गलती थी पृथ्वी राज द्वारा गौरी को 16 बार माफ़ कर दिया जाना था। हमें सबक लेना चाहिए इस तथ्य से कि गौरी 17 वीं बार जीता और तभी उसने पृथ्वीराज को कैद कर लिया। हम भूल जाते हैं नीति का उपदेश शठे शाठयम् समाचरेत् यदि ज़रा सी भी सूझबूझ होती और गौरी को पहली बार में ही कैद करके उससे वही

व्यवहार किया जाता जो उसने पृथ्वीराज के साथ किया तो भारत-वर्ष की आज़ादी का इतिहास भिन्न होता।

जब सिकन्दर ने हमला किया तो हममें फूट पड़ी हुई थी। भारतीय राजा यदि फूट के बजाय एकता का परिचय देते तो सिकन्दर राजा पुरू और आम्भीक की सम्मिलित सेना का मुकाबला नहीं कर सकता था लेकिन उस समय राजा पुरू तो सिकन्दर की सेना से डटकर लोहा ले रहे थे और आम्भीक सिकन्दर का साथ देने को तैयार थे। यदि दोनों मिल गये होते तो सिकन्दर का भारत में प्रवेश असम्भव था।

मुगलराज में जब हिन्दुओं को मुसलमान बनाने का अभियान चल रहा था उस समय भी हम बचाव की बात करते थे अगर राज्य के प्रति विद्रोह कर दिया होता और सब एक साथ मिलकर लड़कर मरते तो परिस्थितियाँ भिन्न होतीं। आज वह व्यक्ति जो मुगलराज्य में अथवा उसके बाद या पहले हिन्दू से मुसलमान बना है वह ज़्यादा कट्टर है बनिस्बत उन मुसलमान भाईयों के जो पैदायशी, इस सृष्टि के शुरू से ही, मुसलमान पैदा हुए। प्रयास होना चाहिए, उन सभी मुसलमानों को हिन्दू धारा में लौटाने का जिनके पूर्वज हिन्दू थे और किसी दबाव में आकर मुसलमान हुए। खानदानी शजरे-मौजूद हैं उनसे इस अभियान में सहायता ली जा सकती है।

जब अंग्रेज हिन्दुस्तान में आये तब हिन्दुस्तान के राजा आकण्ठ रंगरेलियों में डूबे हुए थे। नवाब और राजा पतंगबाजी, कबूतरबाजी, बटेरबाजी तथा और बहुत सी बाज़ियों में लिप्त थे। रात दिन नाच गाना आकाम शराब चलता था। जिसके कारण अंग्रेज़ों को हिन्दुस्तान में हकूमत करने में आसानी हुई वह आसानी से अपनी भाषा अपना भेष लादने में सफल हुए। आज अगर हिन्दुस्तान को बचाना है हिन्दुस्तान की संस्कृति को बचाना है यहाँ का वर्तमान बदलना है तो हमें अपनी भाषा अपना भेष बदलना होगा। रहन-सहन के ढंग बदलने होंगे। अन्य देशों की भाँति अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखता होगा। अन्यथा वह दिन दूर नहीं है जब फिर कोई विदेशी ताकत हिन्दुस्तान पर कब्ज़ा करने का ख्वाब देखना शुरू कर देगी और हम केवल विरोध पत्र ही भेजते रहेंगे।

यदि अंग्रेजों के कहने में आकर भारतवर्ष का बंटवारा स्वीकार न किया गया होता तो न पाकिस्तान बना होता और न आतंकवाद होता। यदि जवाहरनेहरू के स्थान पर उस समय कमान सुभाष चन्द्र बोस या सरदार पटेल के हाथ में होती तो इतिहास कुछ और ही होता। भारत वर्ष में न साम्प्रदायिक झगड़े होते, न रोज़-रोज़ के आतंकी हमले होते और न ही एक स्थायी शत्रु पड़ोस में होता। व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण पाकिस्तान का जन्म हुआ जो हिन्दुस्तान को तब तक भुगतना होगा जब तक पाकिस्तान ज़मीन पर क़ायम है।

लालबहादुर शास्त्री के समय फ़ौज ने जिस दिलेरी के साथ पाकिस्तान को फ़तेह करने का अभियान शुरू किया था उसको अगर न रोका जाता और लालबहादुर शास्त्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात करने रूस न गये होते तो आज हमारा झण्डा पाकिस्तान से बहुत ऊपर होता। पाकिस्तान की ताकत ख़त्म हो जाती। लेकिन अपनी शराफत और सज्जनता के कारण अपना घर छोड़कर दूसरे के घर जाकर जीतते हुए संधि की बात करना सिद्धान्त विपरीत तो था ही कितना मंहगा भी साबित हुआ। फ़ौज आज भी हथेली मलती है कि उसको युद्ध रोकने का हुक्म क्यों दिया गया।

इंदिरा गाँधी एक बहुत ही सशक्त नेता के रूप में भारतवर्ष के क्षितिज पर उभर कर आयीं और उन्होंने पाकिस्तान को वह सबक सिखाया जो इतिहास के पन्नों में सदैव स्मरणीय रहेगा लेकिन अगर बंगला देश न बनता और जीते हुए क्षेत्र को भारत वर्ष में मिला लिया जाता तो सारी दुनिया विरोध पत्र भेजती लेकिन हम एक और शत्रु को जन्म न देते। इंदिरा गाँधी ने जब भिन्डर वाला के विरुद्ध अभियान छेड़ा था और स्वर्ण मन्दिर तक पहुँच गयी थी। तब अगर वह खुफिया विभाग पर यक़ीन कर लेतीं और अपने अंगरक्षकों में अदल-बदल कर देती तो भी इतिहास में कुछ और ही लिखा गया होता।

जो ग़लती जवाहरलाल नेहरू काश्मीर में धारा 370 लगाकर कर गये थे वह आज 55 वर्ष बीतने पर भी नहीं हट सकी। जबकि वहाँ धारा 370 की कोई आवश्यकता नहीं है भारत वर्ष की आय का अधिकांश हिस्सा काश्मीरियों को खुश रखने में कश्मीर पर क़ब्ज़ा

बनाये रखने में ख़र्च होता है। यदि यह राशि देश के विकास पर ख़र्च हो तो देश का नक्शा ही बदल जाये। हमारे राजनेता रोज भाषण देते हैं और कहते हैं कि कश्मीर भारत-वर्ष का अभिन्न अंग है लकिन धारा 370 हटाने में स्वयं को अक्षम पाते हैं। जो भी पार्टी विरोध में बैठी उसने धारा 370 हटाने की बात कही किन्तु सत्ता में आते ही उसने भी अपना पत्ता बदल दिया और जम्मू काश्मीर भारत वर्ष का अभिन्न अंग होते हुए भी भारतवर्ष के कानून से बहुत दूर है। भारतवर्ष के कानून बनाते समय यह लिखा जाता है कि यह कानून जम्मू काश्मीर को छोड़कर समस्त भारतवर्ष में लागू होगा। यदि भारतवर्ष की जनता धर्मभीरु और संतोषी न होती तो धारा 370 पर कभी भी अप्रत्यक्ष सहमति प्रदान नहीं करती।

भारतवर्ष का संविधान जब बना था तब राष्ट्रभाषा हिन्दी घोषित किये जाने के लिए और आरक्षण लागू रखने के लिए एक अवधि निश्चित की गयी थी। वोटों की राजनीति के कारण न राष्ट्रभाषा हिन्दी घोषित हुई और न आरक्षण ही समाप्त हुआ। हम इतिहास को पीट रहे हैं लेकिन यदि इतिहास ने हमें पीटना आरम्भ कर दिया तो हमें चेहरा छुपाने के लिए भी स्थान नहीं मिलेगा। हम किसी भी बात को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ देते हैं समाज देश अथवा काल का कोई विचार नहीं करते। जिस दिन देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी घोषित हो जायेगी उस दिन से इतिहास कितनी तेज़ी से बदलेगा और हिन्दुस्तान के हक में कितनी बड़ी जीत होगी, यह देखने की बात है।

भारतवर्ष का इतिहास आज भी बदल सकता है यदि हम देश को अपनी पार्टी से अपने व्यक्तित्व से अधिक महत्व दें आज स्थिति यह है कि सत्तारुढ़ पार्टी का हित देश से बड़ा है। पार्टी के सदस्य कितने ही अक्षम और नाकारा क्यों न हों देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने का अधिकार रखते हैं। लोकतंत्र के नाम पर एकतंत्र ज़िन्दाबाद हो गया है। पैदायश से और आज तक एक व्यक्ति अपने बाहुबल के कारण सांसद या विधायक का चुनाव लड़ता है और 55 वर्ष से निरन्तर विधायक या सांसद है तो ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र की जय बुलेगी या एकतंत्र की। नियम यह होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो एक बार सांसद चुना गया

वह अधिक से अधिक दो सत्र चुनाव लड़ सकता है। जीवन पर्यन्त चुनाव लड़ने की छूट नहीं होनी चाहिए इस सम्बन्ध में कानून बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है वरना राजनीति व्यवसाय और विरासत बनकर रह जायेगी। भारतवर्ष का इतिहास बदलने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा अपने स्वार्थों को मारना होगा तथा देश हित में संविधान में संशोधन करने होंगे अन्यथा जो ग्रहण देश को लग चुका है उसका उग्रहण होना सम्भव नहीं है।

◆

❐ सावधान

अखबार के अनुसार शेरोन के आगमन पर जो विरोध तथाकथित अल्पसंख्यकों द्वारा दर्शाया गया जिसमें जामा मस्जिद के इमाम भी शामिल हुए उसने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भारतवर्ष का राष्ट्रीय मेहमान यहाँ के रहने वाले हर नागरिक द्वारा सम्मानीय है या नहीं। क्या राष्ट्रीय मेहमान का विरोध अथवा उसका अपमान राजद्रोह की परिभाषा में आता है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि हम राष्ट्रविरोधी कार्य करके अखबार के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित हो और हमारा बाल भी बांका न हो। हम कोई भी विरोध करें किसी का भी अपमान करें हमें कोई प्रताड़ित न करे। किसी भी प्रकार की कार्यवाही यदि हमारे विरुद्ध हो तो हम स्वयं को बचाने के लिए अपने अल्पसंख्यक होने का रोना रोकर राष्ट्र स्तर पर अपील करें कि चूंकि हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए हमें सताया जा रहा है। हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें रोकना हमारे अधिकारों का हनन है। जामा मस्जिद के इमाम साहब का इज़रायली प्रधानमंत्री के आगमन का विरोध करना अशोभनीय है। हममें हिम्मत नहीं है अन्यथा इस विरोध के लिए राष्ट्रदोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय मेहमान का अपमान है किन्तु हमारे राजनेता इसको भी पचा जायेंगे और हो सकता है तुष्टिकरण के नाम पर कुछ ऐसा कर बैठें जो पूरे राष्ट्र के मुख पर कालिख पोतने के समान हो।

तुष्टिकरण की कोई सीमा होनी चाहिए, कोई मर्यादा होनी चाहिए। असीमित तुष्टिकरण मर्यादाओं को भंग करता है तथा अराजकता की ओर ले जाता है। फिर तुष्टिकरण क्यों हो भारतवर्ष में रहने वाले एक वर्ग के लोगों को तुष्टिकरण के नाम समस्त सुविधाएँ सुरक्षाएँ प्रदान की जायें और दूसरे वर्ग के लोगों को असंतुष्टि की भी सीमा पार करा दी जाये। तुष्टिकरण के नाम पर नौकरी में सुविधा, अल्पसंख्यकों के

कल्याण के आयोग, हज यात्रा में पूर्ण सहयोग और आर्थिक सहायता, राजनीति में सुरक्षित स्थान सभी कुछ तो दिया जा रहा है किन्तु क्या तुष्टिकरण हो सका, क्या अल्पसंख्यक मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी आतंकवाद समाप्त हो सका है।

यह इज़रायली प्रधानमंत्री शेरोन का विरोध नहीं था बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र का विरोध था इसकी छूट क्या अल्पसंख्यकों की तुष्टिकरण के नाम पर जामा मस्जिद के इमाम और उनके समर्थकों को दी जानी उचित है। क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया विरोध करने वाले व्यक्तियों को। जो आपके व्यक्तिगत मेहमान का विरोध करते हैं उनका अपमान करते हैं उसके लिए आप लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं किन्तु देश के मेहमान का विरोध या अपमान हमारी सहनशीलता की पराकाष्ठा है या उसकी परीक्षा है।

अल्पसंख्यकों के नाम पर विरोध करना किसी का भी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकता। देश में समान नागरिक संहिता की बात हो अथवा आरक्षण खत्म करने की बात हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, अथवा पोलियो की दवा पिलाने का अभियान हो, कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस हो या होली का जुलूस हो अल्पसंख्यक प्रत्येक अवसर पर विरोध करना अपना अधिकार समझते हैं और सरकार तुष्टिकरण करते-करते इतना झुक गयी है कि इस ओर देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती।

समान नागरिकता संहिता के अनुसार सभी के लिए एक कानून लागू होना चाहिए। जो इसका विरोध करते हैं उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग कानून नहीं होने चाहिएं। प्रत्येक दशा में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। यह अल्पसंख्यक ही हैं जो भले ही आतंकवाद का जहर पूरे काश्मीर में फैल जाये, धारा 370 के हटाये जाने का विरोध कर रहे हैं।

क्या कभी किसी प्रधानमंत्री अथवा राजनेता ने यह ग़ौर किया है शहाबुद्दीन ही पुलिस गिरफ़्तारी से बचने के लिए हठधर्मी क्यों करते

है। प्रान्त के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सेवानिवृत्ति के पश्चात देखने की धमकी देते हैं। जामा मस्जिद के इमाम कितनी भी बड़ी से बड़ी देश विरोधी बात कह दें उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती। क्यों गोधरा में रेल में यात्रियों को जीवित जला दिया जाता है। कच्छा बनियान धारी लुटेरों कातिलों का हमला किसी अल्पसंख्यक के घर पर होने का समाचार कभी नहीं मिला। अख़बार में जो समाचार प्रकाशित होते हैं उसमें अधिकांश मामले अल्पसंख्यकों की ज़्यादती, हठधर्मी अथवा दुराग्रह के होते हैं। क्यों है ऐसा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

तथाकथित अल्पसंख्यक अब अल्पसंख्यक नहीं है। इनको अल्पसंख्यकों के रूप में दी जाने वाली समस्त सुविधाएँ, समस्त तुष्टिकरण, समस्त प्रकार के आरक्षण समाप्त कर दिये जाने चाहिए। आप पूरे प्रान्त की गाँव पंचायत और नगरपालिकाओं के सदस्यों और अध्यक्षों की गणना कर ले अल्पसंख्यक आपको बहुसंख्या में मिलेंगे। अब हमें अल्पसंख्यक कहना और अल्पसंख्यक सहना छोड़ देना चाहिए।

आतंकवाद किनके द्वारा फैलाया जा रहा है। आतंकवादी कौन है। मंदिरों पर, संसद पर, सैन्य शिविर पर, रेलों पर, बसों में जो हमले हो रहे हैं, जो बम फूट रहे हैं, उसके पीछे अधिसंख्या में कौन है। यह हमारी हमारे देश के नेताओं की कमज़ोरी है जिससे आज अल्पसंख्यक के नाम पर हम उन्हें सबकुछ करने दे रहे हैं और स्वयं सब कुछ सह रहे हैं।

हमारे कुछ नेता हरित प्रदेश की माँग कर रहे हैं। यह ग़लत है। हरित प्रदेश का जो हिस्सा है वह उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ बिजनौर, ज्योतिबाफुलेनगर, सहारनपुर तथा बागपत, बुलंदशहर आदि क्षेत्र आते हैं। इतने भाग को उत्तर प्रदेश से हरित प्रदेश के नाम पर अलग कर देना किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हो सकती है किन्तु यह देश हित में नहीं है। जनसंख्या के हिसाब से यह भाग तथाकथित मुस्लिम बहुल है और यदि इसको एक स्वतंत्र प्रान्त बना दिया गया तो हो सकता है एक और बंगला देश या पाकिस्तान

जन्म ले ले। कितने सुरक्षित रहेंगे राष्ट्रभक्त स्वयं उसी डाल को काटकर जिस पर वह बैठे हैं।

सावधान रहने की आवश्यकता है उन ताकतों से जो हिन्दुस्तान को लील जाना चाहती है। जो हिन्दुत्व को बर्दाश्त नहीं कर सकतीं। जो नागरिक संहिता नहीं चाहतीं। जो हर मुद्दे पर राष्ट्र का विरोध करती हैं। राष्ट्र की नीतियों के विरुद्ध जेहाद करती है। जो नाश में विश्वास रखती हैं सृजन में नहीं। जो विरोध के नाम पर अपने बच्चों को पोलियो की दवा भी पिलाना उचित नहीं समझतीं जिन्हें प्रत्येक बिन्दु पर भारत, भारतवर्ष, भारतवासी और भारती का विरोध करना ही आता है। जो विरोध के नाम पर किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमें सावधान रहना होगा उन शरणार्थियों से जो वास्तव में शरणागत नहीं हैं बल्कि देश को तोड़ने और जासूसी के काम में लगे हुए हैं। हमें सावधान रहना होगा उन व्यक्तियों से जो भारतवर्ष, भारतवासी और राष्ट्रनीतियों के विरोध में भाषण देते हैं।

अगर हम सावधान नहीं रहेंगे। देश के दुश्मनों को और दोस्तों को नहीं पहचानेंगे आदमी और सांप में फ़र्क नहीं करेंगे तो सांप आदमी को डस लेगा। आदमी सांप को कभी नहीं डसता लेकिन सांप आदमी को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए सावधानी आवश्यक है। डॉ. इकबाल ने भी यही सोचकर यह कहा था–

न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिन्दुस्ताँ वालों
तुम्हारी दास्ताँ तक भी न होगी दास्तानों में

◆

❑ बिजली संकट

धरती का तापमान बढ़ रहा है। धूप जैसे जलाने को तैयार है सड़क पर पैदल चलना आग में चलने के समान प्रतीत होता है। सूर्य धरती के निकट आता जा रहा है। ओजोन पर्त के क्षतिग्रस्त होने के कारण सूर्य की किरणें सीधे धरती को छू रही हैं। प्रतिवर्ष यह संकट बढ़ रहा है। वृक्ष कट गये हैं अतः मौसम अनियंत्रित हो गये हैं वर्षा समय पर नहीं हो रही है। परिणामस्वरूप गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी से मरने की संख्या सैकड़ों से ऊपर पहुँच गयी है। लगता है आने वाले वर्षों में सड़क पर चलने वाला आदमी जल जाया करेगा। यह संकट आने वाले वर्षों में बढ़ेगा कम नहीं होगा।

ऐसे में एक मात्र सहारा बिजली का है किन्तु बिजली भी 24 घण्टे में 12 घण्टे के औसत से प्राप्त हो रही है किन्तु कभी-कभी 17-17 घण्टे भी गायब रहती है। गाँव में बिजली कभी आती है कभी नहीं आती है। वोटों की राजनीति में प्रत्येक गाँव को बिजली देने का वायदा छिपा हुआ है और बिजली गाँव-गाँव में पहुँचा दी गयी है किन्तु बिजली का उत्पादन ही नहीं हो रहा तब बिजली की पूर्ति कैसे हो?

बिजली उत्पादन की कई इकाइयाँ हैं। यदि देखा जाये तो एक स्थान पर 7 इकाई स्थित हैं तो उनमें से केवल दो ही काम करती हैं। दो आपात स्थिति के लिए आरक्षित रहती है। दो मरम्मत में रहती हैं और एक कोयले की कमी के कारण बन्द रहती है। यदि इकाइयाँ बन्द न रखी जायें तो उनकी मरम्मत आदि के सम्बन्ध में जो खर्चा होता है वह कैसे हो? और इस पर जो खर्चा हो रहा है उसका पर्चा बनता है और पर्चे में जो कमीशन होता है वह कैसे प्राप्त हो। देश चाहे सारा आग में जल जाये इकाइयाँ अच्छी भली होते हुए भी उत्पादन न करें। इससे अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ता और अधिकारियों पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को बिजली

मुफ्त मिलती है तथा उच्चाधिकारियों की आय इतनी है कि वह जेनरेटर भी रख सकते हैं। बिजली की कमी के कारण भले ही जनता तड़फ रही हो सब ओर त्राहि-त्राहि मची हो किन्तु बिजली विभाग में इसका कोई असर नहीं होता। अधिकारियों के वातानुकूलित यन्त्र और कर्मचारियों के कूलर आराम से चलते रहते हैं।

बिजली अधिकारियों को ही नहीं मुफ्त की बिजली पर उनका भी अधिकार है जो तारों में कटुवा डालकर बिजली की चोरी करते हैं और मज़ेदार बात यह है कि हम जानते हैं कि इस मौहल्ले में कटुवा डालकर बिजली की चोरी हो रही है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह मुहल्ला सुरक्षित जोन है वहाँ पर यदि कोई बिजली का अधिकारी कटुवा डालने वालों को पकड़ने जाता है तो वह सुरक्षित नहीं लौटता। वह इलाके उन लोगों के हैं जिनका तुष्टिकरण करने में बड़े-बड़े मंत्रियों का पूरा जीवन नष्ट हो गया। प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का एक मात्र जीवन का राजनीतिक उद्देश्य उनका तुष्टिकरण करना रहा है। उनके कटुवों को वह कैसे बिजली से वंचित कर सकते हैं। भले ही देश की अन्य जनता बिजली से वंचित रहे।

बिजली संकट के लिए राजधानियाँ और महानगर की वह सड़कें भी ज़िम्मेदार हैं जहाँ सड़क पर 24 घण्टे बिजली जलती है भले ही रात के अंधेरे में वहाँ पर बलात्कार जैसी घिनौनी घटनायें होती रहती हैं। किन्तु राजधानियाँ 24 घण्टे बिजली से जगमग रहती हैं। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में सूर्य की पूरी रोशनी होने के बावजूद बिजली जलाकर कार्य करने का प्रचलन आदिकाल से रहा है। किसी भी कार्यालय में आप चले जाइये वहाँ खुली छत पर भी आपको बिजली जलती हुई मिलेगी क्योंकि वहाँ बिजली जलाने वाला कर्मचारी रखा जाता है बिजली बुझाने वाला कर्मचारी नहीं।

नगरपालिकाएँ भी पीछे नहीं हैं। जगमग चौराहों पर भी ऊँचे-ऊँचे हाइपावर लैम्प लगा दिये गये हैं जिनसे कई घरों में उजाला हुआ है किन्तु सैकड़ों घरों की बिजली इनके द्वारा चूस ली जाती है। वह बिजली जो जनता को राहत पहुँचाती है, सैकड़ों घरों में रोशनी करती है। वह हाईपावर लैम्प के नाम लगाये गये ऊँचे-ऊँचे चौराहों के खम्बों

में से होकर केवल 4-5 व्यक्तियों की ही राहें रोशन करती है। भले ही पूरे शहर में अंधेरा रहे लेकिन चौराहों पर लगे लैम्पों से कुछ लोगों को तो लाभ होता ही है। जहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। वहाँ पर भी लैम्प लगा दिये गये हैं क्योंकि लैम्प लगाने में नगरपालिका का ख़र्चा होता है और ख़र्चे का पर्चा होता है पर्चे में कमीशन होता है।

जनता के वोट और जनता के नोट पर चलने वाली सरकार के मंत्री वातानुकूल कक्षों में बैठे हुए प्रदेश की ओर देश की बिजली के संकट पर चिन्ता व्यक्त करते हैं। वातानुकूल कक्ष से निकलकर वातानुकूल कार में बैठकर, वातानुकूल कार्यालय में कार्य करके कड़ा परिश्रम करने वाले मंत्री कैसे जनप्रतिनिधि हैं? जो जनता को बिजली नहीं दे सकते लेकिन उनके घर पर ख़ाली पड़े कमरे में भी वातानुकूल यंत्र चल रहा होता है। कितनी अंधी है जनता कि धूप में ऐसे लोगों को वोट देने जाती है जो वोट पाकर जनप्रतिनिधि बनकर संसद और विधानसभा में केवल अपने लाभ के लिए सांसद और विधायक-निधि तथा अपने भत्तों के बिल पास करते हैं। क्या लाभ है इस सांसद-निधि का क्या उपयोग होता है विधायक-निधि का यह अगर देखना है तो सांसद बनने से पहले और सांसद बनने के बाद सम्बन्धित व्यक्तियों की सम्पत्ति की जांच की जाये। पाँच वर्ष में ही यह इस प्रकार बढ़ जाती है जितनी अखण्ड प्रताप सिंह के पास भी तथाकथित रूप से नहीं पायी गयी। एक अरब जनता को अगर बिजली चाहिए तो जागृत होना होगा। जब तक सबको बिजली न मिले तब तक कोई भी वातानुकूल यंत्र न चलने दिया जायं। जब तक घरों में पंखे न चले तब तक समस्त कूलर बन्द कर दिये जायें। यह तभी हो सकता है। जब तक आने वाली गर्मी से पहले आपके खून में वह गर्माहट आये, जिससे क्रान्तिकारी कदम उठाये जा सकें। यदि घरों में बिजली नहीं आ रही है तो मन्त्रियों और अधिकारियों के घरों में भी अंधेरा रहना चाहिए।

प्रत्येक जिले को निजी टर्वाईन लगाकर बिजली का उत्पादन करने का अवसर/अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रत्येक जिलाधिकारी अपने जिले के औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सम्पर्क करके जिले की आवश्यकतानुसार बिजली उत्पादन के लिए तैयार करें और इसका वितरण भी

जिलाधिकारी के माध्यम से ही होना चाहिए। बिजली विभाग पूर्णतया निष्क्रिय और अवांछित हो चुका है। इसे बन्द कर दिया जाना चाहिए। मुझे याद है कई वर्ष पूर्व एक औद्योगिक प्रतिष्ठान ने अपने द्वारा उत्पादित अतिरिक्त बिजली जिला स्तर पर उपयोग करने की पेशकश की थी किन्तु इसके बदले में उससे जो माँग रखी गयी वह अविश्वसनीय थी। यह मांग पूरी न होने के कारण जनता को बिजली नहीं मिल सकी।

यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बिजली का निजीकरण तो कर सकते हैं। बिजली निजी उद्योगों को निजी क्षेत्र में उत्पादन और वितरण की अनुमति दी जानी चाहिए। बिजली विभाग को बिजली छुआ दी जानी चाहिए ताकि अन्त समय में अधिक कष्ट न हो और समय भी अधिक न लगे। बिजली का निजीकरण यदि नहीं किया गया तो भले ही बिजली अधिकारियों, मंत्रियों का वर्तमान प्रकाशमय हो किन्तु इन सभी का अन्त इतना अन्धकारमय होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

◆

❐ बेरोज़गारी–सरकारी लाचारी

भारतवर्ष में बेरोज़गारी एक ऐसी बीमारी की तरह है जो आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को, चोरों को तथा लुटेरे व डकैतों को जन्म देती है। वैसे तो हमारी सरकार भी चाहती है कि बेरोज़गारी बनी रहे क्योंकि सरकारी रैलियों में, पार्टियों की सभाओं में केवल बेरोज़गार व्यक्ति ही दैनिक भत्ते पर उपलब्ध हो सकते हैं। रोजगार पर लगा हुआ व्यक्ति जलसे जलूसों के लिए समय नहीं निकाल पाता किराये पर आये हुए बेरोज़गारों की संख्या जिस सभा में जितनी अधिक होती है वह सभा उतनी अधिक सफल मानी जाती है। धरने पर बैठाना हो, आन्दोलन करना हो अथवा कहीं झगड़ा कराना हो तो बेरोज़गार व्यक्ति सहायक सिद्ध होते हैं और सरकार का बड़प्पन कायम रहता है क्योंकि नेताजी की जय बोलने वाले जितने अधिक होंगे वह उतने ही बड़े नेता कहलायंगे।

सरकार कितनी प्रयत्नशील है बेरोज़गारी को जीवित रखने के लिए इसके कतिपय उदाहरण आपको इस प्रयास की सत्यता से अवगत करा सकते हैं। रोडवेज में बसें इस कारण कैंसिल हो जाती हैं क्योंकि बस कण्डक्टर की कमी है। एक-एक डिपो में आठ-आठ, दस-दस कन्डक्टर चाहिए किन्तु उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं जिन पर नई नियुक्ति न करके पुराने सेवा निवृत्त अध्यापकों को सम्भवत: 5000/– प्रतिमाह की दर से कार्य कराया जा रहा है। कार्यालय के लिए समूह 'ग' की परीक्षाएँ हुई थीं किन्तु आज तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला है उसके अर्न्तगत कोई नियुक्ति नहीं हुई है। न्यायालयों में न्यायाधीश से लेकर कार्यालय लिपिकों तक के संस्थान रिक्त हैं और उनके लिए परीक्षाएँ/नियुक्तियाँ करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। रेलों

में टिकट चैकर स्टाफ की बहुत कमी है कभी-कभी तो पूरी गाड़ी पर एक ही टिकट चैकर होता है और कुछ रात में चलने वाली गाड़ियों पर तो टिकट चैकर होता ही नहीं। उच्च न्यायालयों में भी न्यायमूर्तिगण की संख्या पूर्ण नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्टाफ की कमी है और अब तो भिन्न-भिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटीकरण हो जाने के कारण वैसे भी स्टाफ की आवश्यकता कम हो जायेगी।

भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को रोज़गार उपलब्ध होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है किन्तु जो लोग सरकार द्वारा उत्पन्न बेरोज़गारी के कारण मर रहे हैं उनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है जो लोग बेरोज़गारी की कुण्ठा के कारण आत्महत्या कर रहे हैं उनकी मौत का मुकदमा किसके खिलाफ़ चलाया जाये।

मैंने गतवर्ष लिखा था कि भारतवर्ष जैसे देश में जहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है वहाँ सरकारी नौकरियों में पति और पत्नी में से केवल एक को लिया जाना चाहिए। दोनों को सरकारी नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। मैंने यह भी लिखा था कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पुनर्नियुक्तियाँ नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे उन लोगों के साथ अन्याय होता है जो बेरोज़गार हैं। यदि उपरोक्त दोनों सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाये तो कई लाख लोगों को पूरे देश में रोज़गार मिल सकता है। सेवानिवृत्त व्यक्तियों को पुनर्नियुक्ति देने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि जो एक पद के लिए सेवामुक्त की श्रेणी में आ गया है। वह दूसरे पद के लिए सेवायुक्त कैसे माना जा सकता है। पुनर्नियुक्ति अनुग्रह पर आधारित होती है और अनुग्रह मुफ्त में कहीं नहीं मिलता। सेवानिवृत्त व्यक्तियों को, यदि वह डॉक्टरी, वकालत अथवा अन्य कोई व्यवसाय करते हैं, पेंशन मुक्त भी कर दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को पेंशन क्यों दी जाए जो अन्यत्र आय प्राप्त कर रहे हैं। व्यवसाय की स्वतंत्रता किसी बेरोज़गार की कीमत पर नहीं दी जानी चाहिए।

यदि पूरे देश में जितने रिक्त स्थान हैं उन पर नियुक्तियाँ कर दी जायें और सेवानिवृत्त व्यक्तियों को पुनर्नियुक्ति का दान बन्द कर दिया जाये और सरकारी सेवा में पति पत्नी में से एक का सिद्धान्त प्रभावी

कर दिया जाये तो एक भी बेरोज़गार देश में नहीं रहेगा। आज बेरोज़गारों से ज़्यादा संख्या उन रिक्त स्थानों की है जिन पर नियुक्ति नहीं हुई है।

लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, रोज़गार कार्यालय सम्बन्धित मंत्रालय क्यों रिक्त स्थानों में नियुक्ति के प्रति उदासीन है। क्या बिना स्वार्थ देश हित या समाज हित में कोई कार्य होना ही नहीं चाहिए। बेरोज़गारी आज की नहीं है सालों से है और उसी प्रकार रिक्त स्थान भी आज जानकारी में नहीं आये हैं वर्षों से जानकारी में है किन्तु कोई कुछ नहीं कर रहा। प्रतिभाएँ नष्ट हो रही हैं, नौजवानों में कुण्ठा बढ़ती जा रही हें जिसके कारण या तो नौजवान आत्महत्या करते हैं या सामाजिक अपराध में लिप्त हो जाते हैं। हम कब तक आँख मूंद कर यह सब देखते रहेंगे। कब तक हम उदासीन रहेंगे और कब तक आकण्ठ स्वार्थ में डूबे रहकर अपना बड़प्पन ढोते रहेंगे। आतंकवादी काश्मीर के वो नौजवान हैं जो कुछ करना चाहते हैं किन्तु जिन्हें रोज़गार का अवसर ही नहीं मिलता। जीने के लिए पैसा चाहिए और पैसा या तो व्यवसाय से प्राप्त होता है या चोरी से। या तो कमाया जाता है या छीना जाता है! सरकार नियुक्तियाँ न करके और पुनर्नियुक्तियाँ करके नौजवानों को सामाजिक अपराधों की ओर धकेल रही है। नई नियुक्तियाँ तुरन्त होनी चाहिए, रिक्त स्थान तुरन्त भरे जाने चाहिए और पुनर्नियुक्तियाँ तत्काल प्रभाव से रोक दी जानी चाहिए। साम्प्रदायिक दंगे, आतंकवाद, चोरी डकैती अपने आप मर जायेगी।

वर्तमान में अधिकारियों को जो वेतन दिये जा रहे हैं वह लगभग एक हज़ार रुपये रोज़ पड़ते हैं। जो भारतवर्ष जैसे देश में जहाँ बेरोज़गारी बहुत है, जहाँ मज़दूर की औसत आमदनी सौ रुपये प्रतिदिन से भी कम है वहाँ एक हज़ार रुपये रोज़ का वेतन देना बहुत अधिक है। वेतनमान कम होने चाहिए संविधान में परिवर्तन करके अधिकतम वेतन 350 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए। किसी भी आदमी की ज़रूरत खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और परिवहन आदि पर 10,000 रुपये महीने से ज़्यादा खर्च नहीं होता। हमें संविधान में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। यदि हम स्वच्छ और स्वस्थ समाज चाहते हैं तो हमें बेरोज़गारी को समाप्त करना होगा। भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। हमें मामले की जड़

तक पहुँचना आवश्यक है। मात्र कुर्सी पर बैठे रहने, आश्वासन और भाषण देने, वातानुकूलित कमरे में बैठकर योजनाएँ बनाने से कार्य नहीं चलेगा। ठोस कदम उठाने ही होंगे और इससे पहले कि बेरोज़गारों का संगठन सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी करे हमें बेरोज़गारी दूर करने के उपायों पर विचार करना होगा। कोई भी व्यक्ति कानून को तभी हाथ में लेता है जब कानून अपना काम नहीं करता। इससे पहले की जनता कि आँधी देश में आमूल-चूल परिवर्तन की मांग करें हमें संविधान में बेरोज़गारी के मद्दे-नज़र आमूल-चूल परिवर्तन कर देना चाहिए।

◆

❒ राजनैतिक सुविधाएँ और सुरक्षा

जनप्रतिनिधि बनते ही राजनेता असुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं और राज्य को उनकी सुरक्षा की व्यस्था करनी पड़ती है क्योंकि यदि उन्हें कुछ हो गया तो देश का क्या होगा। उन्हीं के कन्धों पर सारा बोझ है घर-बाहर की ज़िम्मेदारी है, देश के हित और अहित की वही सोच सकते हैं। अमूल्य धरोहर हैं वह मातृभूमि की। कल तक एक सामान्य नागरिक थे कहीं भी जाये कहीं भी आये सब जगह सुरक्षित थे और अब राजनीति में आते ही सांसद विधायक या मंत्री बनते ही, अपने ही शयनकक्ष में असुरक्षित हो गये हैं। कौन बुलाने गया था इन्हें कि आप राजनीति में आईये सांसद विधायक या मंत्री बनिये और असुरक्षित हो जाईये। अरे आप अपने सुख की ख़ातिर, सत्ता की ख़ातिर राजनीति में आये हैं। आपको चिन्ता होनी चाहिए देश की सुरक्षा की, आम नागरिक की सुरक्षा की किन्तु आप परेशान हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। लौट जाइये वहीं जहाँ से आये हैं। राजनीति में ऐसे व्यक्तियों को आना ही नहीं चाहिए जो नागरिक की सुरक्षा न कर सके, देश की सुरक्षा न कर सके और अपनी सुरक्षा बढ़ाये जाने की माँग करते रहें। जनता को जाग्रत होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को नकारा जाना उचित होगा।

संसद से लेकर रेलों और सड़कों पर, वायुयानों में अपने घर में आम नागरिक कहीं भी सुरक्षित नहीं है। संसद पर आतंकवादियों का हमला होता है, चलती रेल से सिपाहियों को फेंक दिया जाता है, सड़कों पर रोज़ गाड़ियाँ लुटती हैं, वायुयानों का अपहरण होता है तथा घरों में डकैती पड़ती है। सेना के सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी भी लूट और कत्ल से नहीं बच पाते। आतंकवादी हमले जितने बढ़ते हैं। रेल, सड़क, वायुयान और घरों में जितनी दुर्घटनाएँ, कत्ल और डकैतियाँ होती हैं। उतना ही आम नागरिक असुरक्षित होता जाता है और यह जन प्रतिनिधि

और अधिक सुरक्षा की माँग करते हैं। जितने अधिक घोटाले जिसके नाम पर होते हैं, वह उतना ही अधिक विशेष सुरक्षा, कमाण्डों दस्ते, एस.पी.जी. आदि की माँग करता है और सर्वाधिक घोटाला करने वाले को जैड सुरक्षा की आवश्यकता हरेती है। जिसके नाम पर एक भी घोटाला दर्ज हो उसके घोटाले का जब तक निस्तारण न हो जाये और जब तक वह घोटाला मुक्त न हो जाये तब तक ऐसे मंत्री, महामहिम, अधिकारी को कोई सुविधा/सुरक्षा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। घोटालामुक्त व्यक्ति ही सुरक्षा के अधिकारी है। अतः जिनके नाम पर घोटाले दर्ज हैं उनकी सुविधा/सुरक्षा तुरन्त वापस ले लेनी चाहिए और उनसे कहा जाना चाहिए कि वह घोटाला मुक्ति का आदेश अदालत से प्राप्त करके प्रस्तुत करे तब उन्हें कोई सुविधा प्रदान की जा सकती है। जिनके नाम पर मुकदमे दर्ज हैं उन्हें मंत्री, सांसद या विधायक बनाने से पहले उस मुकदमे से आरोप मुक्ति का प्रमाणपत्र अदालत से लेकर देना आवश्यक कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा मुकदमा दर्ज होता है नेता जी स्टे ले लेते हैं और अपने जीवन काल में मुकदमे का निस्तारण नहीं होने देते तथा आराम से सत्ता सुख भोगते रहते हैं।

जितनी सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक सांसद, विधायक या मंत्री को प्रदान की जा रही है और उस पर जो धन व्यय किया जा रहा है उस पर एक पूरी फौज का खर्चा हो रहा है। क्यों असुरक्षित हैं यह लोग, इस पर विचार होना आवश्यक है। वास्तव में यह कर्म ही ऐसे करते हैं कि इन्हें हर समय डर बना रहता है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने जो ताजमहल घोटाला किया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने जो चारा घोटाला किया या रक्षा मंत्री के नाम पर ताबूत घोटाला, खाने के डिब्बों का घोटाला दर्ज है उसी का डर इनके मन में बैठता है इनको रातों को डराता है सपने में भी इनको डराता है सपने में भी इनको शत्रु दिखाई देते हैं इसलिए यह लोग और सुरक्षा की माँग करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को महामहिम राज्यपालों को, राष्ट्रपतियों को विशेष सुरक्षा, सुनने में अजीब सा लगता है जो कल तक लोकप्रिय नेता थे जिनके गले में हार डाले जाते थे उनको आज क्या हो गया कि अपनी परछाई से भी डरने लगे। जनता उनकी दुश्मन हो गयी और उन्हें

अंगरक्षक, एस.पी.जी., कमाण्डो अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो गये। शयनकक्ष में भी बगैर कमाण्डो के नहीं जा सकते बाथरूम भी पहले एस.पी.जी. का व्यक्ति चैक करता है। क्या तमाशा है।

विज्ञप्ति हो जानी चाहिए, कानून बन जाना चाहिए कि किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री तथा महामहिम राष्ट्रपति व राज्यपाल आदि को सम्मानसूचक दो व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई विशेष कमान्डो ग्रुप या एस.पी.जी. प्रदान नहीं की जायेगी। जिस प्रकार महामहिम राज्यपाल एक सेना के अधिकारी के साथ चलते हैं उसी प्रकार केवल एक सेना का अधिकारी और एक उसका सहायक प्रत्येक को दिया जाना चाहिए। जिसे इससे अधिक चाहिए वह अपने घर बैठे। देश को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। जो देश की सुरक्षा में नाकाम है और अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। पूर्व हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद या विधायक या महामहिम किसी को भी सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक अर्दली समान व्यक्ति उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जिन लोगों को जान माल का खतरा है वह राजनीति छोड़ दें और घर बैठ जायें।

कितना बड़ा अचम्भा है कि अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, पूरे डॉक्टर नहीं हैं, पूरे बिस्तर नहीं है, पूरे उपकरण नहीं है। सरकारी अस्पतालों की बनिस्बत प्राईवेट नर्सिंग होम अधिक- फलफूल रहे हैं। सामान्य नागरिक को पैसे देकर भी उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है और माननीय मंत्रीगण, महामहिम सभी मुफ्त चिकित्सा का लाभ उठा रहे हैं। यानि जिनके यह प्रतिनिधि हैं, जिनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए यह वचनबद्ध हैं वह असुरक्षित है और इनकी चिकित्सा के लिए डॉ. विदेशों से सरकारी खर्चे पर आते हैं। करोड़ों रुपये का बिल मुफ्त की दवा का बनता है। जिसका बोझ उन व्यक्तियों पर पड़ता है जिनके यह प्रतिनिधि हैं। कैसी विडम्बना है कि मालिक चिकित्सा को तरस रहा है डॉ. की अनुपस्थिति में मरीज दम तोड़ रहा है और उसके प्रतिनिधि मुफ्त की विटामिन की गोलियाँ खाकर लाल हो रहे हैं। जैसे कि जनता का लहू पी रहे हों। बन्द होनी चाहिए यह मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था। उन सभी सरकारी कार्यालयों में जैसे स्टेट बैंक, जीवन बीमा

निगम, आर्डिनेंस फैक्ट्री आदि जिनमें कर्मचारियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ दी जा रही हैं। वह बन्द होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को वेतन मिलता है। मंत्री से लेकर कर्मचारी और संतरी तक सब वेतनभोगी हैं। चिकित्सा यह अपने वेतन से करायें। देश पर इनका कोई कर्ज़ा या एहसान नहीं है कि देश इनकी चिकित्सा का भी प्रबन्ध करे।

सेवानिवृत्ति के उपरान्त तो सभी को पेंशन की सुविधा कर दी गयी है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी सरकारी मंत्रियों-संतरियों और कर्मचारियों को दिया जाना राजस्व के साथ बलात्कार है। जिन व्यक्तियों ने कर दे देकर यह राजस्व इकट्ठा किया है उनको तो मुफ्त क्या धन देने पर भी सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती और उसी जनता के धन पर पलने वाले मंत्री संत्री कर्मचारी मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाते हैं। क्यों आखिर मुफ्त चिकित्सा सुविधा, लाखों रुपये के बीमारी के बिलों का भुगतान एक-एक व्यक्ति को किया जाना किस प्रकार संवैधानिक और उचित है। जो जिस पद पर कार्य कर रहा है उसके अनुरूप वेतन ले रहा है। जो कार्य नहीं कर रहा वह उद्योग अथवा मजदूरी से कमा रहा है। सबको समान चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए। उसी अस्पताल में मंत्री जी को भी वही दवा मिलनी चाहिए जो आम नागरिक को मिलती है।

जब संसद में बैठे व्यक्ति अपने लाभ के लिए कानून बनाते हैं तो उसमें देश हित नहीं होता उसमें जन हित नहीं होता। उसमें उन्हीं सांसदों का हित होता है, उन्हीं विधायकों का हित होता है जो कानून बना रहे हैं। सांसद निधि और विधायक निधि के नाम पर करोड़ों की राशि का आवंटन एक छोटा सा क़ानून बनाकर कर दि्या गया। प्रत्येक सांसद, निधि को अपने बाप की जागीर समझता है। प्रत्येक विधायक इसको दहेज का माल समझता है। भाजपा के हारने का एक कारण यह भी था कि सांसदों ने सांसद निधि का सदुपयोग नहीं किया। देश हित मं इसका प्रयोग नहीं किया। सांसद-निधि किस लिए। केवल सांसदों को खुश करने के लिए मिलबांट कर खाने के लिए। शर्म आनी चाहिए इस कानून पर। जब देश में निर्माण कार्यों के लिए अन्य जनहित के कार्यों

के लिए कई एजेन्सियाँ हैं तो सांसद निधि क्यों। संसद जानती है कि सांसद निधि का सांसद किस प्रकार प्रयोग करते हैं विधायक किस तरह इसको देश हित में लगाते है कितनी देश के काम आती है कितनी सांसद या विधायक के काम आती है। किन्तु संसद देखकर भी चुप है क्योंकि जब सभी नंगे हैं तो कौन नंगे को नंगा कहेगा। जब सभी को मुफ्त की मिल रही है तो कानून में बदलाव क्यों हो। जनता को जागना होगा इस कानून के विरुद्ध इस निधि के विरुद्ध और ऐसी अन्य निधियों के विरुद्ध जो जनहित में नहीं व्यक्तिगत हित के लिए उपयोग की जाती हैं उनको बन्द कराने के लिए भले ही अहिंसात्मक महात्मा गाँधी द्वारा प्रचलित आंदोलन क्यों न करना पड़े।

पद पर रहने पर, टेलीफोन, बिजली, कार, निवास तथा रेल व बस में यात्रा की सुविधाएँ एक सीमा तक इनका प्रयोग जनहित में करने की सुविधा दी जानी चाहिए। वह टेलीफोन कालें जो सरकारी नहीं हैं व्यक्तिगत हैं वह यात्राएँ जो निजी हैं उनका बोझ सम्बन्धित मंत्री, संतरी तथा कर्मचारियों पर पड़ना चाहिए राजकोष पर नहीं। व्यक्तिगत कार्यों के लिए व्यक्तिगत दौरों के लिए सरकारी दौरों पर परिवार को साथ ले जाने के लिए (पत्नी को छोड़कर) हुए खर्चों का भुगतान सम्बन्धित व्यक्ति अपने वेतन से करे। इसका राजकोष से भुगतान का कोई प्राविधान नहीं होना चाहिए और यदि है भी तो वह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जनता को जागना होगा, जागना ही होगा अन्यथा भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया था उसका सोना चुराकर उसके ही अपने अपनी तिजोरियों में बन्द कर लेंगे और भारत रह जायेगा इनके काले कारनामों का देश।

मुफ्त की तोड़ने वाले यह राजनेता किस प्रकार राजकोष का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं है किन्तु कोई भी इस पर उंगली नहीं उठाना चाहता क्योंकि सभी को मिल रहा है। सभी खा रहे हैं तो दूसरे के खाने पर आपत्ति कौन करे। देश के सम्पूर्ण मंत्रियों तथा कर्मचारियों को मिलने वाली सुरक्षा, चिकित्सा, सांसद एवं विधायक निधि, पेंशन, यात्रा-भत्ते यदि जोड़ दिये जायें तो भारतवर्ष की जनसंख्या से अधिक धन एक वर्ष में व्यय हो जाता है। देश हित में

लगाने के लिए कहाँ से आयेगा। यह सुविधाएँ उस सुविधा शुल्क से अलग है जिसे लेने का प्रत्येक को संवैधानिक अधिकार है और जिसकी आय, जिसकी प्राप्ति उस वेतन से कई गुना अधिक होती है जो किसी व्यक्ति को मिलता है। आश्चर्य होता है, यह मधुमेह के मरीज जो कुछ खा नहीं सकते, यह दमे से फूलते हुए सीने जो थोड़ा सा चलने पर ही हाँफ जाते हैं यह नींद का गोली के सहारे सोने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा शतप्रतिशत हृदय रोगी आखिर इस धन का करते क्या हैं जो राजकोष से खींच रहे हैं।

जनता को जागरण का बिगुल बजाना होगा जिससे सुरक्षा, चिकित्सा, सांसद/विधायक निधि तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में उचित कानून बने भले ही इसके लिए हड़ताल, धरने, अहिंसात्मक आदोंलन और डांडीमार्च जैसे दिल्ली मार्च करने पड़े। जय जनता जय जनार्दन।

◆

❐ महिला आरक्षण ❐

गाँधी जी ने आरक्षण का जो नुस्खा हरिजनों के सम्बन्ध में कांग्रेस को दिया था और जिसका लाभ हरिजनों के उत्थान में कम हुआ अपमान में अधिक हुआ, उसका प्रयोग संसद में विधान सभा में, नौकरी में, कॉलिज में यानि कि प्रत्येक स्थान पर होने लगा है। परिणाम स्वरूप आरक्षण शब्द का मतलब ही बदल गया है। आरक्षित व्यक्ति को समाज में वह सम्मान कभी नहीं मिलता जो स्वतंत्र व्यक्ति को मिलता है। प्रत्येक आरक्षण प्राप्त व्यक्ति को प्रशंसा की नज़रों से नहीं देखता किन्तु ऐसा लगता है भारतवर्ष में अब शायद आरक्षण के बग़ैर काम चलना ही मुश्किल है चुनाव में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, कभी जाति के प्रश्न पर आरक्षण और कभी पुरुषों और महिलाओं के बीच में आरक्षण। हरिजनों के सम्बन्ध में तो यह माना जा सकता है कि उनके उत्थान के लिए सम्भवतः आरक्षण उचित था किन्तु यदि इसका रूप कुछ सुधार दिया जाता तो सारा समाज इसका स्वागत करता। किन्तु महिलाओं के संदर्भ में आरक्षण की कोई तुक ही नहीं है। महिलाओं के लिए पंचायत में संसद में, राज्यसभा में, नौकरियों में सीट आरक्षित करना देश हित में नहीं है और न ही हमारे समाज में इसको अच्छा समझा जाता है।

जहाँ तक चुनाव की बात है पंचायत के चुनाव में ग़ाम प्रधान तो महिला बनती है किन्तु उसका कार्य उसके पति देखते हैं और इसी प्रकार विरोधाभास जन्म लेता है। संसद में और राज्यसभा में भी विद्वता के आधार पर नियम बनाया जाना चाहिए। आरक्षण का नियम नहीं होना चाहिए। बिना आरक्षण के भी इंदिरा गाँधी, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, जैसी महिलाएँ भारत वर्ष में हो सकती है तो आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव में जो महिलाएँ संसद सदस्य या

राज्यसभा सदस्य बनती है उनमें से अधिकांश के परिवार बिखर जाते हैं क्योंकि कोई भी पति यह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी पर पुरुषों के बीच में वैठकर सारा-सारा दिन घर से बाहर रहे। भ्रष्ट राजनीतिज्ञों की महिला आरक्षण की चर्चा केवल वोट के ही कारण होती है। महिलाओं को यह किस दृष्टि से देखते हैं। महिलाओं का इनकी नज़र में क्या सम्मान है यह आये दिन समाचारों में ज्ञात होता रहता है।

जो महिलाएँ नौकरी पर जाती हैं और पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। वहाँ एक दूसरे पर संदेह जन्म लेता है। यह मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है कि कोई कहे वह अपनी पत्नी पर संदेह नहीं करता। जो स्त्रियाँ नौकरी करती हैं वह परिवार से बाहर हो जाती हैं। प्रातःकाल सजधज कर कार्यालय जाती है और वहाँ अपने सहकर्मियों की प्रशंसा या आलोचना सुनती है। इनके वहाँ पर जो मित्र बनते हैं वह घर जाकर अपनी पत्नी की तुलना उनसे करने लगते हैं। पत्नी बेचारी नौकरी करने वाली महिला की तुलना में हल्की पड़ जाती है। कारण होता है पति बात-बात पर अपनी पत्नी को झिड़कते हैं उसकी अनदेखी करते हैं और कभी-कभी हाथ भी उठा बैठते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है और आपस में इतना खिंचाव हो जाता है कि पति अपने मन की शान्ति कहीं और ढूँढने लगता है और महिलाएँ सहानुभूति प्राप्त करने के लिए पुरुष सहकर्मियों में अपना रोना रोती है और दृश्य बदलते हैं सहानुभूति सम्बन्धों में और सम्बन्ध अंतरंगता में परिवर्तित होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप परिवार बिखरते हैं रोज की कलह जन्म लेती है। महिलाएँ ही महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का कारण बनती हैं। महिलाओं के ऊपर सबसे बड़ा दायित्व अपने बच्चों के पालन-पोषण का होता है किन्तु नौकरी करने वाली महिलाएँ बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती। परिणामस्वरूप बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। पुत्र अवज्ञा करने लगते हैं और रात-दिन के माता-पिता के झगड़े से परेशान होकर अधिकांश समय घर से बाहर रहते हैं। पुत्रियाँ प्रलोभन की शिकार हो जाती है। नशे की आदत पड़ने लगती है। पैसों के लिए चोरी, डकैती जैसी घटनाएँ बच्चों को अपनी ओर खींचती हैं लड़कियाँ भी सहज आय के चक्कर में स्वयं ही बर्बादी की ओर मुड़ जाती हैं। किसी दिन का भी

अख़बार उठाकर देख लें कोई न कोई सलीम किसी न किसी करिश्मा के साथ बलात्कार करता नज़र आता है अथवा ब्लू फिल्म बनने लगती है। इस सब का कारण बच्चों की अपेक्षा और स्वार्थ सिद्धि में लिप्त माता-पिता का अलग-अलग नौकरी करना है।

शर्म आती है महिला पुलिस को एकदम टाईट कपड़े पहने देखकर। पीछे से लेकर आगे तक शरीर जैसे स्पष्ट दिखाई देने के लिए तैयार रहता है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति किसी महिला की चेन खींचकर भाग रहा है और वहाँ पर महिला पुलिस की बड़ी अधिकारी अपनी मोटर साईकिल पर बैठकर उसके पीछे भागती है। पकड़ लेती है और जब वह चेन खींचने वाला महिला पुलिस की पकड़ में आ जाता है तो वह अपने आप को छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता बल्कि वह महिला पुलिस स्वयं ही उसे छोड़कर भागने में अपनी भलाई समझती है। नुमाईश में मेलों में, अस्पतालों में महिला पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है। केवल शो-पीस बनाकर। जिस विभाग में महिलाओं की भर्ती पर प्रतिबन्ध होना चाहिए था उसमें उन्हें नये-नये रूप में प्रस्तुत किया जा रहा ह। मुस्तैद, स्वस्थ महिला पुलिस को देखकर कुछ लोग डकैत बनने की मन्नत मांगने लगे हैं और प्रार्थना करने लगे हैं कि वह डकैती करते हुए फला महिला पुलिस के हाथ पकड़े जायेंगे। यदि यही हाल रहा तो सारे बदमाश चोर और डकैत बन जायेंगे और जहाँ भी महिला पुलिस की ड्यूटी देखेंगे वही चोरी की घटना को अंजाम देना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले सुना था कि महिला पुलिस को रात्रि ड्यूटी सौंपी जा रही है। यदि यह सही है तो भगवान ही बचाये उस महिला पुलिस अधिकारी को जिसकी रात्रि ड्यूटी बिना पुरुष सिपाहियों के लगा दी गयी है। यदि महिला पुलिस अधिकारी के साथ पुरुष सिपाहियों की आवश्यकता है तो महिलाओं को पुलिस में भर्ती ही क्यों किया जाये। जिन मंत्रियों के आवास पर, जिन सांसदों के आवास पर महिला पुलिस की ड्यूटी लगेगी और वहाँ पर कोई भी पुरुष सिपाही नहीं होगा तो वहाँ छुपकर देखा जाये तो सभी कुछ शर्मनाक नज़र आयेगा। महिलाओं में पुलिस की भर्ती भारत वर्ष जैसे संस्कारित देश में उचित नहीं है।

मेरा तो यह मानना है कि महिलाओं को उतनी ही पढ़ाना चाहिए जितना कि बच्चों के रख-रखाव के लिए आवश्यक है। कल्पना चावला बनाने के लिए पढ़ाना आवश्यक नहीं है क्योंकि अगर कल्पना चावला अंतरिक्ष में हो भी आती और जीवित रहती तो भी देश की महिलाओं का कोई भला होने वाला नहीं था। देश हित में वही महिलाएँ सही मायने में कारगर हो सकती है जो प्रलोभन छोड़कर अपने बच्चों को शिक्षित करने पर, संस्कारी बनाने पर ध्यान दें, न कि स्वार्थ हित में बच्चों को भूल कर नौकरी पर जाये।

पिछले दिनों अखबार में पढ़ने को मिला कि इंग्लैंड की भूतपूर्व स्व. राजकुमारी डायना को अपने पुत्र को अपने पति से ही उत्पन्न सिद्ध करने के लिए डी.एन.ए. टेस्ट कराना पड़ा। जहाँ तक बच्चों का प्रश्न है गर्भवती महिलाएँ जिस चेहरे को बार-बार देखती है वैसा ही उनके गर्भस्थ शिशु का चेहरा हो जाता है। जो महिलाएँ नौकरी में होगी वह स्वाभाविक है गर्भावस्था में अपने पुरुष सहकर्मियों का ही चेहरा दिन के आठ घण्टे देखेगी। अत: बार-बार देखे गये उस चेहरे का प्रभाव गर्भस्थ शिशु के चेहरे की बनावट पर पड़ेगा। परिणाम होगा एक और डी.एन.ए. टेस्ट।

भारतवर्ष में जहाँ आये दिन बलात्कार के मामले सामने आते रहते हैं। दो वर्ष की बच्ची से लेकर 60 वर्ष की बुढ़िया स्त्री तक सुरक्षित नहीं है। वहाँ स्त्रियों को महिलाओं को नौकरी में, संसद में, विधान सभा में, पंचायत में, कॉलिज में, पुलिस में, आरक्षण की आवश्यकता नहीं हैं बल्कि आवश्यकता है सुरक्षा की हम सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है इसीलिए महिलाओं को सशक्त बनाने के नाम पर घरों को तोड़ने में लगे हुए हैं। सोनिया गाँधी बनने के लिए, इंदिरा गाँधी बनने के लिए मारग्रेट थैचर बनने के लिए या कल्पना चावला बनने के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, योग्यता की आवश्यकता है। महिला आरक्षण उन महिलाओं और पुरुषों का नारा है जो स्वच्छन्द आचरण में विश्वास रखत हैं। देश हित, जन हित का, इससे कोई लेना देना नहीं है।

स्त्री का कार्य है घर की चारदीवारी के अन्दर रहकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान करना। एक स्वच्छंद समाज के निर्माण में

योगदान देना जो घर से बाहर निकलकर संभव नहीं है। आतंकवाद के बढ़ने का कारण यही है कि आज महिलाएँ अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। झूठे प्रलोभनों में फंसकर घर की चार दीवारी की लक्ष्मण रेखा को लांघकर कपटी साधुओं के चक्कर में फंस रही हैं। स्त्रियों को सावधान होना होगा कुछ सिरफिरी स्त्रियों के बहकाने में न आकर अपने घर की अस्मिता को सुरक्षित रखना होगा नहीं तो आरक्षण रूपी अजगर निगल जायेगा। नौकरी, धन कमाना, बाज़ार और समाज के अन्य कार्य करना यह पुरुषों का कार्य है स्त्रियों का नहीं। घर की चारदीवारी के बाहर कोई स्त्री सुरक्षित नहीं है। अतः उन राजनेताओं का मुँह काला करना होगा, जो स्त्रियों को घर से बाहर निकालने पर तुले हुए हैं और तरह-तरह के प्रलोभन देकर उन्हें चारदीवारी के अन्दर नहीं रहने देना चाहते।

जो महिलाएँ नौकरी आदि प्रलोभनों में फंसकर अहंकार के कारण विवाह नहीं करती वे कितनी सुरक्षित हैं यह उनकी दिनचर्या को देखने से स्पष्ट ज्ञात हो सकता है। समाज में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है उन महिलाओं के आचरण पर जो विवाह से अधिक नौकरी/ व्यवसाय / राजनीति को पसंद करती है। इस विषय पर अभी और शोध की आवश्यकता है। समाज के विद्वानों से आग्रह है कि कि इस संदर्भ में खुलेआम शास्त्रार्थ करायें तथा महिलाओं के साथ आरक्षण के नाम पर जो धोखा किया जा रहा है उसका पर्दा उठाएँ। भले ही कुछ राजनीतिज्ञों को नंगा क्यों न करना पड़े।

◆

❐ हिन्दी

किसी भी देश का अस्तित्व भाषा-भूषा-भेष पर निर्भर करता है। अंग्रेजों ने जब भारतवर्ष पर कब्ज़ा किया तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ की भाषा को नष्ट करने और अपनी भाषा को जमाने की प्रक्रिया आरम्भ की। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजीयत और अंग्रेजी हावी होती गयी तथा हिन्दी और हिन्दुस्तानी भाषा पर्दे के पीछे केवल घरेलू भाषा बनकर रह गयी। सारे सरकारी काम-काज अंग्रेजी में होने लगे। सबसे बड़ी नौकरी इण्डियन सिविल सर्विस का माध्यम अंग्रेजी बन गई। अंगेजी जानने वाले अंग्रेजों के चहेते हो गये और देशभक्तों को हिन्दी प्रेमियों को फाँसी पर चढ़ा दिया गया। हिन्दी के गौरव को जो उस समय ग्रहण लगा था उसका उग्रहण अभी तक नहीं हुआ है। आज भी अंग्रेजी और अंग्रेज़ीयत हम पर हावी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अंग्रेजी पहनावे का तो प्रयोग करते ही हैं अंग्रेजी बोलने से भी परहेज़ नहीं करते। इण्डियन सिविल सर्विस के नाम भले ही भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया है किन्तु अभी भी वहाँ पर माध्यम अंग्रेजी है।

हिन्दी पखवारा मनाया जाता है। हिन्दी दिवस मनाये जाते हैं। गत वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस का आयोजन नगर में किया गया। 14 सितम्बर श्राद्ध पर्व के बीच में पड़ा। उपस्थिति इतनी शून्य थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हम हिन्दी का श्राद्ध कर रहे हों। हिन्दी दिवस के अवसर पर कवि गोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें पूर्ण रूप से उर्दू की ग़ज़लें पढ़ कर हिन्दी भाषियों ने हिन्दी के तरफ़दारों ने हिन्दी के पैरोकारों ने वाहवाही लूटी। कैसा हिन्दी दिवस था और कैसा हिन्दी का सम्मान हुआ। यह देखकर हिन्दी प्रेमी मन ही मन क्षुब्ध हो गये। दुखी हो गये। एक और अवसर पर एक बड़े शिक्षण संसथान ने हिन्दी दिवस का आयोजन किया और उसमें हिन्दी के नाम पर कुछ नहीं था। स्टेट

बैंक के उच्चाधिकारियों की प्रशंसा की गयी। विश्वविद्यालय के कुलपति को आयोजन का अध्यक्ष बना दिया गया और कुछ अपने शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित व्यक्तियों को अपनी प्रशंसा में बोलने का अवसर प्रदान किया गया तथा कुछ कोकिल कंठी व्यक्तियों को काव्य पाठ के नाम पर ग़ज़ल तथा फ़िल्मी गीतों की पैरोडी सुनाने का अवसर प्रदान किया गया। कुछ समृति चिन्ह बाँटे गये। एक हिन्दी प्रेमी कुछ कहना चाहते थे उनको समयाभाव के कारण रोक दिया गया क्योंकि कुलपति जी को जल्दी जाना था। स्टेट बैंक के उच्च अधिकारियों के घर मेहमान आ गये थे अत: उनकी इच्छानुसार यह आयोजन समाप्त कर दिया गया। पता चला जिस शिक्षण संसथा ने यह आयोजन किया था वह कोई नया पृष्ठ अपनी शिक्षण संस्थान की पुस्तक में जोड़ने जा रहे हैं, जिसके लिए कुलपति महोदय की संस्तुति / अनुमति आवश्यक है और इसके लिए स्टेट बैंक से ऋण भी लेना है। अत: दोनों व्यक्तियों को हिन्दी के बहाने से सम्मानित करना इस आयोजन का उद्देश्य था।

संविधान के अनुसार हिन्दी को राजभाषा / राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो जाना चाहिए था। किन्तु कुछ प्रान्त ऐसे हैं जो हिन्दी को अपनाने को तैयार नहीं हैं। वह नहीं चाहते कि देश एक सूत्र में बंधे। काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बंबई से लेकर बंगाल तक सभी एक भांषा बोलें सभी का मनोभाव व्यक्त करने का माध्यम एक ही हो। राजनेताओं ने तुष्टिकरण की नीति के आधीन यह प्रयास भी नहीं किया। अन्यथा यदि केन्द्र सरकार चाहती तो प्रत्येक प्रान्त की सरकार को हिन्दी को अपनाने के लिए हिन्दी को अपनी राष्ट्रभाषा मानने के लिए अपनी सहमति देनी पड़ती। केन्द्र सरकार समस्त पत्राचार हिन्दी में आरम्भ करती। प्रान्तों के हिन्दी में दिये गये उत्तर ही स्वीकार किये जाते। अंग्रेजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए थी। समस्त न्यायिक कार्य तथा न्यायलयों के निर्णय हिन्दी में होने चाहिए थे। आज भी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के निर्णय अंग्रेजी में दिये जाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में अंग्रेजी हटाकर केवल हिन्दी को परीक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए।

संसद में विधान-सभा में आयोगों में सभी में हिन्दी का प्रचलन आवश्यक है। यदि हम हिन्दुस्तान में हिन्दी को राजभाषा / राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं दे सकते तो हमारा गूंगा होना बेहतर है। देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए हिन्दी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था। हिन्दी में कार्य करने वाले व्यक्ति हिन्दी का सम्मान करने वाले व्यक्ति हिन्दी का प्रयोग करने वाले व्यक्ति सम्मानित किये जाने चाहिए थे। भारतवर्ष के राजदूत अपना परिचय पत्र अपना कार्य सभी हिन्दी में करने के लिए निर्देशित होने चाहिए तथा विदेशों से आने वाले व्यक्तियों को दुभाषिये प्रदान किये जाने चाहिए ताकि वह हिन्दी बोलने वाले की बात समझ सकें।

महात्मा गाँधी का आन्दोलन केवल इसीलिए सफल हुआ क्योंकि सारे देश में यह आन्दोलन हिन्दी भाषा के माध्यम से चलाया गया। किसी भी प्रान्त का कोई भी व्यक्ति हो उसका वार्तालाप का माध्यम केवल हिन्दी था। हर नारा हिन्दी में लगाया जाता था। यदि हर प्रान्त का व्यक्ति अपनी अपनी भाषा बोलता और कुछ लोग केवल अंग्रेजी में बात करते तो स्वाधीनता का आन्दोलन सफल नहीं हो सकता था। स्वयं महात्मा गाँधी, सुभाष चन्द्र बोस, स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजाराम मोहन राय, सी.राज. गोपालाचार्य अन्य भाषायी प्रान्तों के होते हुए भी हिन्दी के हिमायती रहे हैं। संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रस्ताव एक दक्षिण भारतीय श्री अनन्त शयनम् आयोग ने प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गाँधी, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं द्वारा भी हिन्दी में समस्त संदेश दिये गये हैं।

रोटरी अन्तर्राष्ट्रीय में अभी तक हिन्दी को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। उसका कारण है हमारे ही देश के कुछ प्रान्तों द्वारा उसका विरोध। शर्म की बात है हम प्रान्तीय भाषा को तो रोटरी अन्तर्राष्ट्रीय में मान्यता प्रदान करा नहीं सकते और राष्ट्रीय भाषा के मान्यता प्राप्त होने में रोड़े अटकाते हैं। पहले दक्षिण भारतीय विद्वान हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाये जाने के लिए प्रतिबद्ध थे और वर्तमान के विद्वान विदेशों में इसका विरोध करते हैं। इस संकुचित दृष्टिकोण को बदलना होगा। हम एक देश के वासी तब ही कहला सकते हैं जब कम से कम पूरे देश में एक

ही भाषा राजभाषा / राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर पदासीन हो।

भारतवर्ष के लिए हिन्दी उतनी ही आवश्यक है जितना हवा पानी और धूप। यदि हम हिन्दी को पूरे देश की भाषा बना लेंगे तो निश्चित रूप से पूरा देश एक सूत्र में बंध जायेगा। जितना प्रयास केन्द्र की सरकार को हिन्दी को शीर्ष पर बैठाने के लिए करना चाहिए था वह नहीं किया गया। न्यायिक प्रणाली में भी अंग्रेजी ही हावी रही। अंग्रेज़ी में बहस करने वाला वकील और अंग्रेजी में फ़ैसला देने वाले जज विद्वान समझे जाते हैं जबकि हिन्दी बोलने वाले को यह सुनना पड़ता है **कृपया अपनी बात स्पष्ट करने का कष्ट करें।** यानी हिन्दी में कही गयी बात समझ में नहीं आती। सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के निर्णय निश्चित रूप से हिन्दी में होने चाहिए और इसके लिए कोई माफी भी नहीं होनी चाहिए।

देश भर में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना जारी है। बच्चे शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार कपड़े पहन रहे हैं। अंग्रेजी मे बात कर रहे हैं। वह घर सम्मनित समझा जाता है जिस घर के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं। इसको बदलना होगा। हिन्दी को उसका गौरव प्रदान कराने के लिए अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी माध्यम का प्रवेश कराना होगा। अंग्रेज़ी माध्यम को हतोत्साहित करने के लिए प्रत्येक परीक्षा चाहे वह चिकित्सक की हो, या भारतीय प्रशासनिक सेवा की। या उच्च न्यायिक सेवा की या पुलिस की सभी में हिन्दी माध्यम अपनाना होगा। तभी अंग्रेजी माध्यम भारत से भाग सकेगा। हिन्दी भाषा अन्य किसी भी भाषा के मुकाबले अधिक समृद्धशाली है। यह किसी से छिपा नहीं है। हिन्दी के चाचा, मामा, ताऊ फूफा सभी को अंग्रेजी में अंकिल कहा जाता है। प्रत्येक रिश्ते के लिए हिन्दी में अलग-अलग शब्द है जबकि अन्य भाषाओं में कई-कई रिश्तों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। आवश्यकता है एक ठोस निर्णय की और उसे सख़्ती के साथ कार्यान्वित करने की।

हिन्दी के मूर्धन्य विद्वान भूतपूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. रामस्वरूप आर्य ने हिन्दी दिवस पर यह जानकारी दी कि यह हिन्दी का ही गौरव

है कि भारतवर्ष में भिन्न-भिन्न भाषाओं के होने पर भी यह सम्मान हिन्दी को ही प्राप्त की है। कि-

1. पहला हिन्दी साप्ताहिक कलकत्ता से श्री जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित किया गया जिसका नाम था **उदन्त मार्तण्ड**।

2. पहला दैनिक हिन्दी समाचार पत्र उसको काला कांकर से राजा रामपालसिंह ने प्रकाशित किया। इसका नाम था **हिन्दोस्तान** इसके प्रथम सम्पादक पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे।

3. **हिन्दी का प्रथम व्याकरण अंग्रेजी में श्री केलॉग द्वारा लिखा गया।**

4. भारतवर्ष में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक हिन्दी में थी।

5. पहला मासिक पत्र हिन्दी में प्रकाशित हुआ।

6. हिन्दी का सबसे पहले एम.ए.कलकत्ता यूनीवर्सिटी में आरम्भ हुआ और श्री नलिनी मोहन सान्याल एम.ए. हिन्दी के प्रथम विद्यार्थी थे।

7. हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दी साहित्य पर सर्वप्रथम डी.लिट. डॉ. पिताम्बर दत्त वडथवाल ने की थी। इससे पूर्व विदेशों में तुलसी दास पर हिन्दी डाक्ट्रेट की उपाधि एल.पी.टेस्सीटोरी को प्रदान की गयी थी।

8. ग्रियार्सन कृत मार्डन वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान हिन्दी साहित्य के इतिहास की प्रथम पुस्तक है।

9. भारत की संविधान-सभा में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाये जाने का प्रस्ताव एक दक्षिण भारतीय अनन्त शयनम् आयंगर ने प्रस्तुत किया था।

यह भी हमारे लिए गौरव की बात है और यह केवल भारतवर्ष में

ही सम्भव है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों के लोगों ने जो साप्ताहिक मासिक या दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किये वे हिन्दी में थे। जब अतीत में ऐसा हो चुका है तो वर्तमान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हिन्दी ही एकमात्र भाषा राष्ट्र के गौरव का प्रतीक बने। जिस प्रकार चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, रूस में रूसी भाषा बोली जाती है और जापाान में जापानी भाषा बोली जाती है उसी प्रकार हिन्दुस्तान में हिन्दी भाषा बोली जानी चाहिए। प्रत्येक कार्य का माध्यम हिन्दी भाषा ही होना चाहिए। रूस, चीन, या जापान में कई कई भाषाएँ नहीं है। केवल मात्र एक भाषा है और यह देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा विकसित है। हमें और कुछ नहीं तो इनका ही अनुसरण करना चाहिए तथा संविधान के अनुसार हिन्दी को राष्ट्रभाषा / राज भाषा के पद पर आसीन किया जाना चाहिए तभी देश एक सूत्र में बंध सकता है। तभी हम सब भारतीय कहला सकते हैं।

◆

❑ इतिहास करवट ले सकता है

जब भारत में जब राजा पोरस और राजा आम्भिक आपस में लड़ रहे थे सिकन्दर ने हमला कर दिया और राजा आम्भिक ने राजा पोरस का साथ नहीं दिया था। उसी प्रकार पृथ्वीराज और जयचंद में ठनी हुई थी तथा जयचंद ने गजनवी को हिन्दुस्तान पर आक्रमण के लिए तैयार किया था। मीरजाफर को कौन नहीं जानता। सभी राजा रजवाड़े आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे से प्रतिशोध लेने के लिए देश के शत्रुओं को आमंत्रित कर रहे थे। इसी आपसी शत्रुता का ही परिणाम था कि भारतवर्ष कई सौ वर्षों तक मुसलमानों और अंग्रेजों का गुलाम रहा। आपसी फूट के ही कारण हमें मुग़लों की आधीनता स्वीकार करनी पड़ी यदि देश में आपसी फूट न होती तो भारतवर्ष बाबर के चंद सिपाहियां द्वारा नहीं रौंदा जाता।

परिस्थितियाँ कुछ वैसी ही बन रही हैं। बहुत सारी पार्टियाँ बन गयी हैं। जो आपस में लड़ रही हैं झगड़ रही हैं और सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसलमानों को रिझा रही हैं। लोकजन शक्ति पार्टी के स्वयंभू अध्यक्ष तो बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री चाहते हैं। जिस प्रकार राजा रजवाड़ों की आपसी फूट के कारण नादिर शाह और चंगेज़खाँ जैसे लोगों ने हिन्दुस्तान में कत्ले-आम और लूटपाट मचाई और चले गये उसी से मिलता जुलता काम शाहबुद्दीन, मुख्तार अंसारी और सलमान ख़ान जैसे लोग कर रहे हैं और हम हैं कि मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए अपना सर्वस्व उन्हें देने को तैयार हैं।

मुस्लिम वर्ग को सुविधाएँ दी जा रही हैं, जो भारतवर्ष के हिन्दुओं को उपलब्ध नहीं है। हज़ यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाती है। मुस्लिम आतंकवादियों को अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो ऐसी ख़ातिर की जाती है जैसे दामाद की करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ

बोर्ड, हज कमेटी आदि ऐसे अनेक संस्थान मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा चलाये जा रहे हैं जिससे वह सत्ता में बने रहें।

हरित प्रदेश की माँग अप्रत्यक्ष रूप से एक नये पाकिस्तान को जन्म दे सकती है। मैंने सूचना विभाग से बिजनौर, बरेली, बंदायू, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद की निदेशिकाएँ माँगी थीं ताकि यह आंकड़े प्रस्तुत किये जा सकें कि नगर निगम और ज़िला पंचायत में क्या स्थिति है। बिजनौर की निदेशिका उपलब्ध हुई जिसमें 12 नगर पालिका परिषद में 9 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मुसलिम वर्ग से है। छः पंचायत अध्यक्ष हैं जो सभी मुस्लिम समुदाय से हैं। बरेंली से प्राप्त निदेशिका में नगर निगम बरेली में 68 में से 31 मुस्लिम समुदाय से हैं। मेरा दावा है कि यदि हरित प्रदेश बन गया तो वहाँ पर जीवन भर हिन्दू मुख्यमंत्री नहीं बन सकेगा। अत: हरित प्रदेश का प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा विरोध किया जाना चाहिए।

पिछले कुछ समय से अख़बारों में लगातार समाचार आ रहे हैं कि हिन्दु समुदाय की लड़कियाँ मुस्लिम समुदाय के लड़कों की ओर आकर्षित हो रही हैं। यदि आप पिछले दो-तीन महीनों के अख़बार पढ़ लें तो आपको इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। इस प्रकार एक ख़तरनाक षड्यंत्र के जन्म लेने की बू आ रही है और यह आतंकवादी सभी मुस्लिम समुदाय से हैं जिन्होंने भूकंप आने के दिन भी 10 हिन्दुओं की गला रेत कर हत्या कर दी। एक ओर तो पूरे कश्मीर में भूकंप की दहशत थी जिसमें लाखों जानों के जाने का शोक मनाया जा रहा था दूसरी ओर दहशत गर्द खून खराबा कर रहे थे। हमारी फ़ौज, हमारे सिपाही, हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों को काबू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तान को ख़ुश करने के लिए कभी तो सीमा पर से अपनी सेनाएँ हटा लेते हैं तो कभी आतंकवादियों को गोली मार देने के जुर्म में अपने ही जवानों को दण्डित करने की सोचते हैं। अज़हर मसूद जैसे आतंकवादी गिरफ़्तार कर लिये जाते हैं और उन्हें कई सालों तक मेहमानों की तरह से जेल में रखा जाता है दवाएँ दी जाती हैं इलाज कराये जाते हैं। शत्रु के साथ शत्रुता का बर्ताव न करना मानवता का कौन सा सिद्धान्त है समझ में नहीं आता। पाकिस्तान या बंगला देश यदि

भूल से भी हमारे सिपाहियों को पकड़ लेता है तो हमारे जवानों को इतनी यातनाएँ दी जाती है कि उनका वर्णन करना भी आसान नहीं है।

हमारे बहुत से नेताओं का तो दीन-ईमान मुस्लिम समुदाय में बसता है। रोज़े के इफ़्तार की दावत दी जाती है। कोई बुराई नहीं है लेकिन जब तक हम मन नहीं बदल सकते तब तक मुफ़्त में दावत खिलाने से या उनके साथ बैठकर खाने से कोई लाभ नहीं होगा।

देश के अन्दर केवल चार राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। कांग्रेस, भाजपा, सपा तथा बसपा। इससे अधिक पार्टियों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। जो व्यक्ति एक वर्ष मंत्री रह जाता है वह एक नई पार्टी खड़ी कर लेता है और त्रिशंकु सरकार बनाने में स्वयं वह बादशाह बन जाता है। अपने आप को अनहलक् कहने लगता है। हिन्दू देवी देवताओं की मान्यता रद्द करके स्वयं अपने आपको भगवान घोषित करता है यह सब क्या है आपस की लड़ाई, आपस की फूट और आपस की इसी फूट के कारण हमारे स्वनामधन्य नेता बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। पाकिस्तान को खुश करने के लिए मुस्लिम वर्ग को संतुष्ट करने के लिए और सारी दुनिया को धर्म निरपेक्ष बताने के लिए हमारे देश का प्रथम व्यक्ति कई बार मुस्लिम समुदाय से आया है लेकिन क्या हम मुस्लिम समुदाय और पाकिस्तान को अपनी मुहब्बत का एहसास करा सके। अपनी धर्मनिरपेक्षता सिद्ध कर सके। बीते हुए दिनों में हिन्दुओं द्वारा कभी किसी अन्य समुदाय के धर्म स्थल पर हमला नहीं किया गया। जबकि हमारे धर्म स्थलों पर हमारी संसद पर हमारे नेताओं पर हमारे सार्वजनिक स्थलों पर मुस्लिम आतंकवादी सदैव हमलावर रहे हैं। कश्मीरी पण्डित दिल्ली में सड़ रहे हैं। अपने घर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे नेता, मुफ्ती मुहम्मद सईद और उनके परिवार को खुश करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो हिन्दुत्व की रक्षा के लिए आवश्यक है। भाजपा जैसी हिन्दूवादी पार्टी धारा 370 समाप्त नहीं कर सकी। आतंकवाद पर लगाम नहीं लगा सकी।

हम कितने मुस्लिमपरस्त हैं हम कितना उन लोगों का ख़याल रखते हैं हम कितना उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं यह गोधराकांड और गुजरात के दंगों की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है। मुस्लिम

भाइयों को खुश करने के लिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि गोधरा में रेल में आग हिन्दुओं ने स्वयं लगाई। कितनी अच्छी दलील थी नेता जी की। क्या कोई स्वयं अपने बदन में आग लगा सकता है। आज तक इस बात का प्रयास हो रहा है कि गुजरात में दंगों के लिए हिन्दुओं को ज़िम्मेदार बताकर सज़ा दी जाये और यह सिद्ध कर दिया जाय कि गोधरा में रेल काण्ड में आग हिन्दुओं ने स्वयं लगाई थी। वाह! रे हमारे देश के नेता जो केवल वोट के लालच में देश को गिरवी रखने को तैयार हैं देश को बेचने को तैयार हैं मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए प्रान्त का मुख्यमंत्री मुसलमान बनाने को तैयार है। आश्चर्य होता है हिन्दुओं की मानसिकता पर जो ऐसे नेताओं को बर्दाश्त कर रही है।

मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल किस सीमा तक जा सकते हैं। भाजपा ने गोधरा रेल कांड में जलकर मर गये लोगों का श्राद्ध नहीं किया बल्कि गुजरात के दंगों पर यह टिप्पणी अवश्य की कि हम विदेशों में मुँह दिखाने लायक नहीं रहे। कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टिकरण किसी से छिपा नहीं है। एक दूसरे से आगे निकलने और सत्ता प्राप्त करने के लिए मुस्लिम वोटरों को रिझाया जा रहा है और जिस प्रकार पहले हिन्दू राजा आपस की लड़ाई में देश पर हमला करने हेतु मुसलमान शासकों को आमंत्रित करते रहे हैं उसी प्रकार की पुनरावृत्ति हो रही है।

भूल गये हैं हम कि महात्मा गाँधी को गोली क्यों मारी गयी थी। क्योंकि वह खुलेआम अल्पसंख्यक वर्ग का समर्थन करने लगे थे और बहुसंख्यकों को नज़रअन्दाज़ भी करते थे और ग़लत भी बताते थे। राजनेता सावधान होकर समझें कि यह नीति अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं की जाती।

देश के राजनीतिज्ञों को सावधान होना होगा। आत्मावलोकन करना होगा कि उनके आपस के झगड़े से कहीं फिर देश गुलामी के गर्त में न चला जाये। आपसी झगड़ों की सीमा कितनी बढ़ गयी है। मनमुटाव और घृणा कितनी फैल गयी है कि हम रेल दुर्घटना पर रेल दुर्घटना की जाँच की बात नहीं करते रेल मंत्री का त्याग पत्र मांगते हैं। प्रधानमंत्री

का त्याग पत्र मांगना एक आम बात हो गई है कोई भी घटना हो देश पर हमला हो आतंकवादी घटना हो, यानि हम आपसी लड़ाई को, आपसी घृणा को आपसी नाराज़गी को सड़क पर ले आते हैं और किसी भी बात पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से त्यागपत्र मांगने लगते हैं। यह राजनीति नहीं है बल्कि व्यक्तिगत द्वेष है।

अगर आप गौर से देखें तो आपको ज्ञात होगा कि हमारा प्रशासन मुस्लिम भावनाओं की कितनी कद्र करता हैं। ज़रा सा विरोध होता है तो हम भगवान राम की बारात को निकालना स्थगित कर देते हैं। मस्जिद के सामने से निकलते समय पटाखे नहीं छोड़ते, बाजे नहीं बजाते। रमज़ान के दिनों में बिजली की विशेष व्यवस्था होती है जो दशहरा और दीपावली पर भी नहीं हो पाती। हम आरक्षण तक देने को तैयार बैठे हैं लेकिन बदले में क्या मिलता है। वही पुरानी नफ़रत, वही आतंकवादी हमले, और वही दंगे।

यदि मुस्लिम भाइयों का मन नहीं बदल सकते तो हमें स्वयं को बदलना होगा! हमें सावधान रहना होगा हमारे राजनीतिज्ञों को आपसी झगड़े समाप्त करने होंगे और प्रयास करना होगा कि देश में केवल चार ही पार्टी रह जायें। अन्यथा इन झगड़ों से फिर कोई नादिर शाह, फिर कोई सिकन्दर या फिर कोई ग़जनवी देश को लूट लेगा। आपसी झगड़े बन्द करने और केवल चार पार्टियों की राजनीति करने में ही देश की भलाई है।

◆

❐ सरकारी दुराचार

भारतवर्ष में सरकारी दुराचार किस सीमा तक है इसका आप अन्दाज़ा नहीं लगा सकते। केवल कुछ ही मामलों में यह अनुभव कर सकते हैं कि दुराचार हो रहा है। रोकना आपके वश की बात नहीं। वर्तमान परिस्थितियों में धृतराष्ट्र ही सुखी है। कतिपय उदाहरण आपको अहसास करा देंगे कि दुराचार हो रहा है और हम मूक दर्शक बने हुए हैं–

1. जगद्गुरू शंकराचार्य त्वरित कार्यवाही के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिये गये। उनको क्षणिक मोहलत भी नहीं दी गयी। शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए पूरे प्रान्त में रेड अलर्ट जारी किया गया फिर भी उसे महीनों गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

2. जगद्गुरू शंकराचार्य की ज़मानत बड़ी लम्बी अदालती प्रक्रिया के बाद मंज़ूर हुई। महीनों जेल में रहना पड़ा जबकि उनकी गिरफ्तारी केवल हत्या के संदेह के कारण हुई थी। जबकि सलमान खान चश्मदीद गवाहों के बाद भी ज़मानत पर छूटा हुआ है, विदेश भी जाता है और मुकदमे को भी लम्बा खींच रहा है ताकि गवाह मर जायें गवाहियाँ मिट जायें।

3. लालू यादव के कार्य-काल में जितनी रेल दुर्घटनाएँ हुई हैं, जितनी डकैती रेलों में पड़ी है उतनी कभी नहीं पड़ी। करोड़ों रुपये का चारा घोटाला करने के बाद भी और रेलों में अधिकतम दुर्घटनाओं का रिकार्ड बनाने के बाद भी वह भारतवर्ष के मंत्री पद पर विराजमान है। चारा घोटाले का मुकदमा तब तक लम्बित रखने का प्लान है जब तक गवाह ज़िन्दा है और गवाहियाँ उपलब्ध हैं।

4. समादरणीया मायावती जी ताज प्रकरण में सी.बी.आई. जांच के बाद भी स्वयं को ज़िन्दा देवी होने का एलान कर रही है। आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में भी सरकार ठंडी पड़ चुकी है और एक दिन सुनने को मिलेगा कि आदरणीय मायावती जी देश के प्रधानमंत्री पद के लिए जोड़-तोड़ कर रही हैं।

5. माफ़िया डॉन अरुण गवली विधायक बन चुके हैं और सैकड़ों मामलों में लिप्त होने के बावजूद गाँधी टोपी लगाकर देशभक्त होने का दावा कर रहे हैं।

6. श्रीमती अनुराधा चौधरी सांसद होकर भी उ.प्र. बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण आयोग की अध्यक्ष बनी हुई हैं। उ.प्र. के विधायक इस योग्य नहीं कि उ.प्र. में बाढ़ एवं सिंचाई पर नियंत्रण कर सकें। सरकारी दुराचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता।

7. श्रीमती जयप्रदा सांसद होने के बावजूद स्टेज पर नृत्य नाटिकाएँ प्रस्तुत कर रही हैं और यही स्थिति सांसद हेमा मालिनी की है। भारत के सांसद स्टेज पर नाचते हैं और लोग ताली बजाते हैं। शर्म आती है मगर डूब मरने का कोई इरादा नहीं।

8. भाजपा की पसंद के दो सासद दो-दो पत्नियाँ रखे हुए हैं। एक पत्नी सांसद को अपना पति मानती है किन्तु सांसद महोदय उसको अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करते। जिन्हें कानून बनाने का दायित्व सौंपा गया है वही कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं।

9. रोज़ अखबार में शराब पीकर मरने की बात छपती रहती है। शराब पीना अच्छा नहीं है फिर भी सरकार शराब बनाने के लाइसेंस जारी कर रही हैं। शराब की बिक्री की नई-नई दुकानें खोली जा रही हैं और शराब की बिक्री को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस शराब से पैट्रोल का विकल्प भी बनाया जा सकता है किन्तु नहीं। शराब शायद जनसंख्या कम करने का माध्यम भी बन गयी है। यही स्थिति सिगरेट, गुटका व तम्बाकू की है। तीनों चीज़ों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं सरकार मानती है लेकिन इनका उत्पादन और बिक्री को प्रतिबंधित नहीं

प्रोत्साहित किया जा रहा है।

10. सन् 84 के दंगों में 21 साल बाद कांग्रेस को दोषी माना गया। जबकि इसका कोई सबूत नहीं है। दंगे सुनियोजित नहीं थे और न ही कांग्रेस ने करवाये थे। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी। आपने यदि मेरे घर के एक व्यक्ति को मारा है तो प्रतिक्रियास्वरूप मुझे भी क्रोध आना स्वाभाविक है।

11. कनिष्क विमान की जांच का कार्य 25 वर्ष में पूरा हुआ जबकि बहुत से आरोपी स्वर्ग सिधार गये थे और बहुत से पीड़ित उनके साथ चले गये थे। गवाहों को और गवाहियों को मिटाने का पूरा समय दिया गया।

12. जितने भी आयोग बनाये जाते हें उनमें छांटकर वह लोग रखे जाते हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा शरीर और बुद्धि से थक चुके हैं। वोल्कर रिपोर्ट के सम्बन्ध में जो जांच बैठाई गयी है उसकी अध्यक्षता 81 वर्षीय पूर्व न्यायमूर्ति को सौंपी गयी है। सम्भवत: 90 या 100 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुआ अन्यथा यह जांच उसे सौंपी जा सकती थी। आयोग बैठाने का तात्पर्य यह है कि बीरबल की खिचड़ी की तरह कार्य चलता रहे तथा जब तक आयोग कोई निर्णय दे तब तक सभी संदर्भ समाप्त हो जायें। हो सके तो जिसके विरुद्ध आयोग बैठाया गया है वह भी ईश्वर को प्यारा हो जाये।

13. परिवहन निगम और चीनी निगम सरकारी दुराचार के जीते जागते उदाहरण हैं। दोनों ही निगम हानि में चल रहे हैं किन्तु सम्बन्धित मंत्रियों की सम्पत्ति आय से अधिक होती जा रही है। हानि में चलने वाले यह निगम यदि निजी क्षेत्र में दे दिये जायें तो सरकार को करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है किन्तु तब मंत्री जी का क्या होगा। उन अफ़सरों का क्या होगा जिनके घर निगम की वजह से चल रहे हैं।

14. कश्मीर में सरकारी दुराचार का नमूना प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कश्मीर को हिन्दुस्तान का अंग मानने के बाद भी भारतवर्ष के सारे कानून वहाँ पर लागू नहीं होते। वहाँ का कानून अलग है। वहाँ पर आतंकवादी कश्मीरियों के घर में रह रहे हैं और भारतवर्ष में वस्तुओं

के मूल्य से चौथाई मूल्य पर सामान प्राप्त कर रहे हैं और हिन्दुस्तानी सरकार का मुँह चिढ़ा रहे हैं।

15. भूकंप के आधार पर एल.ओ.सी. / नियंत्रण रेखा खोल दी गयी है। आतंकवादियों को आने की दावत भेज दी गयी है। जिस दिन से नियंत्रण रेखा खोल दी गयी है आतंकवादी हमलों में तेज़ी आई है लेकिन सरकारी दुराचार में कोई कमी नहीं आई। जब तक दिल्ली तक आतंकवाद की आग नहीं फैलती तब तक यह दुराचार कम नहीं होगा। तुष्टिकरण के नाते, विश्व में नाम पैदा करने के नाते, कश्मीर में हिन्दू मरते रहेंगे और हम सारा वक्त शीशे में अपना चेहरा देखने में गुज़ार देंगे। आतंकवादी यदि गिरफ्तार भी किये जाते हैं तो 10-10 साल तक मुकदमा तय नहीं होता और अजहर मसूद की भांति नौ साल बाद अपहृत वायुयान को छुड़ाने के लिए आतंकवादी को सौंपना पड़ता है।

16. हरित प्रदेश की मांग एक और दुराचार है जो राजनीतिक पार्टी सरकारी स्तर पर करना चाहती है। इसकी जानकारी लिए बग़ैर की बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ग़ाज़ियाबाद, सहारनपुर में मुस्लिम बहुल जनसंख्या होने के कारण यह दूसरा पाकिस्तान बन सकता है और फिर कत्लेआम झेलना पड़ सकता है लेकिन स्वार्थ में अंधे केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए हरित प्रदेश की मांग कर रहे हैं।

17. सरकारी दुराचार अपनी चरम सीमा पर है पढ़े लिखे नवयुवक बेरोज़गार घूम रहे हैं। बुद्धिजीवी, न्यायविद तथा कानून के जानकार लोग खाली बैठे हैं और सेवानिवृत्त व्यक्तियों को पुनर्नियुक्ति दी जा रही है। इससे बड़ा दुराचार कुछ नहीं हो सकता। अदालतें रिक्त हैं मुकदमे लम्बित हैं।

18. महिला आरक्षण के नाम पर पुलिस में महिलाओं की भर्ती की जा रही है और पुलिस की ये महिलाएँ जब वर्दी पहनकर सड़क पर चलती हैं तो लोगों के मन में डकैत बनने की इच्छा जाग्रत होती है। इसी प्रकार सरकारी कार्यालयों में जब महिलाओं की नियुक्ति की जाती है तो बूढ़े-बूढ़े कर्मचारी भी बालों में खिजाब लगाकर आने लगते हैं। कार्य नहीं होता, दुराचार के ताने-बाने बुने जाते हैं।

19. हड़ताल के नाम पर तोड़-फोड़ आगजनी जाम आम बात हो गयी है। सरकार स्वयं ट्रेड यूनियन को बढ़ावा दे रही है मज़दूर नेताओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वामपंथियों को सरकार में जगह दी गयी है।

20. क्रिकेट के माध्यम से सरकारी ख़ज़ाना लुट रहा है सरकार की नाक कट रही है। कुछ लोग खेल-खेल में अरबपति बन रहे हैं और अपनी आय का थोड़ा सा भाग खर्च करके भारत की अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चौका और छक्का लगा रहे हैं। हम क्रिकेट खिलाड़ियों के दुराचार को सह रहे हैं। व्यक्तिगत रिकार्ड बनाये जा रहे हैं। सरकारी प्रतिष्ठा को हार में परिवर्तित किया जा रहा है।

21. अश्लील फिल्मों का निर्माण हावी है। फिल्म निर्माता और निर्देशक द्वारा बलात्कार के नग्न दृश्य फिल्माये जा रहे हैं। अपने स्वार्थ और हवस के लिए छः इंच का स्कर्ट पहनाकर महिलाओं को नचा रहे हैं। बच्चे उसे देख देखकर मुँह में चिवंगम चबा रहे हैं। सारा समाज बिगड़ रहा है। अप्राकृतिक रूप से शारीरिक भूख की संतुष्टि की जा रही है। सारी की सारी नस्ल अश्लील सिनेमा ने नष्ट और भ्रष्ट कर दी है। इस दुराचार को देखने वाली सरकार स्वयं भी दुराचारी है। टी. वी. पर प्रेरणा जैसे चरित्र दिखाये जा रहे हैं जो एक ही सीरियल में तीन बार विवाह करती है और नाजायज़ बच्चे की माँ भी बनती है। क्या संदेश जा रहा है जनता में इसका होश दुराचारियों को नहीं है।

22. आरक्षण के नाम पर जो दुराचार हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। जाति धर्म के नाम पर आरक्षण के चलते योग्य व्यक्तियों के ऊपर आरक्षित व्यक्ति बैठ जाते हैं जो बुद्धि को भी कुंठित कर देता है। वर्तमान में आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। आरक्षण यदि हो तो सहयोग के रूप में होना चाहिए अर्थात आरक्षित व्यक्ति की फ़ीस माफ़, आरक्षित व्यक्ति को किताबें, कपड़े, परिवहन, मकान, खाना सब फ्री हो जाये लेकिन योग्यता में आरक्षण नहीं होना चाहिए। 33 प्रतिशत के अंक वाला व्यक्ति कोई अधिकार नहीं रखता कि वह 90 प्रतिशत अंक

पाने वाले की सवारी करे। इस दुराचार को यदि नहीं रोका गया आरक्षण को सहायता और सहयोग के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया तो इस दुराचार का परिणाम अत्यन्त भयंकर होगा।

23. तुष्टिकरण भी सरकारी दुराचार का दूसरा रूप है। तुष्टिकरण के नाम पर जो सुविधाएँ हज यात्रियों को हैं वह सुविधा अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हैं। समान आचार संहिता लागू न होने के कारण जहाँ हिन्दुओं को एक विवाह की छूट है वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग कई विवाह कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हिन्दू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। इस असंतुलन का परिणाम भयंकर होगा। 1947 की घटनाएँ पुनः हो सकती है और भी ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके आधार पर तुष्टिकरण को भी सरकारी दुराचार कहा जा सकता है। तुष्टिकरण के दुराचार को रोकना बहुत आवश्यक है।

24. सरकारी दुराचार ने प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। परिवार तंत्र हावी है। श्री मुलायम सिंह मुख्यमंत्री है, उनके बड़े भाई सांसद है, छोटे भाई सहकारिता मंत्री है। पुत्र और भतीजे सांसद है। चौ. चरण सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, पत्नी सांसद थी, पुत्री और पुत्रवधू सांसद और विधायक है, पुत्र भी रालोद के अध्यक्ष है तथा पौत्र भी राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं।यह परिवारतंत्र सरकारी दुराचार का स्पष्ट रूप है।

यह कतिपय उदाहरण जो दुराचार को दर्शाते है जिसमें सरकार साझीदार है और जब सरकार साझीदार है तो यह दुराचार भी सरकारी है। पता नहीं कब नरसिंह अवतार होगा और इन दुराचारियों का संहार करेगा। प्रतीक्षा है...प्रतीक्षा है...प्रतीक्षा है।

◆

❑ अब्दाली आ रहा है

सोनिया गाँधी जो न हिन्दू न मुसलमान। जन्मतः ईसाइ तथा हिन्दू से विवाहित। जन्म-स्थान की नागरिकता के साथ-साथ वैवाहिक स्थान की नागरिकता लिए हुए सोनिया गाँधी को हिन्दू मुसलमान के झगड़े से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आश्चर्य होता है हिन्दुत्व का झण्डा लिए हुए उन व्यक्तियों पर जो तुष्टिकरण में लगे हुए हैं। आश्चर्य होता है उन जयचन्दों और मीरजाफरों पर, जो अपने स्वार्थ के लिए अब्दाली को या गौरी गजनवी को हिन्दुस्तानी पर हमला करने का निमंत्रण देने को तैयार रहते हैं।

हमारे देश में मीरजाफर बहुत हैं, पृथ्वीराज और शिवाजी कम हैं भारतवर्ष के प्रधानमंत्री द्वारा एल.ओ.सी. खोलने का जो निर्णय लिया गया है वह भावनात्मक दृष्टि से तो श्रेष्ठ है किन्तु राजनीतिक दृष्टि से आतंकवादियों को निमंत्रण देने जैसा है। आतंकवादियों ने एल.ओ.सी. खोलने का स्वागत किया है और बधाई में दिल्ली के व्यस्ततम इलाके में चार बम धमाके कर दिये। सैकड़ों लोग मारे गये। हज़ारों घायल हुए, करोड़ों का नुकसान हुआ किन्तु तीन जगह और एल.ओ.सी. खोल दी गई। जो लोग इन्सान नहीं हैं राक्षस हैं जिन्होंनें भूकंप वाले दिन भी दस हिन्दुओं को कत्ल कर दिया था उनके लिए एल.ओ.सी. खोलना आत्महत्या के समान है, देश की हत्या के समान है। डॉ. मनमोहन सिंह सम्भवतः इतिहास को नहीं भूले होंगे। उन्हें याद होगा कितने हिन्दू दीवारों में जीवित चिनवा दिये गये थे। कितने ब्राह्मणों के जनेऊ आग में झ़ोंक दिये गये थे और कितने बच्चों का कत्ल करा दिया गया था। उसके बाद भी केवल विदेशी प्रशंसा के लिए तुष्टिकरण की नीति अपनाना सर्वथा अनुचित है। पता नहीं खुली हुई नियंत्रण रेखा से कब कोई अब्दाली आकर देश में लूटमार और हत्याओं का सिलसिना शुरू

कर देगा।

उत्तर प्रदेश पूरा जल रहा है। सहारनपुर में, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर, मेरठ में आतंकवादियों के गढ़ बन गये हैं। आज़म खाँ जो जी में आये कहते हैं। मुलायम सिंह उनके लिए इतने मुलायम हैं जितने शायद अपने परिवार के प्रति भी नहीं होंगे। मऊ में मुस्लिम तुष्टिकरण के आधार पर महामहिम राज्यपाल के जाने पर बुरा मानने वाजे मुलायम सिंह को कुर्सी चाहिए अन्य कुछ नहीं। देश पर चाहे पाकिस्तान का हमला हो या चीन का उन्हें कुर्सी पर ही सुख चैन मिलता है। प्रान्त में आतंकवाद नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया गया किन्तु एक महिला सांसद को उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग सौंपने में वह ज़्यादा त्वरित महसूस किये गये। दबाव की राजनीति की यह तस्वीर देखने योग्य है जसमें एक सांसद को उ.प्र. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।

इसी तरह देवबंद से रात दिन फ़तवे जारी किये जाते हैं जो मुस्लिम समुदाय की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। काश्मीर में आतंकवादी घरों में छुपे हुए हैं और काश्मीर के रहने वाले उनका पता नहीं बताते हैं। आतंकवादी रात दिन सेनाओं पर हमला कर रहे हैं। वहाँ के गवर्नर पूर्ण रूप से निष्क्रिय हैं और केवल काश्मीर घाटी का आनन्द लेने के लिए वहाँ पर जमे हुए हैं। काश्मीर की कमान मुसलमान मुख्यमंत्री के हाथ में है। बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री बनने की कई बार घोषणा की तो चुकी है, जिसमें आयोग को सख़्त होना पड़ा। शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली बिहार की ही देन है।

बम्बई और महाराष्ट्र में हालांकि शिव सेना हावी रहती है फिर भी सलमान खान जैसे हिरणों के हत्यारे और सड़क पर सोये हुए व्यक्तियों को कुचलने वाले आसानी से ज़मानत पा जाते हैं मुकदमे लम्बित रखवाते हैं, विदेशों में घूमते हैं और इनके मुकदमे तक तब लम्बित रहेंगे जब तक गवाहियाँ मिट न जायें और गवाह मर न जायें।

आसाम और बंगाल में बंगलादेशियों की घुसपैठ जारी है इनमें कितने विदेशी जासूस आतंकवादी हैं इसका पता चलना मुश्किल है। आसाम के आतंकवादी संगठनों ने जनसाधारण का जीना मुहाल कर रखा है इसी तरह नक्सलवादी भी सरकार पर हावी हैं। बंगाल में वामपंथी अपनी

सरकार चला रहे हैं जो किसी की भी विचारधारा से मेल नहीं खाते और कम्युनिस्ट विचारधारा के होते हुए भी धीरे-धीरे पूंजीपति होते जा रहे हैं।

हरित प्रदेश की मांग निजी स्वार्थों को लेकर की जा रही है और एक दूसरे पाकिस्तान को जन्म देने की तैयारी चल रही है। हरित प्रदेश बनने के पश्चात वहाँ की जनसंख्या मुस्लिम बहुल हो जायेगी और इसका वही हाल होगा जो कश्मीर में हो रहा है। हरित प्रदेश की मांग करने वाले यह नहीं सोचते कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर में जनसंख्या का क्या अनुपात है। ज़बरदस्ती हरित प्रदेश की मांग करना हिन्दुस्तान के दिल पर कुठाराघात करने जैसा है। यदि आज आकंड़े इक़ट्ठे किये जायें तो हरित प्रदेश वाले इलाके में पंचायत अध्यक्ष, नगर निकायों के सदस्य, सांसद और विधायक अधिकांश मुस्लिम ही होंगे और जब यह प्रदेश मुस्लिम बहुल होगा तो सुनिश्चत है कि हम एक नये पाकिस्तान को जन्म देंगे।

इसी प्रकार से और भी प्रान्तों में देखा जाये तो तुष्किरण जारी है, आरक्षण भी जारी है और आतंकवाद भी जारी है। आंकड़ों को इकट्ठा करने पर यह सुनिश्चित होता है कि एक ही समुदाय के लोग डकैती, लूटपाट, अपहरण तथा हत्या आदि में लिप्त होते हैं। जगद्गुरू शंकराचार्य गिरफ्तार किये जाते हैं और जेल में बन्द किये जाते हैं और महीनों उनकी ज़मानत नहीं होती। शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी जैसे लोग आसानी से गिरफ्तार नहीं हाते। रेड एलर्ट जारी होने पर भी पुलिस उन्हें महीनों ढूंढती है। सलमान खान को यदि गिरफ्तार भी किया जाता है तो फौरन ज़मानत हो जाती है और मुकदमा लम्बा खिंचता रहता है। राजा भैया पर पोटा लगा दी जाती है किन्तु शहाबुद्दीन या अबू सलेम पर पोटा लगाने में हम झिझकते हैं।

रूस में विघटन हो चुका है तथा अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, चीन कितना हमारे साथ है इसका आंकलन बाकी है। शक्ति का संतुलन हमारे पक्ष में नहीं है। भारतवर्ष में जितनी भी पार्टियाँ हैं वह स्वस्थ राजनीति में नहीं बल्कि वैमनस्य की राजनीति में विश्वास रखती हैं। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने को काई तैयार नहीं है।

नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रतिदिन होती है। कोई ज़रा सी बात हो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से त्यागपत्र की बात करना मामूली हो गया है। शब्दों के वाण रोज़ चलाये जाते हें। पार्टियों में वैमनस्य इतना बढ़ गया है कि वह दूसरी पार्टी के ख़ात्मे के लिए कुछ भी कर सकती है। हालात इतने नाज़ुक हैं कि कुंठा की स्थिति में हमारी राजनीतिक पार्टियाँ अब्दाली और गजनवी को भी आमंत्रित कर सकती हैं। इतना वैमनस्य इतना द्वेष तो प्राचीनकालीन राजाओं में भी नहीं था जितना वर्तमान में पार्टियों में भर गया है।

हमारे साधु, महात्मा, ऋषि मुनि शान्ति का सहिष्णुता का, सहनशीलता का और अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे किसी भी विद्यालय में शठे शाठयम् समाचरेत! का अर्थ बताने वाला कोई शिक्षक नहीं है। गाँधी जी के तीन बन्दर जगह-जगह पर दिखाई देंगे। जो बुरी बात से बुरा कहने वालों से दूर रहने की सलाह देंगे किन्तु बुरा करने वाले को दण्डित करने का उपदेश कोई नहीं देगा। यही कारण है कि धीरे-धीरे हिन्दुत्व में ठण्डापन आ रहा है। शिवाजी, महाराणा प्रताप या झांसी की रानी जैसे लोग याद नहीं किये जा रहे। सरदार पटेल को भी लोग भूल गये हैं। याद रह गयी तो केवल अहिंसा और गाँधी जी के तीन बन्दर। वैमनस्य के इस युग में यदि कुण्ठा के वशीभूत होकर निराशा की स्थिति में कोई भी पार्टी किसी अब्दाली को, किसी गौरी को, अथवा किसी ईस्ट इण्डिया कम्पनी को निमंत्रण भेज देगी तो हमें आंकना होगा कि हम केवल मात्र तुष्टिकरण में ही व्यस्त रहते हैं अथवा शत्रु से प्रतिशोध अथवा प्रतिरोध भी कर सकते हें।

स्थिति ठीक नहीं है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गये हैं और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो रहे हैं, उस पर आरक्षण और तुष्टिकरण तथा आपसी फूट और वैमनस्य अच्छे संकेत नहीं हैं। इस बारे में गम्भीरता से सोचना होगा और परिस्थिति में सुधार लाना होगा।

◆

❑ हड़ताल

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में जो निर्णय दिया गया हैं उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं चाहता हूँ कि हमारी संसद यह कानून पास करे कि कोई भी व्यक्ति हड़ताल का रास्ता अख़्तियार नहीं करेगा। जो भी कार्य होना है वह न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए। साथ ही यह कानून भी बनना चाहिए कि कोई भी मुकदमा 1 एक साल से अधिक नहीं चलेगा। यह कानून भी बनना चाहिए कि जनपद न्यायालय / उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय पर रिक्त पदों पर नियुक्ति, पद रिक्त होने के 15 दिन के अन्दर-अन्दर हो जानी चाहिए। जब न्यायिक प्रक्रिया तेज़ हो जायेगी। तब सम्भवत: प्रत्येक व्यक्ति न्याय की शरण लेना चाहेगा हड़ताल की ओर नहीं दौड़ेगा। जो भी हड़ताल करे या कराये उसके लिए सज़ा निर्धारित होनी चाहिए। हड़ताल पर पूर्ण पाबन्दी होनी चाहिए। हड़ताल से कोई लाभ नहीं होता केवल नेताओं का राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। हड़ताल करने वाले भूखे मर जाते हैं अथवा झुककर समझौता करते हैं। 90 प्रतिशत हड़तालें असफल होतीं है किन्तु हड़तालों से जो हानि होती है वह अपूर्णीय होती है। हड़ताली व्यक्ति जिस दिन काम पर नहीं जाता उस दिन की मज़दूरी नहीं मिलती और वह दिन जो हड़ताल में नष्ट हो गया लौटकर नहीं आता। लम्बी चलने वाली हड़ताल मुख्य मुद्दे से हटकर अन्त में इस बिन्दु पर आ जाती है कि हड़ताली कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों की वेतन दिलाया जाये।

रेलों की, बसों की, हवाईजहाज़ की अथवा पानी के जहाज़ की हड़ताल के दूरगामी परिणाम होते हैं जो जनहित में कभी नहीं होते। आवश्यक कार्य से जाना, मरीज़ को ले जाना, बारात में जाना अथवा अन्य किसी आवश्यक कार्य से यात्रा हड़ताल के कारण बाधित हो जाती है। हड़ताल के कारण आप अदालत में समय पर नहीं पहुँच पाते,

मरीज़ रास्ते में दम तोड़ देता है, मशीन फैक्ट्री में नहीं पहुँच पाती। नेता अपने गन्तव्य पर नहीं पहुँच पाते सभी कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है और परिणाम वही बड़ा वाला शून्य।

डॉक्टरों की, नर्सों की, अस्तपतालों की, दवाओं की दुकानों की तथा वैद्यों की हड़ताल और भी अधिक कष्टकारी होती है। मरीज दवा न मिल पाने के कारण, डॉक्टर के सही उपचार से वंचित रहते हुए दम तोड़ देता है। कोई भी हड़ताल यदि किसी को अपने कर्त्तव्य से विमुख करे अथवा किसी को मरने के लिए विवश करे और किसी को मूलभूत अधिकारों से वंचित करे वह पूर्णतय अमानवीय और अवैधानिक है। कल्पना कीजिए कोई बच्चा बीमार है और उसको तुरन्त चिकित्सा की और दवा की आवश्यकता है किन्तु डॉक्टर और दवाओं की दुकान पर हड़ताल होने के कारण उसे समय पर दवा नहीं मिलती। परिणाम क्या होगा कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई वृद्ध रोग से पीड़ित है मरणासन्न है किन्तु हड़ताल के कारण दवा और चिकित्सा की अनुपलब्धता उसे आखिरी सांस लेने के लिए विवश कर देती है। दोष किसका है। हड़ताल का और हड़ताल के आयोजकों का।

हड़ताल के दौरान तोड़-फोड़ आगजनी होने की घटनाएँ आम हैं। यदि दुकानदार हड़ताल पर है यदि सब्जी बेचने वाले हड़ताल पर है तो वह खाली समय में नारेबाजी, जोश, जलूस में व्यस्त हो जाते हैं और जो लोग संवेदनशील है जब वे हड़ताल करते हैं तो झगड़ा फसाद की नौबत आ जाती है दुकानों में आग लगा दी जाती है। सरकारी बसों में आग लगा दी जाती है, पुरानी दुश्मनियाँ निकाली जाती है यह सब हड़ताल के कारण होता है। हड़ताल के समय में कोई भजन पूजन नहीं होता, किसी के दुख दर्द की नहीं सुनी जाती, कोई अच्छा आयोजन नहीं होता केवल जोशीले भाषण होते हैं, जिनका परिणाम दंगा फसाद होता है।

सरकारी कार्यालय में, डाकखाने में, पुलिस में, हड़ताल का दुष्प्रभाव कल्पना से अधिक भयावह है। सरकारी कार्य कराने के लिए लोग दूरस्थ स्थानों से आते हैं और कार्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल देखकर अपना सिर पीट लेते हैं। कहा-सुनी भी होती है किन्तु हड़ताल का दुष्प्रभाव दोनों पक्षों पर पड़ता है। आवश्यक चिट्ठियाँ हड़ताल के

कारण नहीं बंट पाती। कितना आवश्यक संदेश भेजा गया था और उसका अनुपालन समय पर होना कितना आवश्यक था यह सब हड़ताल के भंवर में डूब जाता है। पुलिस की हड़ताल का तात्पर्य है कि चोरों लुटेरों और कच्छा बनियान धारियों को घरों में, सड़कों पर, रेलों में, बैंकों में अर्थात प्रत्येक स्थान पर लूट की खुली छूट मिल जाये। गनीमत है कि पुलिस हड़ताल पर नहीं जाती। पुलिस के होते हुए भी लूटपाट, अपहरण, चोरी डकैती की कितनी घटनाएँ होती हैं यदि पुलिस हड़ताल पर चली जाये तो क्या होगा इसकी कल्पना ही भयानक है।

बैंकों में, निगमों में कर्मचारी हड़ताल करते हैं और हड़ताल के बल पर आज बैंकों और निगमों के कर्मचारियों का वेतन 1000 रुपये प्रतिदिन तक पहुँच चुका है। सरकार हड़ताल से निबटना नहीं चाहती समझौते में विश्वास रखती है। एक हड़ताल कर्मचारियों को एक बढ़ौत्तरी वेतन में, एक सुविधा कार्य में, प्रदान कर देती है। यही कारण है कि सबसे अधिक हड़ताल बैंकों में और निगमों में होती है।

वकीलों को तो हड़ताल करने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि यह मेहनताना लेकर अपने मुवक्किल की पैरवी करने का वचन भरते हैं। मुवक्किल से पूछे बगैर हड़ताल न्यायोचित नहीं है और साथ ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। वकील अक्सर किसी वकील के साथ झगड़ा होने पर किसी वकील के साथ दुर्घटना होने पर किसी वकील के यहाँ शोक होने पर हड़ताल करते हैं किन्तु हड़ताली वकील हड़ताल घोषित करने के बाद कहाँ जाते हैं यह ढूँढने का विषय है क्योंकि वह उस शोकग्रस्त व्यक्ति के पास कभी नहीं देखे जाते जिसके कारण से हड़ताल हुई है। वकीलों के हड़ताल करने से पूरे दिन का न्यायिक कार्य ठप्प हो जाता है। राजस्व का कितना बड़ा भाग व्यर्थ में व्यय होता है। आने वाले मुवक्किल कितने परेशान होते हैं। यही कारण है कि 9-10 वर्ष तक भी मुकदमों का फैसला नहीं होता क्योंकि जो वकील पावर में होते हैं वह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हड़ताल के कारण और हड़ताल का दिन स्वयं निश्चित करते हैं। कोई सामाजिक कारण हो या न हो व्यक्तिगत कारण ही काफी है। वकीलों को तो हड़ताल करनी हीं नहीं चाहिए बल्कि हड़ताल के विरोध में खड़ा होना चाहिए।

रिक्शा वाले हड़ताल करते हैं, जमादार हड़ताल करते हैं, फैक्ट्री के कर्मचारी हड़ताल करते हैं किस्सा यह है कि जहाँ भी जो भी संगठन बना है उसमें हड़ताल प्रमुख है। शिक्षक जब हड़ताल करते हैं तो बच्चों पर क्या असर पड़ता है। वह शिक्षक बच्चों को क्या शिक्षा देगा जो स्वयं हड़ताल में संलिप्त है। आप रिक्शा वालों की हड़ताल के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में विवश हो जाते हैं। जमादार हड़ताल करते हैं आपके घर में गंदगी का ढेर लग जाता है आप जीवित होते हुए भी मरने जैसी कल्पना करते हैं। फैक्ट्री के कर्मचारी / मजदूर जब हड़ताल करते हैं तो तोड़फोड़ और आगजनी आवश्यक है। मालिकों के खिलाफ नारे, हाय-हाय के बीच हड़ताली व्यक्ति यह भूल जाते हैं कि आज की हड़ताल के प्रभाव से उनके घर चूल्हा कितने दिन नहीं जलेगा। छोटे बच्चों को दूध मिलेगा या नहीं। केवल जोश में आकर स्वार्थी नेताओं के कहने से जो लोग हड़ताल करते हैं वह अपना ही नुकसान करते हैं। देश का नुकसान करते हैं। समय का नुकसान करते हैं और राष्ट्रीय सम्पत्ति और राजस्व का नुकसान करते हैं। हड़ताल न होती तो फैक्ट्री में उत्पादन होता सरकार को कर के रूप में राजस्व प्राप्त होता और यह राजस्व सड़क, पानी, बिजली, पर्यावरण आदि के रूप में जनता पर व्यय होता। हड़ताल से प्रत्येक दशा में नुकसान जनता का ही है।

राजनीतिक स्वार्थी व्यक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हड़ताल के कहने में आकर हम स्वयं को हड़काते हैं। स्वयं को कार्य न करने के लिए विवश करते हैं और स्वयं के कारण ही कार्य न करने के फलस्वरूप आय से वंचित हो जाते हैं। सुविधा से वंचित हो जाते हैं। फलस्वरूप कभी तो डाक / समाचार समय पर नहीं मिलता, कभी दवा / डॉक्टर समय पर नहीं मिलते कभी बच्चे को दूध परिवार को भोजन नहीं मिल पाता। जो सुविधाएँ सरकार प्रदान करती है जो मूलभूत आवश्यकताएँ सरकार द्वारा पूरी होती है जो हमारा परिवार के प्रति दायित्व है वह सभी हड़ताल से दुष्प्रभावित होते हैं और हम कर्म न करने के पाप के भागी होते हैं। संसद, विधान सभाएँ, जनता एक जुट होकर हड़ताल के विरोध में आवाज़ उठायें यह समय की मांग है। इसी में देश का और जनता का कल्याण है।

◆

❑ आर्थिक असमानता

भारतवर्ष बहुत सी असमानताओं का देश हैं प्रत्येक प्रान्त की अपनी अलग एक भाषा है। प्रत्येक प्रान्त का अपना अलग एक भोजन हैं। प्रत्येक प्रान्त का अपना अलग रहन-सहन और वेश-भूषा है। रीति-रिवाज है। अर्थात सम्पूर्ण देश असमानताओं से घिरा हुआ है और बहुत से क्षोभ का कारण असमानताएँ हैं। यदि असमानताएँ मिटा दी जायें और भाषा की समानता से ही कार्य शुरू कर दिया जाये तो अखण्ड भारतवर्ष की ओर बढ़ते हमारे कदम गन्तव्य तक पहुँच सकते हैं।

आर्थिक दृष्टि से यदि देखें तो गम्भीर असमानताएँ आपको नज़र आयेगी। जितनी जानकारी मैंने ली है उसके हिसाब से एक पोस्टमैन को 3,050 रुपये वेतन मिलता है और उसका कार्य कितना गुरुतर है कि वह प्रात: 8 बजे से 11 बजे तक अपनी डाक छांटता है और 1 बजे से लगभग 3 बजे तक डाक बांटता है और 3 बजे लौटकर डाकघर में रिपोर्ट करता है। उसका वेतन वर्तमान में सबसे कम हैं। जबकि उसके कार्य के हिसाब से उसका वेतन अन्य कर्मचारियों के समान होना चाहिए। पोस्टमास्टर को लगभग 10,000 रुपये वेतन मिलता है। पोस्टमैन और पोस्टमास्टर के वेतन में इतनी अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए।

सीमा सुरक्षा बल के एक सैनिक को 4,500 रुपये वेतन मिलने की जानकारी हुई और पुलिस के एक सिपाही को 6,000 रुपये तथा पुलिस इंस्पैक्टर को 10,000 रुपये वेतन दिया जाता है। सीमा सुरक्षा बल के सैनिक जो हर वक्त आतंकवादियों के निशाने पर रहते हैं उनका वेतन केवल 4,500 रुपये महिना होना अनुचित है। जिन कर्मचारियों का कार्य देश की रक्षा करना है। जिन कर्मचारियों का कार्य जनता की रक्षा करना है उनको 4500 या 6000 या 10000 वेतन दिया जाना सर्वथा अनुचित

है और पक्षपात पूर्ण भी है।

इसके विरुद्ध जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक केकर्मचारियों के वेतन यदि देखे जाये तो प्रबन्धक को 20,000 से 35,000 के बीच मं वेतन मिलता है। एक लिपिक को 12,000 से 18,000 के बीच में और चपरासी को 8,000 से 15,000 के बीच में वेतन दिया जाता है। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों को इस गम्भीर असमानता की ओर विचार करना चाहिए कि स्टेट बैंक का चपरासी क्या सीमा सुरक्षा बल के सैनिक और एक सिपाही से अधिक वेतन पाने का अधिकारी है। स्टेट बैंक के चपरासी को अधिक वेतन दिया जाना या तो पक्षपात का कारण हो सकता है अथवा हड़तालों, लामबंदियों तथा आन्दोलन का फल हो सकता है। 24 घण्टे जिस पुलिस इंस्पैक्टर की ड्यूटी रहती है। उसको लगभग 10,000 वेतन प्लस जान जोखिम और स्टेट बैंक का लिपिक जो 10 से 5 नखरे से काम करता है बीच में लन्च भी लेता है। उसका वेतन 12,000 से 18000 के बीच प्लस चिकित्सा सुविधाएँ, एक माह की यात्रा का खर्चा, एक माह की मुफ्त छुट्टी। यह असमानता क्यों है। पुलिस का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। पुलिस इंस्पैक्टर को तो लिपिक से अधिक वेतन मिलना चाहिए। स्टेट बैंक का मैनेजर जिना न्यायाधीश से भी अधिक वेतन पाता है। यह एक गम्भीर असमानता है। स्टेट बैंक के मैनेजर को केवल देखभाल का काम करना है। चैक पास करने है। ड्राफ्ट बनाने है शाम को तलपट्टी मिलानी है। कूलर में या ए.सी. में बैठकर काम करना है। जबकि जिला न्यायांधीश को जिसे लगभग 30,000 रुपये वेतन मिलता है। उसको फाँसी की सज़ा देने तक का अधिकार है। उसका काम अधिक महत्वपूर्ण, दायित्वपूर्ण तथा विधिक है। कचहरी में बहस सुनना, फाईल पढ़ना और निर्णय लिखना यह सब ऐसे कार्य हैं जो स्टेट बैंक के मैनेजर से अधिक महत्वपूर्ण है।

इसी प्रकार एक डिप्टी कमिश्नर को लगभग 18,000 रुपये वेतन मिलता है और एक कालिज के प्रवक्ता को 20,000 वेतन मिलता है। यह असमानता कुंठा का कारण बनती है। प्रवक्ता जो केवल 150 दिन कॉलिज में उपस्थित होता है और सौ पिरियड से भी कम पढ़ा पाता है।

उसे डिप्टी कमिश्नर से अधिक वेतन देने का कोई औचित्य नहीं है। डिप्टी कमिश्नर को प्रात: 10 से 5 तक गुरुतर कार्य करने होते हैं गम्भीर निर्णय लेने होते हैं।

यह आर्थिक असमानताएँ क्यों हैं। यदि आप देखें तो अधिकतम वेतन पाने वाले वह लोग हैं जो रात दिन हड़तालें तथा काम रोको आन्दोलन करते रहते हैं। जिनसे डर कर सरकार उनका वेतन बढ़ा देती है। जीवन बीमा निगम तथा स्टेट बैंक जैसे अधिष्ठान इसी श्रेणी में आते हैं। कॉलिज के प्रवक्ता भी यदा कदा धमकी देकर अपना वेतन बढ़वा लेते हैं। सबसे कम हड़ताल सीमा सुरक्षा बल, सेना, डाकघर तथा पुलिस में होती है क्योंकि यह सभी आवश्यक सेवाओं में आती ह। अत: दनका वेतन न्यूनतम सीमा पर है और हड़ताली, आन्दोलनकर्ताओं, और काम रोको जैसे कार्यों में लगे अधिष्ठानों के कर्मचारी अधिकतम वेतन पा रहे हैं।

आर्थिक असमानता उद्योगों में भी है तथा अन्य व्यवसायों में भी है किन्तु वह खलती नहीं क्योंकि जितना जो परिश्रम करता है जितना जिसका पूंजी निवेश है और जिसकी जैसी परिस्थितियाँ हैं वह उतनी ही आय प्राप्त करता है किन्तु जब कोई प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को वेतन देता है तो यह प्रश्न उठता है कि प्रबन्धन को और शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के वेतन में क्या प्रतिशत है। अत्याधिक आर्थिक असमानता कुंठा को और सुविधा शुल्क को जन्म देती है। अत: सरकारी कार्यालयों में, न्यायालयों में, प्रतिष्ठानों में, आयोगों में आर्थिक असमानता होती है। सरकारी कार्यालयों में, न्यायालयों में, प्रतिष्ठानों में, आयोगों में आर्थिक असमानता शून्य के बराबर होनी चाहिए। स्टेट बैंक के चपरासी को यदि 8,000 रुपये वेतन मिलता है तो बी.एस.एफ. के सैनिक, पुलिसमैन तथा पोस्टमैन को भी इतना ही वेतन मिलना चाहिए। क्योंकि स्टेट बैंक के चपरासी का कार्य इनसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार कॉलिज के प्रवक्ताओं का असाधारण वेतन और साधारण से भी कम कार्य दिन, अनायास ही प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि वर्ष में 250 दिन कार्य करने वाला व्यक्ति कम वेतन पा रहा है और 150 दिन काम करने वाला व्यक्ति (दिन में केवल एक या दो घण्टे) उससे अधिक वेतन पा रहा है। पुलिस का इंस्पैकटर जो अपनी जान जोखिम में

डालता है। बी.एस.एफ. का डिप्टी कमाण्डेंट देश की सीमाओं पर सर्दी

और गर्मी झेल रहा है उसका वेतन किसी भी हालत में स्टेट बैंक या एल.आई.सी. के उस मैनेजर से कम नहीं होने चाहिए जो बन्द कमरे में बैठकर केवल नोट गिनता है केवल हस्ताक्षर करता है जिसे जान का कोई जोखिम नहीं है।

सांसदों और विधायकों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सत्र समाप्त होने के पश्चात् कोई पेंशन नहीं होनी चाहिए और वह सरकारी कर्मचारी जो निवृत्ति के पश्चात् आय का अन्य साधन उत्पन्न कर लेते हैं। कहीं पुर्ननियुक्ति पा जाते है अथवा कोई डॉक्टरी अथवा वकालत जैसा पेशा चुन लेते हैं। उनकी भी पेंशन ज़ब्त हो जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का आय का एक साधन होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति कई प्रकार से धन प्राप्त करता रहे और एक व्यक्ति ईमानदारी से बगैर हलचल किये एक ही स्रोत से आय प्रान्त करें।

हड़तालें तथा हो-हल्ला मचाकर वेतन बढ़वाने वाले विभाग चिन्हित कर दिये जाने चाहिए। हड़ताल के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हड़ताल से डरकर वेतन बढ़ा देना सरकार की ही कमज़ोरी दर्शाता है। जहाँ बेरोज़गारी पढ़े लिखे व्यक्तियों के मध्य इतनी अधिक है वहाँ हड़ताल से डरकर किसी एक विभाग के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना उचित नहीं है।जो भी कर्मचारी हड़ताल की धोंस देते हैं उनको पुरस्कार स्वरूप वेतन बढ़ाकर नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि उनको सेवा मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

और भी ऐसे बहुत से विभाग है जहाँ एक आदमी का एक दिन का वेतन दूसरे व्यक्ति के एक माह के बराबर है। अन्तर केवल मानसिक और शारीरिक श्रम का है। आर्थिक असमानता अवश्यम्भावी है किन्तु इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि कुंठाओं का जन्म हो वितृष्णाओं की उत्पत्ति हो और आक्रोश का तूफान उठे। शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों के बीच में गम्भीर असमानता का होना उचित नहीं है। अधिकारी और कर्मचारी में आर्थिक असमानता होनी आवश्यक है क्योंकि दोनों का कार्यक्षेत्र दोनों का कर्त्तव्य क्षेत्र और दायित्व अलग-अलग है किन्तु इतनी अधिक नहीं कि अन्तर 1 और 30 का हो।

वर्तमान सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि सांसद और

विधायक निधि कितनी आवश्यक है कितना इसका सदुपयोग होता है और कितना भार राजकोष पर पड़ता है। लोग विधायक और सांसद बनते रहेंगे। कुछ हटते रहेंगे, कुछ नये बनते रहेंगे, बढ़ते-बढ़ते यह संख्या इतनी अधिक हो सकती है कि राजकोष में सांसद और विधायकों को निधि बांटने के अतिरिक्त और कुछ न बच सके और देश केवल सांसदों और विधायकों में बंट कर रह जाये।

सरकारी नियुक्तियाँ पारिवारिक आधार पर होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोज़गार अवश्य प्राप्त हो। ऐसा न हो कि एक परिवार में चार बच्चों को पति-पत्नी को रोज़गार दे दिया जाये और दूसरे परिवार में एक व्यक्ति को भी रोज़गार न मिले।

आर्थिक असमानता दूर करनी बहुत आवश्यक है जिसके दूर होने से स्वावलम्बन बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कुंठाएँ कम होंगी और व्यक्ति से व्यक्ति के बीच की दूरी घटेगी।

◆

❑ लोकतंत्र में विरासत ❑

भारतवर्ष में लोकतंत्र का होना बताया जाता है, छब्बीस जनवरी को गणतन्त्र दिवस मनाया जाता है, संविधान में भी जनतंत्र और प्रजातंत्र का ज़िक्र है। सम्भवत: लोकतन्त्र डैमोक्रेसी का दूसरा नाम है। जहाँ डैमोक्रेसी है वहाँ राजशाही या हिटलरशाही नहीं हो सकती। जहाँ लोकतन्त्र है, प्रजातन्त्र है, जनतन्त्र है और गणतन्त्र दिवस के रूप में उत्सव होते हैं। वहाँ पर एकतन्त्र होना और उस एकतन्त्रवाद की श्रंखला में पुत्र दर पुत्र गद्‌दी सौंपना तथा येन-केन-प्रकारेण अपना या अपने परिवार का राजनीतिक सत्ता पर कब्जा रखना स्पष्ट रूप से लोकतन्त्र की हत्या ही कही जा सकती है। भारतवर्ष में जिस भावना से लोकतन्त्र की स्थापना की गयी थी और राजघरानों को तथा राज्यों को अखण्ड भारत में विलय किया गया था उसके पीछे यह भावना विशेष थी कि एक ही परिवार का शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि लोकतन्त्र में प्रत्येक व्यक्ति को शासन सत्ता में भागीदारी का पूरा अधिकार होना चाहिए। इस विरासत की राजनीति ने प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी समाप्त कर दी है। पिता देश की चिन्ता में कभी अपनों के हाथों, कभी दुश्मनों के हाथों और कभी समय के हाथों दिवंगत हो जाते हैं और तुरन्त बाद ही उनके समर्थक, उनके शुभचिनतक (देश के नहीं) उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का केवल एकमात्र यही तरीका देखते हैं कि उनके अज्ञान पुत्र को ज्ञानवान बताकर उनके स्थान पर सत्ता सौंप दी जाती है। लोकतन्त्र का हनन तो उसी दिन हो गया था जब महात्मा गाँधी की ज़िद के आगे सुभाष चन्द्र बोस के स्थान पर जवाहरलाल नेहरू को प्राथमिकता दी गयी थी। यदि उस समय थोड़ी सी दूरअन्देशी से कार्य किया जाता तो शायद पाकिस्तान का जन्म न होता।

प्रथम प्रधानमंत्री सम्मानीय स्व. श्री जवाहरलाल नेहरू से आरम्भ हुइ यह विरासत की राजनीति भारतवर्ष पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। स्व.

नेहरू जी ने अपने जीवनकाल में ही स्व. श्रीमती इन्दिरा गाँधी को अपना वारिस घोषित कर दिया था और इसी प्रकार का प्रशिक्षण उनको देना आरम्भ कर दिया था और इस प्रकार स्व. नेहरू जी के पश्चात् कालान्तर में स्व. इन्दिरा गाँधी दिवंगत हुईं और आनन-फानन में स्व. श्री राजीव गाँधी को राजगद्दी सौंप दी गयी। लिट्टे समर्थकों द्वारा श्रीलंका में हस्तक्षेप के फलस्वरूप स्व. श्री राजीव गाँधी असमय ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और कुछ समय शान्त रहने के पश्चात् अब उनकी सहधर्मिणी पारिवारिक श्रंखला को आगे बढ़ाते हुए भारतवर्ष की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला राजनेता के रूप में राजनीतिक मंच पर उदित हुई हैं। भारतवर्ष की राजनीति इस समय पूर्णरूप से श्रीमती सोनिया गाँधी के हाथ में है। विरासत की बात यहीं समाप्त नहीं होती चि. श्री राहुल गाँधी मैदान में हैं। सांसद चुने जा चुके हैं। अपनी माता श्रीमती सोनिया गाँधी के त्याग का अनुसरण करते हुए वर्तमान में उन्होंने मन्त्री पद लेने से इन्कार कर दिया है किन्तु जनता को समझ लेना चाहिए कि वह एक समय में भारत वर्ष की राजनीति के ध्रुव हो सकते हैं। विरासत की राजनीति में चाटुकारों का विशेष स्थान होता है, चाटुकारिता के ही कारण विरासत आगे बढ़ती है। उत्तराधिकारी घोषित होने से पूर्व ही चाटुकार उसकी जय बोलने लगते हैं और ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि जनता को उसके द्वारा सौंपे गये राजनीतिक वारिस को स्वीकार करना ही पड़ता है। चाटुकारों ने अभी से श्रीमति प्रियंका बढेरा के बचचों को राजनीति में लाने की अनुशंसा करनी आरम्भ कर दी है जिसे फिलवक्त श्रीमती प्रियंका गाँधी पसन्द नहीं कर रही हैं और नकार रही हैं।

नेहरू जी के ही कार्यकाल में अन्य व्यक्तियों में भी विरासती राजनीति पनपनी आरम्भ हो गयी थी। स्व. श्री कमलापति त्रिपाठी के परिवार की भागीदारी अनेदखी नहीं की जा सकती। स्व. त्रिपाठी जी के जीवनकाल में ही बहू जी के नाम से उनकी पुत्रवधु राजनीति के गलियारों में प्रभावशाली महिला रही हैं और उसके बाद उनके दोनों पुत्र राजनीति में सांसद व विधायक तथा आने वाली संतति भी सम्भवतः इसी व्यवसाय में लगना चाहती है।

स्व. लाल बहादुर शास्त्री देश के सबसे ईमानदार नेता थे किन्तु

विरासती राजनीति से वह भी नहीं बच पाये। उनके भी सुपुत्र कांग्रेस के अच्छे नेताओं में से हैं। स्व. श्री शास्त्री जी की धर्मपत्नी को भी राजनीति में लाने का प्रयास किया गया किन्तु वह एक सौम्य, सुशील, सद्गृहस्थ तथा एक सहृदय महिला होने के कारण राजनीति में नहीं आयीं। राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति को हृदयहीन होना पड़ता है तभी वह दूसरों के हृदय पर, दूसरों के शरीरों पर शासन कर सकता है। सहृदय व्यक्ति कुशल राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता।

विरासत की यह राजनीति कितनी चटपटी है कि इसका स्वाद चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा और देश के ईमानदार नेताओं में से थे, लेना नहीं भूले। पत्नी को सांसद, पुत्री को विधायक और अच्छे भले पुत्र अजीत सिंह को कम्प्यूटर इंजीनियर से हटाकर राजनीति में लाने का सुअवसर नहीं छोड़ा। आज हरित प्रदेश की मांग की जा रही है ताकि स्व. चौधरी चरण सिंह साहिब के वंशज हरित प्रदेश नाम के प्रान्त पर आजीवन सूबेदारी कर सकें। विरासत के लिए क्षेत्र सुरक्षित करना आवश्यक है। सम्भवतः चौधरी अजीत सिंह के सुपुत्र श्री जयंत चौधरी भी इसी में अपना भविष्य सुरक्षित मान रहे हैं।

सम्मानीय स्व. बाबू जगजीवन राम जिन्होंने सम्भवतः भयंकर दुर्घटना के पश्चात् रेल मन्त्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, एक संवेदनशील व्यक्ति थे, किन्तु विरासत की राजनीति से वह भी अपने परिवार को दूर नहीं रख सके। उनकी सुपुत्री मीरा कांग्रेस की एक जानीमानी नेता हैं। संसद में उनकी घुसपैठ है। हांलाकि बाबू जी के सुपुत्र को वह स्थान नहीं मिला किन्तु सुपुत्री के रूप में श्रीमती मीरा कुमार अन्जान नहीं है।

जब यह देखा गया कि राजनेता अपने वारिसान को राजनीति में ला रहे हैं और सांसद अथवा विधायक की कुर्सी को आजीवन न छोड़ने के पश्चात् इसे अपने वारिसान के लिए सुरक्षित कर देते हैं तो राजघराने भी पीछे नहीं रहे। आदरणीय स्व. विजयाराजे सिंधिया सक्रिय राजनीति में रहीं, उनके सुपुत्र माधवराव सिंधिया माता से मतभेदों के कारण कांग्रेस के समर्थन से केन्द्रीय मन्त्री बने। इनकी बहन श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमन्त्री हैं और स्व. श्री माधवराव के पश्चात् उनके सुपुत्र भी सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर गये हैं। इस प्रकार राजघरानों में भी विरासत की राजनीति पर्दापण कर चुकी है जो एक शुभ संकेत है।

उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमन्त्री श्री मुलायम सिंह यादव सपरिवार डटे हुए हैं। उनके भाई श्री शिवपाल सिंह प्रान्त की राजनीति के एक प्रमुख स्तम्भ हैं। श्री मुलायम सिंह के सुपुत्र श्री अखिलेश सिंह विधायक हो चुके हैं और मन्त्रीपद उनसे दूर नहीं है। निवर्तमान मुख्यमन्त्री श्री कल्याण सिंह भी अपने सुपुत्र सहित प्रान्त की राजनीति में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं और यह भी अपने वारिसान के लिए कुर्सी, मकान तथा प्रान्त सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

सम्माननीया शीला दीक्षित जी जो भारत वर्ष की राजधानी दिल्ली प्रान्त की मुख्यमन्त्री हैं का राजनैतिक इतिहास कुछ और नहीं है सिवाय इसके कि वह स्वर्गीय श्री उमाकान्त दीक्षित की बहू हैं और इसी विरासत के तहत वह दिल्ली की मुख्यमन्त्री बनी हुई हैं और बनी रहेंगी। स्वर्गीय राजेश पायलट की पत्नी और पुत्र दोनों ही राजनीति में पदार्पण कर चुके हैं। एक बार नदी के इस तट पर कूदने वाला व्यक्ति तैरकर परली पार तो पहुँच जाता है किन्तु सम्भवतः उस पार से पुनः इस पार लौटने का रास्ता उसे नहीं मिलता और फिर वह अपने परिवार को वहीं उठाता बैठाता रहता है।

काश्मीर तो बहुत अर्से से पारिवारिक राजनीति का शिकार रही है। विरासत की श्रृंखला में स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरू के चहेते जन्नतनशीन शेख़अब्दुल्ला साहब ने अपनी विरासत जनाब फारुख अब्दुल्ला साहिब को सौंप दी और हाल ही में जनाब फारुख अब्दुल्ला ने अपने सुपुत्र उमर अब्दुल्ला की सरे महफिल ताजपोशी करके उन्हें काश्मीर के विरासती क्रम में तीसरा संभावित मुख्यमन्त्री घोषित किया है। काश्मीर में मुफ्ती मुहम्मद सईद अपनी सुपुत्री महबूबा सईद के साथ पारिवारिक राजनीति के बाग को झेलम के जल से सींच रहे हैं।

उड़ीसा में भी स्व. बीजू पटनायक ने पारिवारिक राजनीति के बीज बोकर श्री नवीन पटनायक को पारिवारिक विरासत संभालने में मदद की है। यही स्थिति स्व. एन.टी. रामाराव की रही और स्व. एम.जी. रामचन्द्रन ने तो इस विरासती राजनीति में एक नया मोड़ दिया और उसी मोड़ के सहारे सुश्री जयललिता आज तमिलनाडु में अम्मा कहलाती हैं।

बिहार में श्री लालू प्रसाद का परिवार पूर्ण रूप से राजनीति पर हावी

है। स्वयं सांसद हैं, पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमन्त्री हैं, साले विधायक हैं और पुत्र पुत्री तैयार हो रहे हैं। किसी भी प्रान्त में देख लें राजनीति में विरासत छायी हुई है।

राजनीति को छोड़कर अन्य कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है जो बिना हानि के लाभदायक हो। राजनीति एक ऐसा व्यवसाय है जो यदि पारिवारिक स्तर पर किया जाये तो घर के प्रत्येक सदस्य को राजनीतिक सुख, प्रचार-प्रसार की सुविधा, स्वच्छन्दता और सत्ता सुख आदि सभी कुछ प्राप्त होता है। राजनीति व्यवसाय बन चुकी है इसमें कहीं कोई संशय नहीं है और इस व्यवसाय में विरासतीकरण हो चुका है। इसको भी कोई नहीं नकार सकता। यही कारण है कि चलने फिरने में लाचार, साफ बोलने में कठिनता अनुभव करने वाले व्यक्ति, भुलक्कड़ तथा लाल बुझक्कड़ जैसे चाटुकार लोग राज्यपाल बना दिये जाते हैं और भारतवर्ष के कानून के विरुद्ध दो-दो विवाह करने वाले व्यक्ति राज्यसभा सदस्य या सासंद हो जाते हैं। केवल राजनीति प्रमुख, हाईकमान की मंजूरी आवश्यक होती है। प्रत्याशी, चयनित या नियुक्त व्यक्ति में योग्यता, अयोग्यता देखा जाना आवश्यक नहीं होता। पद्मश्री की उपाधि उन्हें प्रदान की जाती है जो इस विरासत के नज़दीक होते हैं, जो इस विरासत के प्रमुख का गुणगान करते रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ कवि, लेखक, कहानीकार वह नहीं हैं जो समाज को आईना दिखाता है अथवा सत्य से परिचय कराता है बल्कि वह व्यक्ति है जो सर्वथा असत्य, चापलूसी तथा सम्बन्धों के सहारे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता जाता है। यही कारण है कि भारतवर्ष का उपराष्ट्रपति श्रीमति सोनिया गाँधी को इस प्रकार झुककर प्रणाम करता है जैसे वह उनकी कृपा पर ही निर्भर है।

◆

□ हमारी न्यायिक व्यवस्था □

सम्भवतः कलयुग का प्रभाव पूर्णरूप से हो गया है। राजनीति में प्रजातंत्र की हत्या करके परिवारतंत्र स्थापित हो रहा है। न्यायपालिका निष्क्रिय और निष्प्रभावी होती जा रही है। दिनांक 23 नवम्बर बुद्धवार 2005 के दैनिक जागरण में समाचार छपा है कि दिनांक 4 अप्रेल 1994 को मुख्यमंत्री उ.प्र. मुलायम सिंह यादव पर जानलेवा हमला करने वाले एवं साधारण चोट पहुंचाने के दोषी वसंतराव तिलंगे को दो वर्ष के कठोर कारावार की सज़ा सुनाई गयी। मन गद्-गद् हो गया यह पढ़कर की जब मुख्यमंत्री पर हुए हमले का मुदमा 11 वर्ष बाद निस्तारित हुआ है तो यदि मेरे मुकदमें को अभी मात्र 15 वर्ष ही हुए हैं तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। बड़ी सांत्वना मिली इस समाचार को पढ़कर।

वैसे यदि देखा जाये तो न्याय व्यवस्था चौपट हो चुकी है। बीस-बीस वर्ष तक मुदमे लम्बित रहते हैं और निर्णय नहीं होता। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का सिद्धान्त लोप हो गया है। बाबा मुकदमा दायर करता है और फैसला होने तक केवल पोता ही जीवित रहता है। यदि सभी लम्बित मुकदमों को जोड़ लिया जाये तो सम्भवतः भारतवर्ष की जनसंख्या से अधिक मुकदमे लम्बित निकलेंगे। इसके कारण है जानबूझकर ऐसा नहीं हो रहा। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ज़िला स्तर के न्यायालय सभी में न्यायमूर्ति न्यायधीशों के स्थान रिक्त हैं। जिन व्यक्तियों/संस्थाओं/अधिकारियों/आयोग पर नियुक्ति करने का दायित्व है उन्हें नियुक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि न तो उनका कोई काम रुक रहा है और न हीं उन्हें नियुक्ति करने से कोई लाभ हो रहा है। जिनके मुकदमे लम्बित हैं होने दो, जिनको परेशानी है होने दो, इनकी मस्ती पर कोई असर नहीं है इसलिए स्थान रिक्त पड़े हुए हैं

और जब न्यायाधीश/न्यायमूर्ति ही नहीं है तो मुकदमों का निस्तारण कैसे हो सकता है। यदि कारण है कि लाखों मुकदमा सम्भवतः इलाहाबाद उच्च न्यायलय में पड़ा हुआ है।

आतंकवादियों के मुकदमे और भी लम्बे खिंच जाते हैं ताकि उनकी खातिर करने का पूरा अवसर प्राप्त हो सके और यह सिद्ध हो सके कि भारतवर्ष के न्यायमूर्ति न्यायाधीश तथा पुलिस व जेल के अधिकारी बड़े दायलु हैं मेहमाननवाज़ी की यदि कोई सीमा होती हो तो उसके भी परे जाकर आतंकवादियों की मेहमाननवाज़ी की जाती है। पुलिस मेहनत करके पकड़ती है। अपनी जान जोखिम में डालती है और उन्हें जेल में रखा जाता है जहाँ तुष्टिकरण की नीति के अन्तर्गत सभी आतंकवादियों को स्वरूचिभोग कराया जाता है। जिसमें मक्खन और पनीर की बहुतायत होती है। केवल कैद में रखने की शर्त है वरना वह सब सुविधाएँ उनको ज़िन्दा रखने के लिए दी जाती हैं जो आवश्यक है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कब कोई हमारे देश का हवाई जहाज़ अपहृत हो जायेगा और हमें अज़हर मसूद जैसे आतंकवादी को छोड़ना पड़ेगा तब हमें जहाज़ और यात्री सुरक्षित मिल सकेंगे। सच मानिये तो आतंकवादियों के मुकदमे लम्बित रखना एक दूरअंदेशी की बात है। जो साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता।

एक और नमूना देखिये उच्च न्यायालयों में जो नियुक्तियाँ होती हैं उनमें वहीं के अधिवक्ता नियुक्त कर दिये जाते हैं यानि क ख ग घ चार प्रकार के अधिवक्ता उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं इसमें ख घ को न्यायमूर्ति नियुक्त कर दिया गया। अब ख घ मुकदमें का निस्तारण करते समय इस बात से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते कि उनके सम्बन्ध किस अधिवक्ता से अच्छे रहे हैं और किस से खराब है। इस बारे में जांच कमिशन बनाया जाये तो मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ कि सम्बन्धों के आधार पर कुछ अधिवक्ताओं को लाभ मिलता है तो कुछ हानि में रहते हैं। होना यह चाहिए कि न्यायमूर्ति नियुक्त करते समय उन अधिवक्ताओं को स्थानीय उच्चन्यायालयों में न्यायमूर्ति न बनाया जाये जो उसी उच्च न्यायलय में वकालत कर रहे हैं बल्कि

नियुक्त उन्हें अन्य प्रान्तों में किया जाये। दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब व हरियाणा के अधिवक्ताओं को लखनऊ या इलाहाबाद में न्यायमूर्ति नियुक्त किया जाये।

राजनीतिक अंधेरगर्दी न्यायपालिका के स्तर पर भी देखने को मिलती है। बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद जिले लखनऊ से पास पड़ते हैं किन्तु इलाहाबाद के अधिवक्तरओं के स्वार्थ के कारण इनको इलाहाबाद से जोड़ा हुआ है तथा प्रतापगढ़ सुल्तानपुर आदि पांच जिले जो इलाहाबाद के पास पड़ते हैं उनको लखनऊ में जोड़ा गया है। क्योंकि लाभ की दृष्टि से बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद जिले प्रतापगढ़ व सुल्तानपुर से बेहतर, है और इलाहाबाद उच्च न्यायलय पर अधिवक्ताओं का कब्जा है अतः वह नहीं चाहते कि बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद जिले लखनऊ से जोड़े जायें। अतः प्रजातंत्र में प्रजा की सुविधा के विरुद्ध यह व्यवस्था चल रही है।

उच्च न्यायलय में जो न्यायमूर्ति नियुक्त किये जाते हैं उसमें जिला जज स्तर के न्यायाधीश लिए जाते हैं किन्तु अधिवक्ताओं में जिला स्तर के अधिवक्ता नहीं लिए जाते। इसका भी कारण यही है कि उच्च न्यायालय पर स्थानीय अधिवक्ताओं का दबदबा है।

यदि आप देखें तो एक ही बिन्दु पर आपको निर्णय की भिन्नता मिलेगी। एक न्यायमूर्ति एक बिन्दु पर एक निर्णय देते हैं और दूसरे न्यायमूर्ति कभी-कभी उससे भिन्न निर्णय दे देते हैं। जबकि होना यह चाहिए की एक ही बिन्दु पर सभी उच्च न्यायालयों में (कम से कम सम्बंधित उच्चन्यायालयों में अवश्य) समान परिस्थितियों/संदर्भों में समान निर्णय होना चाहिए।

उच्च न्यायालय में सुनवाई की तिथि जो निश्चित होती है उसकी लिस्ट नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाती है और अधिवक्तागण उसे अपने-अपने हिसाब से नोट कर लेते हैं। लिस्ट का पता सैकड़ों मील दूर बैठे वादी अथवा प्रतिवादी को नहीं चलता। वादी का यह मौलिक अधिकार है कि उसको सुनवाई की प्रत्येक तिथि की सूचना नोटिस द्वारा दी जाये। ऐसा न करने से वादी एवं प्रतिवादी केचल उच्च

न्यायालय के अधिवक्ताओं पर ही निर्भर होकर रह जाते हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं है। सुनवाई की प्रत्येक तिथि की सूचना व्यक्तिगत रूप से वादी एवं प्रतिवादी को होनी चाहिए ताकि वह अपने मुकदमे की पैरवी और सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थिति हो सके।

लम्बित मुकदमों के निस्तारण के लिए राज्यपाल को यह अधिकार होना चाहिए कि वह न्याय मंत्री से सलाह करके न्यायधीश अथवा न्यायिक दण्डाकारी की नियुक्ति एडहॉक आधार पर कर सके ताकि लम्बित मुकदमों का निस्तारण त्वरित गति से हो सके। कोई भी मुकदमा अधिक से अधिक तीन वर्ष में निस्तारित हो जाना चाहिए।

आयोग बनाये जाते है और आयोग में नियुक्ति सेवानिवृत न्यायधीश/न्यायमूर्ति की की जाती है। यह भी गलत है। जांच में कार्यरत न्यायाधीश/न्यायमूर्ति अथवा आयु सीमा के अन्दर विशिष्ट अधिवक्ता की जानी चाहिए। इससे नये लोगों को रोजगार मिलेगा। सेवानिवृत व्यक्तियों की नियुक्ति बेरोजगारों के पेट पर लात मारने जैसा हैं। वैसे भी जो सेवानिवृत हो गया वह निवृत ही हो गया। उसकी पुर्ननियुक्ति देना सरासर गलत है।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के साथ-साथ न्यायिक सुरक्षा अधिनियम (ज्यूडिशियल प्रोटक्शन एक्ट) समाप्त होना चाहिए। न्यायिक सुरक्षा, न्यायिक संरक्षण की आवश्यकता की क्या है। यदि आदमी सही कार्य करता है तो उसे किसी भी प्रकार की सुरक्षा/संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता तब पड़ती है जब गलत काम करने पर जनता द्वारा प्रतिकार का डर हो। यदि हम सही काम करेंगे तो न्यायिक सुरक्षा/संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता नहीं है।

न्यायिक सेवा में आरक्षण व्यवसथा नहीं होनी चाहिए। यह सरासर अन्याय होगा कि 33 प्रतिशत अंक पाने वाले व्यक्ति को आरक्षण के आधार पर 90 प्रतिशत अंक पाने वाले व्यक्ति के बराबर कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए सहयोग, सुविधा प्रदान करने में कोई हर्ज नहीं है किन्तु पद आरक्षित करके कम योग्यता वाले व्यक्तियों को आरक्षण के

आधार पर महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठा देना न्याय का सर्वनाश करने के समान होगा। और भी बहुत से कई बिन्दु है जो न्यायपालिक को सुलभ, सस्ता और शीघ्र और शीघ्रगामी बनाने के लिए आवश्यक है। जो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आवश्यक है किन्तु यदि उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विचार कर लिया जाये। इनका क्रियान्वयन कर दिया जाये तो काफी हद तक न्यायपालिका में वांछित उपलब्धि हो सकती है।

◆

❐ नेपथ्य में जायें ❐

सुदर्शन जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जितने भी बुजुर्ग, बूढ़े और थके हुए नेता हैं उन सबको नेपथ्य में चले जाना चाहिए। यह बात केवल श्री अटल बिहारी बाजपेयी और श्री आडवाणी पर ही लागू नहीं होती है बल्कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जो बार-बार सांसद बनकर लोक सभा में आता है अथवा विधानसभा में सुशोभित होता है। दस-दस बार सांसद चुने जाना और दस-दस बार विधानसभा में आकर बैठना राजनीतिक ठेकेदारी कही जा सकती है देश सेवा नहीं। प्रजातंत्र में राजनीतिक ठेकेदारी को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। जब से भाजपा बनी है श्री अटल बिहारी और श्री आडवाणी शीर्ष पर हैं। इनको स्वयं ही चाहिए था कि नवयुवकों को सामने लाते और एक निश्चित सीमावधि पर पार्टी की बागडोर युवा नेतृत्व को सौंपते और स्वयं नेपथ्य में बैठकर सलाह देने का कार्य करते तब इनकी स्थिति चाण्क्य जैसी होती तथा पूरा देश इनकी सलाह पर चलता किन्तु इसके लिए वांछनीय था कि यह कुर्सी का और स्वयंभू होने का मोह त्याग देते किन्तु ऐसा नहीं किया गया इसलिए सुदर्शन जी को कहना पड़ा। स्वयं त्याग देते तो महान कहलाते अब भी त्याग देंगे तो विद्वान कहलायेंगे और नहीं त्यागेंगे तो जनता त्याग देगी। बूढ़े और बुजुर्ग नेताओं ने सठियाएपन में सोनिया गाँधी पर असंसदीय शब्दों का प्रयोग करके अपनी पार्टी की छवि जनता की नज़रों में गिराई और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी का कद बढ़ाया।

पुरातनकाल से यह परंपरा चली आ रही है। राजा भी अपने पुत्र को राजगद्दी देकर वन में तपस्या को चले जाते थे। बूढ़े और थके हुए आदमियों की सोच भी बूढ़ी हो जाती है। स्वभाव चिढ़चिढ़ा हो जाता है, दूरदर्शिता समाप्त हो जाती है। बूढ़े नेता यही सोचते हैं कि जो वह कह रहे हैं वही ठीक है जबकि उनकी सोच गलत है। उदाहरण के रूप में

इन दोनों शीर्ष नेताओं ने अपने जैसे ही एक बूढ़े नेता को उपराष्ट्रपति बना दिया। मेरे पास चित्र उपलब्ध है जिसमें श्री भैरोसिंह शेखावत जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं श्रीमती सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी के सामने झुके खड़े हैं। उपराष्ट्रपतिपद का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता कि वह एक सांसद के सामने झुककर खड़ा हो। यदि उपराष्ट्रपति कोई युवा संजय गांधी जैसा तेज तर्रार नेता होता तो वह इस प्रकार झुककर खड़ा नहीं होता। यह एक सत्य है कि कांग्रेस के एक बूढ़े बुजुर्ग नेता संजय गांधी की चरण पादुकाएं उठाये हुए कैमरे में पकड़ लिये गये थे। हमारे भाजपा के शीर्ष नेताओं ने श्री रामप्रकाश गुप्त को राज्यपाल बना दिया और भी कई राज्यपाल ऐसे बनाए गये जो मृत्यु के करीब थे। याददाश्त खो चुके थे। चलने और बोलने में लड़खड़ाते थे। केवल बूढ़े और बुजुर्ग नेता ही नहीं अविवाहित साध्वी ने भी भाजपा की छवि खराब की है। जिस प्रकार की बयानबाजी मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महोदया ने की वह अपमानजनक और आपत्तिजनक थी। इन बुजुर्ग शीर्ष नेताओं ने उसको पुनः पार्टी में ले लिया। यदि कोई युवा नेता होता तो वह महोदया पार्टी से ही नहीं राजनीति से ही निष्कासित हो जाती। अब भी आवश्यक है कि इनको कोई महत्व पार्टी में न दिया जाये और इनकी बयानबाजी को गंभीरता से न लिया जाये। यदि महाभारत आवश्यक है तो हो किन्तु ऐसे किसी भी नेता के समक्ष झुकना जो तुनक मिज़ाज अहंकारी और स्वयंभू हो पार्टी के हित में नहीं है।

भाजपा में ही नहीं कांग्रेस में भी नारायण दत्त तिवारी व अर्जुन सिंह जैसे नेता हैं जिन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। बहुत समय हो गया राजनीति की ठेकेदारी करते हुए लेकिन कोई तो सीमा होनी ही चाहिए जब संसद या विधानसभा को इनसे मुक्ति प्राप्त हो। इसी प्रकार से शीला दीक्षित तथा और बहुत से कई नेता हैं जो राजनीतिक विरासत और रियासत का सुख भोग रहे हैं इन्हें या तो स्वयं हटना चाहिए अथ्वा जनता उन्हें हटा देगी।

चन्द्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं वह भी इसी श्रेणी में आते हैं और उनको भी अब यह शोभा नहीं देता कि वह बार-बार सांसद

बनकर संसद में उपस्थित हों। अब यदि वह चाणक्य की तरह से राजगुरू का धर्म निबाहें तो अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगा जब पढ़ा कि सरदार सुरजीत सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पद से स्वयं ही विरत हो गये और अपनी स्थान पर नये व्यक्ति को कुर्सी सौंप दी। यदि ज्योतिवसु और सोमनाथ चटर्जी जैसे पुराने बुजुर्ग नेता भी इसी प्रकार से अपनी-अपनी कुर्सियाँ नये युवा नेताओं को सौंप दें तो राजनीतिक गतिरोध काफी हद तक समाप्त हो सकता है।

राजनीति में यदि वंशवाद न हो तब ही सही मायने में प्रजातंत्र की स्थापना हो सकती है। जब तक राजनीति को कुछ लोगों ने अपनी बपौती समझकर व्यवसाय की तरह अपनाया हुआ हे। तब तक प्रजातंत्र और गणतंत्र देश से बहुत दूर है। मेरा मानना है कि ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति तीन बार से अधिक सांसद मंत्री या विधायक नहीं रहेगा। नयूनतम योग्यता के साथ-साथ अधिकतम आयु सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। प्रजातंत्र में एक बार सांसद चुने जाने के पश्चात् आयुपर्यन्त उसी वयक्ति को बार-बार सांसद बनाना अथवा उसी व्यक्ति की मृत्यु की प्रतीक्षा करना अच्दा नहीं लगता। अच्छा तो यही था कि पुराने राजनीतिज्ञ स्वयं ही एक निश्चित आयु सीमा के पश्चात् कुर्सी त्याग दें। अन्यथा जनता को यह निर्णय लेना ही पड़ेगा क्योंकि राजनीतिज्ञ इतने अच्छे भी नहीं हैं कि वह अपने ही विरुद्ध कोई कानून बनायें। सांसद निधि भी एक ऐसा लड्डू है जो कई करोड़ का है लेकिन प्रत्येक सांसद को मुफ्त में मिलता है तो भला कोई भी सांसद क्यों नहीं बनना चाहेगा।

बूढ़े और बुर्जुग नेताओं की बार-बार सांसद व विधानसभा में वापसी के लिए केवल यही ज़िम्मेदार नहीं है बल्कि जनता भी ज़िम्मेदार है। जनता को चाहिए जो व्यक्ति 3 बार सांसद विधायक या मंत्री रह चुका है उसे वोट न दें। उसका घिराव करके उसे चुनाव में खड़ा होने से रोकें, उसे समझायें और यदि नहीं मानता है तो अपना निर्णय सुनायें। आज देश में बाहुबली इसी कारण पैदा हो रहे हैं कि वह स्वयं या उनके आदमी बार-बार चुनाव में येन केन प्रकारेण जीत हासिल करके अपना दबदबा बनाये रहते हैं। बार-बार चुनाव में खड़ा होना पैसे के बल पर चुनाव जीतना और चुनाव जीत का पैसा कमाना हिटलर शाही

प्रवृत्ति बन गई है। जिससे देश को निजात दिलानी अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता और अधिकतम आयु सीमा निश्चित की जानी चाहिए।

राजनीतिज्ञों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, वामाचार, व्यभिचार तथा कदाचार के मुकदमे लम्बित नहीं रहने चाहिए बल्कि एक वर्ष के अन्दर-अन्दर निस्तारित हो जाने चाहिए और इन मुकदमों के दौरान उनका मंत्री पद तथा सांसद या विधायक पद निलंबित रहना चाहिए और उनको किसी प्रकार के भी अंगरक्षक नहीं मिलने चाहिएं। देश सेवा के लिए प्रत्येक राजनीतिज्ञ को कमाण्डो अंगरक्षक प्रदान करना प्रजातंत्र के साथ बलात्कार है।

◆

❑ फिदाईन हमले ❑

फिदाईन हमलों से निपटने का कोई तंत्र नहीं–आडवाणी की स्वीकारोक्ती पंजाब केसरी दिल्ली वीरवार 24 जौलाई 2003 के मुख्य पृष्ठ पर छपी है। नितान्त कायरतापूर्ण वक्तव्य है जो भारतवर्ष के उप प्रधानमंत्री से अपेक्षित नहीं है। यदि हम अपने देश पर हमले नहीं रोक सकते तो हम किसलिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। किसलिए इतनी फौज और सुरक्षाबल रखे हुए हैं। शर्म आती है मुझे इस लेख को पढ़ने के बाद। मैं दावा करता हूँ कि फिदाईन हमले रुक सकते हैं। ज़रूरत है हमें अपने देश पर फिदा होने की। आवश्यकता है हमें अपनी मातृभूमि पर फिदा होने की। आवश्यकता है कुर्सी छोड़कर, कुर्सी त्यागकर देश हित में बात करने की। आवश्यकता है तुष्टिकरण की नीति छोड़कर शठे शाठयम् समाचरेत का सिद्धान्त अपनाने की। आवश्यकता है अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए लादेन पर हमला करने की। अखबार में यह भी लिखा है कि छह महीनों में दस हमले हुए। अमेरिका पर कोई हमला नहीं हुआ था फिर भी उसने ईराक पर हमला करके अपने आपको रास्ता दिखाया और अप्रत्यक्ष रूप में कहा कि आतंकवाद के निपटने के लिए आप भी ऐसा ही कीजिए। केवल दो इमारतों पर हुए। फिदाइन हमले का जवाब अमरीकस पे अफानिस्तान में जाकर दिया इसके बावजूद भी हम कई वर्षों से आतंकवादी हमले झेल रहे हैं किन्तु पाकिस्तान पर गुलाम काश्मीर पर कोई हमला नहीं करते क्यों इसलिए कि हम केवल बयानबाजी करते हैं। केवल ललकारते हैं केवल विरोध पत्र भेजते हैं। देशहित में नहीं व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त हैं हम और इसलिए विश्व छवि की चिंता

करते हैं। देश छपि की नहीं। यदि पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाये तो जितने भी फिदाईन हैं वह सब फना हो जायेंगे और फिर हम चैन से रह सकेंगे। लेकिन शायद भाजपा ऐसा नहीं चाहती और यही कारण है कि आतंकवाद के मुद्दे को ज़िन्दा रखने के लिए हम इस प्रकार के ग़ैर ज़िम्मेदाराना वक्तव्य देकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं।

फिदाइन हमले रुक सकते हैं अगर यह फिदाईन बजाये निरीह सैनिकों के मारने के मंत्रियों के घरों पर हमला करना आरम्भ कर दे। फिदाईन हमले मिली भगत का परिणाम भी हो सकते हैं क्योंकि अभी तक किसी भी मंत्री के घर पर किसी फिदाईन के हमले का समाचार नहीं मिला जितने भी हमले हुए हैं सब सैनिक शिविरों पर हुए हैं। यदि फिदाईन का रुख बदल दिया जाये तो पाकिस्तान पर हमला भी हो जायेगा और फिदाईन हमले भी रुक जायेंगे।

फिदाईन हमले रुक सकते हैं अगर काश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी जाये और काश्मीर को भारतवर्ष में वही दर्जा दिया जाये जो अन्य प्रान्तों को है। काश्मीर को अन्य प्रान्तों से भिन्न दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए।

फिदाईन हमले रुक सकते हैं अगर काश्मीर से बेरोज़गारी समाप्त कर दी जाये। बेरोज़गार नौजवान को सेना/पुलिस में भर्ती कर लिया जाये किन्तु उसे स्वच्छन्दता पूर्वक इधर से उधर घूमने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। कश्मीर में एक भी बेरोज़गार व्यक्ति घरों में या सड़क पर नहीं मिलना चाहिए। यह कोई बड़ा काम नहीं है। केवल मात्र एक माह के अन्दर सम्पूर्ण नौजवान रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं।

फिदाईन हमले रुक सकते हैं अगर शिक्षा तथा चिकित्सा के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी विभागों में कार्यरत महिलाओं को नौकरी से हटा दिया जाये और उनके स्थान पर बेरोज़गार नौजवानों को नियुक्ति दी जाये। अविवाहित महिलाओं पर विशेष नज़र रखी जाये और उनके अविवाहित रहने का कारण जानने का प्रयास किया जाये। साधारणतया: महिलाओं का अविवाहित रहना सामाजिक विकृति को जन्म देता है।

इससे कोई समाज का उत्थान नहीं होता बल्कि नौजवान कुंठित होता है। ध्यान रहे एक भी नौजवान बेरोज़गार न हो और शिक्षा तथा चिकित्सा के क्षेत्र को छोड़कर किसी भी कार्यालय में कोई महिला कार्यरत न हो।

फिदाईन हमले रुक सकते हैं यदि अनुग्रह के आधार पर पुर्ननियुक्तियाँ न की जायें। इससे भी नौजवान कुंठित होता है। एक व्यक्ति को सेवा निवृत्ति के बाद भी पुर्ननियुक्ति दे दी जाती है और उसी के समकक्ष शिक्षित और योग्य नौजवान नौकरी से वंचित रह जाता है। इस प्रकार की कुंठाएँ ही नौजवानों को आतंकवाद और आत्मघात की ओर ध केलती है। सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुर्ननियुक्ति करना बेरोज़गारी के साथ बलात्कार के समान है जब तक एक भी बेरोज़गार है पुर्ननियुक्ति नहीं होनी चाहिए।

फिदाईन हमले रुक सकते हैं यदि काश्मीर की पुलिस में बेरोज़गार नौजवानों को भर्ती दी जाये। राष्ट्र निर्माण के कार्य कराये जायें और रोज़गार दिये जाये। एक भी व्यक्ति बेरोज़गार न हो और कोई भी पुलिस चौकी पुलिस से खाली न हो। फिदाईन/आत्मघाती वही बनता है जिसकी आत्मा मर चुकी है जो जीना नहीं चाहता और ज़िसके मन में नफ़रत और कुंठा बस गयी है । नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने से यह कुंठा दूर होगी जीने की लालसा बढ़ेगी और फिदाईन बनने की बजाये नौजवान काश्मीर की सर जमीन पर फ़िदा होगा ।

फिदाईन हमले रूक़ सकते है अगर आवश्यकता पड़े तो वोट की राजनीति छोड़कर तुष्टिकरण के पेड़ को उखाड़ कर काश्मीर में राष्ट्रपति शासन कर दिया जाये । सरकार भंग करनी आवश्यक है क्योंकि जो सरकार अपनी जनता की, अपने सैनिकों की हिफाजत नहीं कर सकती उसे सरकार में बना रहने का कोई हक नहीं है । जिस दिन से मुफती सरकार काश्मीर में स्थापित हुई है तब से अब तक के आंकड़े उसकी विफलता की ओर इशारा करते है । और ऐसी सरकार फिदाईन के सामने बेबस है जो केवल अपने सिपाही और अपनी फौज को संयम बरतने की अपील कर सकती है ऐसी सरकार को तुरन्त

बर्खास्त किया जाना चाहिए। बहुत हो गया तुष्टिकरण, बहुत हो गया जनमत संग्रह, बहुत हो चुका चुनावी नाटक और बन चुकी है लोकप्रिय सरकार। राजनीति आवश्यतानुसार कार्य करने का नाम है। देश की रक्षा का नाम है। इसलिए आज आवश्यकता है कि काश्मीर की रक्षा के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए।

फिदाईन हमले रुक सकते हैं अगर नाकारा व्यक्तियों को राज्यपाल, केवल अपनी ऐश का इंतज़ाम करने के लिए, नियुक्त न करके ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जाये जिसके नाम से आतंकवादी कांपने लगे। मुझे नहीं मालूम कि श्री जगमोहन को काश्मीर से क्यों हटाया गया था। लेकिन उन्होंने जिस खूबसूरती से काश्मीर की सम्भाल की थी वह अब भी सुनने को मिलती है। डॉ. कर्ण सिंह उन व्यक्तियों में से है जो काश्मीर के हैं, काश्मीर से है और काश्मीर के लिए है। उनको अवसर दिया जाये और भी ऐसे बहुत से व्यक्ति है जो आतंकवाद को समूल नष्ट कर सकते हैं। फिदाईन की पैदावार रोक सकते हैं और देश को काश्मीर को जलने से बचा सकते हैं। एक आम आदमी भी जानता है कि आतंकवाद की पैदावार कहां होती है। फिदाईन किसकी शह पर हमले करते हैं। काश्मीर में कोई भी राज्यपाल यदि स्वतंत्र छोड़ दिया जाये और तथाकथित दिल्ली के नेता हस्तक्षेप न करे तो फिदाईन हमले रुक सकते हैं। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ किन्तु वादा करता हूँ कि यदि मुझे अवसर दिया जाये तो छः महिने में आतंकवाद और फिदाईन शब्द अखबार से गायब हो जायेगा।

फिदाईन हमले रुक सकते हैं अगर हम चाणक्य बन कर कांटे के वृक्षों की जड़ों में मट्ठा डाले जो कांटे देश के लिए कष्टकारक है। फिदाईन हमले रुक सकते हैं अगर हम भगवान राम की तरह लंका में जाकर रावण की भांति मारने की ठान ले और पाकिस्तान पर तुरन्त हमला कर दे। भगवान राम को मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने का सपना देखने वाली सरकार यदि भगवान राम के आदर्शों पर चलने की ठान ले तो देशहित भी होगा और आतंकवाद भी समाप्त होगा। अन्यथा मुँह

में राम बगल में छुरी वाली कहावत ही सत्य सिद्ध होगी और आडवाणी जी का यह कथन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा कि फिदाईन हमलों से निपटने का कोई तंत्र नहीं।

◆

☐ आतंकवाद ☐

आतंकवादियों द्वारा अयोध्या पर हमला किया गया। लंदन पर हमला किया गया। मिश्र में हमला किया गया। सभी जगह आतंकवादी पाकिस्तान के मूल नागरिक अथवा पाकिस्तान से सम्बन्धित मिले। आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना ओसामा बिन लादेन है। सभी आतंकवादी चूंकि पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं इसलिए यह मानना सर्वथा उचित है कि ओसामा बिन लादेन कहीं न कहीं पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ का यह कहना कि वह किसी भी बाहरी आदमी को ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में खोजने की अनुमति नहीं देंगे इसी ओर इशारा करता है।

आतंकवाद का खूनी पंजा फैलता जा रहा है। शैतान की तरह से इसका साया समस्त विश्व पर पड़ रहा है। हर बार जब भी आतंकवादी हमला होता है भारतवर्ष में राजनीतिज्ञ पार्टियाँ सत्तारूढ़ दल से त्यागपत्र की मांग करती हैं। सड़कों पर जाम लगाये जाते हैं। पुतले फूंके जाते हैं और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है। इस बार भी यही हुआ अयोध्या पह हुए हमले के बाद वही पुराना राग, पुतले फूंकना, त्यागपत्र की मांग करना तथा जाम लगाना आरम्भ किये गये। भारतवर्ष में राजनीतिक पार्टियों को आतंकवाद का विरोध करने का केवल एक ही तरीका याद रह गया है। आखिरकार आतंकवादी हमले कब नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद के संदर्भ में सत्तारूढ़ दल से त्यागपत्र मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसी प्रकार कांग्रेस का भी कोई अधिकार नहीं बनता है क्योंकि दोनों के ही शासन काल में बड़े बड़े हमले हुए हैं।

पंडित जवाहरलाल नेहरू हिन्दी चीनी भाई-भाई के नारे के भुलावे में रहे और चीन ने भारत वर्ष पर हमला कर दिया। पाकिस्तान कई बार हमलावर हो चुका है और हम केवल बचाव की बात करते रहते हैं। हाल ही में अयोध्या पर हमला हुआ। उससे पूर्व संसद पर हमला

हो चुका है, रघुनाथ मंदिर पर हमला हो चुका है, अक्षरधाम मंदिर पर हमला हो चुका है और चरारे शरीफ भी आतंकवादियों की चपेट में आ चुका हैं। वह तो हमारे जांबाज़ सुरक्षाबल के जवान इन हमलों को नाकाम करते रहे हैं और देश को और जनता को बचाते रहे हैं अन्यथा कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा हल नहीं ढूँढ सकी है जिससे आतंकवाद के पैर टूट सकें।

पाकिस्तान में आतंकवादी शिविर चल रहे हैं। पाकिस्तान का अवाम आतंकवाद के खिलाफ है उसे आतंकवाद झेलना पड़ रहा है। लंदन और अमेरिका जो हमेशा से पाकिस्तान की मदद करते आये हैं। अब उन्हें भी आतंकवाद झेलना पड़ रहा है और न जाने कब तक झेलना पड़ेगा। यदि समूचा विश्व एक साथ आतंकवाद के जन्मदाताओं को नेस्तनाबूद नहीं करेगा तो निर्दोष जनता मारी जाती रहेगी, देश में बदअमनी रहेगी। केवल त्यागपत्र मांगने, जाम लगाने, पुतले फूंकने से काम नहीं चलेगा, हमें आतंकवादियों को चिन्हित करना होगा और आतंकवाद का मुँहतोड़ जबाब देना होगा अन्यथा समस्त विश्व आतंकवाद की आग में जलता रहेगा। हो सकता है विश्व के चौधरी राष्ट्रों को इन हमलों से कुछ अक्ल आये।

अमरीका ने ओसामा-बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान को खण्डहरों में तब्दील कर दिया। ईराक में भी जैविक हथियारों का बहाना लेकर भारी हमले किये और कहर बरपा किया। इस सब में इंग्लैण्ड उसके साथ था। इंग्लैण्ड की फौज ने भी अमरीका के साथ अफगानिस्तान और ईराक में खुलकर खेला। आश्चर्य है कि लंदन में हुए दो बार हमलों में पाकिस्तानी नागरिकों का हाथ होने के बाद भी अमरीका ने लंदन के पक्ष में पाकिस्तान पर हमला करने की बात नहीं कही। लंदन को यह समझ लेना चाहिए कि स्वार्थी अमरीका पाकिस्तान पर कभी भी हमला नहीं करेगा भले ही लंदन में और भी आतंकवादी हमले क्यों न हो जायें। लंदन को इस कारण की खोज करनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तान आतंकवादी होते हुए भी अमरीका का इतना प्रिय क्यों है। ओसामा बिन लादेन की खोज पाकिस्तान में क्यों नहीं की जा रही। पाकिस्तान नागरिक प्रत्येक आतंकवादी हमले में सम्मिलत हैं फिर भी विश्व के चौधरी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहते। आखिर क्यों?

डॉ. हितेश कुमार शर्मा

डॉ. हितेश कुमार शर्मा ने अब तक व्यापार कर कानून पर 12 पुस्तकें लिखी हैं, 4 पत्र-पत्रिकाओं (हितैषी, सहयोगी, ब्राह्मण अन्तर्राष्ट्रीय व कर एवं व्यापार का सम्पादन किया है।

स्वरचित कविताओं के 5 संकलन प्रकाशित हो चुके हैं तथा भिन्न-भिन्न कवियों के संकलित 5 काव्य-संकलन प्रकाशित हो चुके हैं।

आप व्यापार कर अधिवक्ता हैं तथा रोटरी अर्न्तरष्ट्रीय द्वारा मंडल 3100 के गवर्नर पद पर रह चुके हैं। आपने यू.पी. टैक्स बार एसोसिएशन के भिन्न-भिन्न पदों पर कार्य किया है एवं आप ए.बी.आई. यू.एस.ए. द्वारा 2001 के 'मैन ऑफ़ दी ईयर' प्राप्त कर चुके हैं।

आपकी साहित्य सेवा के लिए बीसवीं शताब्दी रत्न सममान, साहित्य श्री, काव्यप्रज्ञ पृथ्वी पुत्र, रामवृक्ष बेनीपुरी सम्मान, राष्ट्रभाषा रत्न सम्मान, शायरे-वतन, सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति सम्मान, काव्य कर्ण, सबरंग साहित्य श्री सम्मान, साहित्यविद् दर्पण वैभव.

सम्पर्क:- गणपति कॉम्पलेक्स, सिविल लाइन्स, बिजनौर (उ.प्र.)

ISBN-81-8212-087-X